राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का २८वां दिवस [संख्या १६

बुधवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

'ऑप्टिकल स्क्वायर्स का क्रय

६३२. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Labour Minister be pleased to statet

(a) Is it correct that the Purchase Committie of the Directorate of Employment and Training Services purchased 'Optical square' for Jaipur at the rate of Rs 12/- a piece and 'square optical' for Kotah at the rate of Rs. 327/-per piece ?

(b) Is it correct that they have been purchased from a firm at Delhi and both these articles are identical though different rates have been charged for them ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a)The Purchase Committee ordered for 'optical square' P. W. D. pattern and 'square optical' at the rates mentioned in the question, but when the articles were received and observed it was found that there was not much difference in the two and, therefore, the 'square opticals' were rejected and not purchased.

(b) Yes. These were offered by a Dehli firm but those of higher rates were not purchased.

श्री पी० के० चौधरी : Not all these optical squares were purchased ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I could not follow.

श्री पी० के० चौधरी : In reply to part (a) of this question he has said the square opticals were not purchased......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They were ordered and received, but when they were checked they were refused.

श्री पी० के० चौधरी : How the orders were placed with the firm by the Purchase Committee without seeing the samples ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There was no question of samples in it. Different names were given and we have received instructions from the Government of India and in accordance with that it was done.

श्री पी० के० चौधरी : The order was placed without seeing the sam-

Page No.2

(श्री पी० के० चौधरी)

ples. There was no difference but when the prices were received, there was a wide difference of three hundred to two hundred and the orders were placed for the perchase.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They are different and are of different rates. The names are also different when they were found to be one at the inspection they were rejected.

श्री पी० के० चौधरी : But how the Purchase Committee ordered without seeing the samples ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is not obligatory on the Purchase Committee to see.

श्री पी० के० चौधरी : The question is very clear.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not obligatory on the Purchase Committee to see it before inviting tenders ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There was no particulr difference. Articles were given according to the specifications, but later on it was found that the names were different, therefore, they have been rejected.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not correct that while inviting tenders, specification is supplied before the Committee asks for samples ?

श्री अध्यक्ष : He says, it is not obligatory.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I say it is not obligatory on the Purchase Committee.

श्री पी० के० चौधरी : I say, Sir, it is obligatory.

श्री अध्यक्ष : Then who is to decide it ? you say it is obligatory and the Minister says it is not.

श्री पी० के चौधरी : Mr. Speaker, Sir, it is a very fantastic case. There is a difference in prices of three hundred rupees.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That is why the purchase was not made. The whole thing was not put through. When they came to know they refused.

श्री पी० के० चौधरी : When the refusal was made ? After the receipt of this question ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No, immediately as soon as they were inspected.

सांचोर पशु मेले पर गैरवाजिब खर्च की जांच

६३३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १६५८ में सांचोर में लगे पशु मेले में गैरवाजिब तरीके से सरकारी धनराशि को खर्च किये जाने के मुताल्लिक कोई शिकायत आई है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उस शिकायत पर जिलाधीश, जालौर ने तीन ऑफिसरों को जांच के लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने तारीख १८-६-५८ को अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दी है ?

(३) क्या यह सही है कि उस जांच में रेवेन्यु इन्सपेक्टर श्री सूरजमल के खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने का आदेश दिया गया है और उसे चार्जशीट भी दे दी गई है मगर अभी तक उसे सस्पेन्ड नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No.3

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(४) क्या यह सत्य है कि जांच समिति ने जो आरोप लगाये थे उन्हें सही माना है ? मगर जो जो आरोप जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ थे उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है ?

उपकृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) हां ।

(२) जांच अपूर्ण है, अतः जांच पूर्ण होने पर उत्तर दिया जा सकेगा ।

(३) हां, विचाराधीन है ।

(४) हां, जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर सत्य-असत्य का मालूम होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : शिकायत किससे आई, कौन सी एजेन्सी से ?

श्री दौलतराम सारण : श्री लक्ष्मी-चन्दजी से ।

श्री तनसिंह : आपने जो प्रश्न (३) के उत्तरमें बताया कि रेवेन्यु इन्सपेक्टर सूरजमल के खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शुरू हो गई, यदि शुरू हो गई है, तो जांच का परिणाम सही माना गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा था कि विचाराधीन है ।

श्री तनसिंह : प्रश्न के भाग (३) का उत्तर आपने क्या दिया ?

श्री दौलतराम सारण : जांच जारी है और इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि १८-६-५८ को इन्टेरिम रिपोर्ट आई थी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने अर्ज किया कि जांच हो रही है ।

श्री तनसिंह : १८-६-५८ को स्पेसि-फिक रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यह जानना चाहता हूँ ।

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : उसको चार्जशीट कब दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने चार्जशीट देने को नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष : ये तो कह रहे हैं कि मामला विचाराधीन है ।

श्री तनसिंह : १८-६-५८को इन्टेरिम रिपोर्ट दी गई या नहीं ? और मंत्रीजी कह रहे हैं कि सूचना नहीं है; तो फिर प्रश्न का उत्तर क्या मानें ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि जांच अपूर्ण है ।

श्री तनसिंह : १८-६-५८ को रिपोर्ट आई या नहीं, इसका उत्तर चाहिये था ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : तीन आदमियों की कमेटी इस मामले में प्रिलिमिनेरी जांच के लिये बैठी थी, उसके सामने शिकायतें आईं, उनमें से कुछ के बारे में यह समझा गया कि ये मामले जांच होने लायक हैं । १८-६-५८ को यह तय हुआ कि इन इन मामलों में फरदर इन्क्वायरी की जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या १८-६-५८ को जो रिपोर्ट दी उसमें उसके खिलाफ चार्ज बनता है और उसके अनुसार उसको चार्ज-शीट दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : जांच हो रही है ।

Page No.4

अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट विस्फोट

६३४. श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it a fact that on 11-2-58 evening an explosion took place in a house near Dargah Khwaja, Ajmer and all the seven inmates of the house were severly burnt and five of them including the head of the family Shri Bundu Khan died instantaneously ?

(b) Is it correct that Shri Bundu Khan was a railway employee and was supplied with inflammable materials by authorities without using any protective measures to carry them to Udaipur by passenger train ?

(c) Is it correct that inflamable materials were meant for use in Udaipur Ralway Training School for polishing purposes on the eve of General Manager's inspection there ?

(d) Did the State Government make any enquiry into the causes of this explosion ? If so, has any prosecution been launched against the offenders ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(ए) हां । विस्फोट हुआ और घर के ७ व्यक्ति घायल हुए, उनमें से कोई भी घटना-स्थल पर नहीं मरा, किन्तु बाद में उनमें से ५ अस्पताल में मर गये ।

(बी) वह एक रेलवे कर्मचारी था और उसे एक स्पिरिट का पीपा रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में रंग-रोगन करने हेतु एक खोखे में रखकर दिया गया था ।

(सी) हां; यह सामान उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में रंग करने के लिये था ।

(डी) हां, जांच की गई । कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, क्योंकि यह केवल एक आकस्मिक घटना पाई गई ।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बताया कि आकस्मिक घटना थी ।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that supplying of such inflammable materials is not an offence under a certain Government Act ?

श्री रामकिशोर व्यास : We don't know. लेकिन खोखे में बन्द किया गया था । It was not open.

श्री पी० के० चौधरी : What steps the Government propose to take to prevent such occurances in future. ?

श्री रामकिशोर व्यास : इससे रेलवे डिपार्टमेन्ट का कंसर्न है, हमसे मतलब नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : Have you drawn the attention of the Railway authorities on the part of their officers.

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो खुद ने लिखा है ।

श्री श्रीभानसिंह : This accident or incident happened within the jurisdi-

Page No.5

(श्री श्रीभानसिंह)

ction of Rajasthan or within the Railway area ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान ।

श्री श्रीभानसिंह : जब राजस्थान गवर्नमेन्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ और इनफ्लेमेबुल मेटीरियल अन्प्रोटेक्टेड आया तो राजस्थान गवर्नमेन्ट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान में और कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे, मुकदमा रजिस्टर किया गया । उनका यह कहना था कि खोखे में बन्द करके दिया गया था ।

श्री पी० के० चौधरी : No. It was given in a nacked tin.

श्री रामकिशोर व्यास : अपने पास जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, वह बतलाई । वह उनको बुक करने के लिए दिया था, उन्होंने बुक किया नहीं और अपने पास कमरे में रख लिया । जिस कमरे में रखा वहां बीबी ने खाना पकाया और उसमें आग लग गई ।

श्री अर्जुनदास : Was that empty khoka secured from the house ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : क्या वह खोखा बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल गया ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर नहीं है, यह उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जी ?

श्री जनार्दनराय नागर : अगर रेलवे ट्रेनिंग उदयपुर कहें तो स्थान मालूम पड़ता है । यह उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने गौर नहीं फरमाया ।

श्री तनसिंह : How to get rid of this linguistic nuisance.

श्री जनार्दनराय नागर : उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है । रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर हो जाता है तो स्थान का नाम मालूम पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : हम बहुत आभारी हैं आपके स्पष्टीकरण के लिए ।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का ऑडिट

६३५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर, बीकानेर और टौंक का ऑडिट कब व किसके द्वारा हुआ ? क्या सरकार उक्त ऑडिट रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने को तैयार है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर का ऑडिट मई–जून १९५३ में, बीकानेर का मई १९५८ में और टौंक का नवम्बर-दिसम्बर, १९५७ में, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा हुआ ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उक्त ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखवा दी गई है। (सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गईं)।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १६४८ में कायम हुआ है और ऑडिट हुआ १६५३ में जो ऑडिट हुआ वह १६४८ से १६५३ तक का हुआ या केवल १६५३ का ही ऑडिट हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लिस्ट दी है, उसका मुलाहिजा फरमा लीजिये कि १६४८ से है या १६५३ का है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : साल खत्म होने के बाद ऑडिट होता है या तीन साल में होता है ? क्या क्राइटेरिया है सरकार का ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल फण्ड रूल्स बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत ऑडिट होता है। इसके अलावा जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते हैं तब ऑडिट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

ग्राम विकास केन्द्र, केकड़ी की जीप द्वारा दुर्घटना

६३६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the Government jeep car No. AJM 19 belonging to "Gram Vikas Kendra, Kekri" was found moving in Ajmer City on the night of 5th March, 1958 with some ladies and gents in it ?

(b) Is it correct that at 9-30 p.m. the same day it knocked down a tonga with a four year old child on it and attempted to run away ?

(c) Is it correct that one Shri Roop Kishore, who was passing that way, on hearing the hue and cry of the public tried to stop the jeep by raising alarm and standing in the middle of the road in front of the jeep but the driver instead of stopping the car knocked down Roop Kishore and ran over him ?

(d) Is it correct that Shri Roop Kishore was taken to Hospital in a very serious condition without any police help and he was not attended to for over three hours by any doctor and no X Ray of his broken ribs was taken even after 24 hours of his admission in the Hospital ?

(e) Is it correct that the driver and the other occupant of the jeep were drunk and smelling badly ?

(f) Who were these ladies in the jeep ? Were they Gram Sevikas ? Why the jeep was moving in the City ? Who were the other occupants of the jeep ?

(g) Is it correct that as some gazetted officers are involved in the case the police is trying to temper with the evidences and to hush up the case ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) सरकारी मोटर गाड़ी संख्या ए. जे.

(श्री रामकिशोर व्यास)

एम. १९ अजमेर में दिनांक ५-३-५८ को करीब ९-३० बजे जाती हुई पाई गई किन्तु उस गाड़ी में ड्राइवर के अतिरिक्त कोई नहीं था।

(२) इसने दो सवारियों को ले जाते हुए एक तांगे को टक्कर मारी उसमें कोई बच्चा नहीं था। इसने भागने का भी प्रयास किया।

(३) हां, यह सही है।

(४) जनता ने, जो घटनास्थल पर उपस्थित थी, पुलिस की प्रतीक्षा किये बिना रूपकिशोर को तत्काल ही अस्पताल में पहुँचा दिया। ड्यूटी डाक्टर ने तत्काल ही रूपकिशोर को देखा, वैसे होली की छुटियां होने के कारण उसका एक्सरे ६-३-५८ तक नहीं हो सका।

(५) जीप में ड्राइवर के अतिरिक्त कोई नहीं था और उसने शराब नहीं पी रखी थी।

(६) जीप में ड्राइवर के अतिरिक्त न महिलाएं थीं और नहीं कोई अन्य सवारियां। वह बी. डी. ओ. को उनके घर से लाने जा रहा था।

(७) नहीं, यह सत्य नहीं है न तो कोई गजेटेड अधिकारी इससे सम्बन्धित था और नहीं पुलिस ने साक्षी को मिटाने या प्रकरण को दबाने का प्रयास किया।

श्री अर्जनदास : उस बी. डी. ओ. का नाम क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह केकड़ी का बी. डी. ओ. था।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि टक्कर मारी। टक्कर मारी या टक्कर लगाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इतनी बारीकी की बात नहीं कह सकता। यह इन्टेन्शन तो कोर्ट तय करेगी।

श्री पी० के० चौधरी : 'टक्कर मारी' का मतलब है टक्कर मारने की कोशिश की, इससे इन्टेन्शन मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष : टक्कर हो गई।

श्री अर्जनदास : वह बी. डी. ओ. कहां रहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह कहां रहता है. अपने घर रहता है।

श्री अर्जनदास : उसका घर कहां है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह केकड़ी में बी. डी. ओ. है।

श्री अर्जनदास : अजमेर में कैसे आ गया ? गाड़ी कैसे आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : अजमेर में आना मना है ?

श्री अर्जनदास : आपने कहा कि गाड़ी उसको लेने जा रही थी ?

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that that day was a holiday on account of Holi and the B. D. O. was on a private visit ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर के यहां मीटिंग थी, उसको अटेन्ड करने जा रहा था।

श्री पी० के० चौधरी : Is he entitled to use the car while he was on private visit ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर के यहां मीटिंग अटेन्ड करने के लिए छुट्टी में रह गया होगा ।

श्री पी० के० चौधरी : He was not on official visit.

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिशियल विज़ीट के लिये आया था ।

श्री अर्जनदास : ऑफिशियल विज़ीट कब की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप अलग से सवाल फरमाएं ।

श्री अर्जनदास : That is connected with that

श्री पी० के० चौधरी : It was not an official day and then why the driver ran away after knocking away the torga ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि कलेक्टर की मीटिंग अटेन्ड करने के लिये आया था ।

डॉ० चन्द्रकला : होली की होलीडे कितने दिन की थी, एक्सरे में इतनी देर क्यों लगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब तो मेडिकल डिपार्टमेंट दे सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the victim of the accident was not attended by any doctor for the whole day and they did not even screen him.

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है कि उसे चोट आई है, रिब्स भी टूटी हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : पुलिस ने किस आदमी को रेस्पोन्सिबल ठहराया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ड्राइवर ।

श्री पी० के० चौधरी : ड्राइवर के खिलाफ आपने कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान कर दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : केस कब तक चलेगा ?

(हँसी)

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब अदालत दे सकती है । पुलिस ने चालान पेश कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

मतदाता सूचियों की छपाई

६३७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान की मतदाता सूचियां नई छपवाई गई हैं ? अगर हां, तो किन किन प्रेसों द्वारा और उन सूचियों के छपवाने का विभाजन किस प्रकार किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि मतदाता

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

सूचियां छपवाने के सम्बन्ध में शिकायत भी सरकार के पास पेश हुई है ? अगर हां, तो किस किस प्रेस की और उन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान के निम्नलिखित ६ जिलों की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूचियां सन् १६५८ में पुन: नई बनाकर छपवाई गई हैं। १. जयपुर २. जोधपुर ३. बीकानेर ४. कोटा ५. अजमेर ६. झालावाड़ ७. सिरोही ८. गंगानगर ६. उदयपुर। इसके अलावा समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां अनात्यान्तिक संशोधन प्रणाली (नॉन इन्टेन्सिव रिवीज़न) द्वारा बनाकर मुद्रित कराई गई।

प्रेसों की सूची जिनसे निर्वाचन व संशोधन सूचिएं मुद्रित कराई गई हैं इसके साथ सलंग्न है। सूचियों का वितरण छपाई के नियमों के अनुसार किया गया है।

(ख) कोई शिकायत नहीं आई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर कलेक्टर के ऑफिस में शिकायत आई थी कि इन सूचियों को छपवाने का बंटवारा किया गया वह गलत किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने सरकार के बारे में पूछा है कि क्या यह सही है कि मतदाता सूचियां छपवाने के सम्बन्ध में शिकायत भी सरकार के पास पेश हुई है। मैंने जवाब दिया कि नहीं आई है। कलेक्टर के पास आई होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह साफ कर दिया जाय कि सरकार की क्या डेफिनिशन है ? मैं समझता हूं कि पटवारी भी सरकार है, तहसीलदार भी सरकार है, कलेक्टर भी सरकार है।

श्री अध्यक्ष: ये सब सरकार के हिस्से हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ६३८

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

पिस्तोल व रिवॉल्वरों के लाइसेन्स

६३६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तारीख १ जनवरी को जो लाइसेन्स पिस्तोल व रिवॉल्वरों के रिन्यू होने के लिए गृह विभाग में पेश हुए थे, वे अब तक वापिस नहीं दिये गये हैं ?

(२) अगर हां, तो क्यों नहीं और अब तक नहीं देने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि टौंक में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी बन्दूकों के बहुत से लाइसेन्स रिन्यु होने को पड़े हुए हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जो लाइसेन्स रिन्यु होने के लिए गृह विभाग में ता० १ जनवरी से आये वे रिन्यु करके मार्च और अप्रेल के अंत तक पुन: जिलाधीशों के पास भेज दिये गये हैं। गृह

(श्री रामकिशोर व्यास)

विभाग में एक भी ऐसा लाइसेन्स पड़ा हुआ नहीं है।

(२) भाग १ के उत्तर से इसके उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) टौंक जिले में भी कोई भी लाइसेन्स रिन्युअल के लिए रखा हुआ नहीं है। केवल एक मामला श्रीमती इन्द्रा कुमारी, सुपुत्री रावराजा उनियारा का है। (हंसी) इस सम्बन्ध में पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो अब आ चुकी है और मंजूरी भी हो चुकी है। अब प्रार्थी को लिखा गया है कि वह अपना लाइसेन्स प्रस्तुत करे और लाइसेन्स फीस जो बाकी है वह भी जमा कराये। इन दोनों का जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): इस लाइसेन्स को रोकने का कोई खास कारण था?

श्री रामकिशोर व्यास: इन्क्वायरी करवाई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह: इन्क्वायरी किस बात की करवाई थी?

श्री रामकिशोर व्यास: रूल्स में जरूरी थी।

डॉ० चन्द्रकला: इस एक लाइसेन्स को रोकने की क्या वजह थी?

श्री रामकिशोर व्यास: मैंने अर्ज कर दिया है।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

चर्मकार सहकारी समिति

६४१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) जिला टौंक में तहसीलवाइज तथा ग्रामवाइज चर्मकारों की सहकारी समितियां कहां कहां पर हैं? तहसील उणियारा व टूनी में ऐसी समितियों के सदस्यों के क्या नाम है?

(२) जहां जहां उक्त समितियां हैं, उनको सन् १९५६, ५७, ५८ में कितनी कितनी सहायता अथवा कर्ज दिया गया?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (१) टौंक जिले में निम्न सहकारी समितियां चर्मकारों की पंजीबद्ध की हुई हैं जिनके स्थान उनके नामों के सामने अंकित किए हुए है:

नाम सहकार समिति	नाम तहसील
१. राष्ट्रीय चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, टौंक	टौंक
२. चर्म ऊन विक्रेता सहकारी समिति लि०, टौंक	टौंक
३. ऊन उत्पादक सहकारी समिति लि०, टौंक	टौंक
४. निवाई रेगर सहकारी समिति लि०, निवाई	निवाई

Page No.11

(श्री दौलतराम सारण)

५.	मालपुरा टेनर्स सहकारी समिति लि०, मालपुरा	मालपुरा
६.	मालपुरा हरिजन सहकारी समिति लि०,मालपुरा	मालपुरा
७.	चांदसेन रेगर सहकारी समिति लि०,चांदसेन	मालपुरा
८	पचेवर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, पचेवर	मालपुरा
९.	टोडारायसिंह टेनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, टोडारायसिंह	टोडारायसिंह

१०. तहसील उणियारा एवं दूनी में ऐसी समितियां पंजीबद्ध नहीं की हुई हैं। अतः सदस्यों के बतलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम स०	नाम समिति	५५-५६ ऋणानुदान	५६-५७ ऋणानुदान	५७-५८ ऋणानुदान
१.	निवाई रेगर सहकारी समिति लि०, निवाई	४२००)	४००)	४६००)
२.	मालपुरा हरिजन सहकारी स०लि०, मालपुरा	२०००)	—	—
३.	मालपुरा टेनर सहकारी समिति लि०, मालपुरा	....	२४०३)	...
४.	चांदसेन रेगर सहकारी स० लि०, चांदसेन	....	१८००)	....
५.	पचेवर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, पचेवर	...	२०००)	....

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि बनेठा में भी रेगरों ने सहकारी समिति बना कर सरकार को प्रार्थना-पत्र दे दिया था। उनको थोड़ी बहुत सहायता के रूप में रकम भी मिल गई थी पर वह सहकारी समिति बन्द कर दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : कौन सा गांव ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसील उनियारा, गांव बनेठा।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास इस प्रकार की जानकारी इस समय नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जानकारी कर लीजिये।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप पूछेंगे तो कर ली जायगी।

एक माननीय सदस्य : यह सहायता लोन के रूप में दी गई है या सब्सिडी के रूप में

श्री दौलतराम सारण : लोन के रूप दी गई।

एक माननीय सदस्य : क्या ये वापिस वसूल किये जायेंगे ?

(हंसी)

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

एक माननीय सदस्य : फिर सहकारी समिति को क्या फायदा हुआ ?

(अनवरत हंसी)

Page No.12

डॉ० चन्द्रकला : लोन जो दिया जाता है वह तो वसूल होता ही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : लोन में रुपया मिल गया यह फायदा हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

जिला बोर्ड की ओर से ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता

६४२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला बोर्ड की ओर से ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और कितनी ?

(ग) तहसील कोटपुतली में किन किन ग्राम पंचायतों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता देने की योजना है ?

(घ) क्या यह सहायता दी जा चुकी है ?

(ङ) यदि हां, तो किस किस पंचायत को कितनी और कब कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(च) क्या किन्हीं पंचायतों को यह सहायता नहीं भी दी गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) अलग अलग पंचायतों को अलग अलग कार्य व आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर दी गई है। सन् १९५३–५४ में २७५०) रु०, १९५४–५५ में १७२६०) रु०, १९५५–५६ में ६४५५) रु० दिये गये।

(ग) इस वर्ष कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) पंचायतों को सहायता देने का कोई मद बोर्ड के बजट में नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : आखिर के जवाब में आपने क्या फर्माया, दुबारा फर्मा दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह पूछा है कि क्या किन्हीं पंचायतों को यह सहायता नहीं भी दी गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दी जायेगी ? मैंने उत्तर दिया है कि पंचायतों को सहायता देने का मद बोर्ड के बजट में अब नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मैंने पूछा है कि दूसरी पंचायतों को जिस समय देने का प्रोविजन था, उस समय कुछ पंचायतों को तो दिया गया और कुछ पंचायतों को नहीं दिया गया। इस प्रकार की सहायता से वंचित रखा गया इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि अलग अलग पंचायतों को उनके कार्य व आवश्यकताओं को देख कर अलग अलग रूप से कुछ को दिया और कुछ को नहीं दिया। जिन्हें आवश्यकता नहीं थी उनको नहीं दिया।

श्री रामकरणसिंह : किस आधार पर उनके कार्य को आंका गया और उनकी आवश्कयता को समझा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही कि किसी पंचायत को भवन बनाने की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आवश्यकता है कि नहीं, उसके पास तरह इस का निर्माण कार्य है कि नहीं।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न पंचायत के भवन निर्माण, श्रमदान या निर्माण कार्यों के लिये नहीं। मेरा प्रश्न तो यह है कि जिस समय पंचायतों को खर्च के लिये सहायता देने का प्रोविजन था, उस समय कुछ पंचायतों को तो यह सहायता दी गई और कुछ पंचायतों को इस प्रकार की सहायता से वंचित रखा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी पंचायतों को समान रूप से सहायता दी जाय। अलग अलग पंचायतों के कार्य और उनकी आवश्यकताओं को देख कर अलग अलग सहायता दी गई थी। अब बजट में वह प्रोविजन नहीं रहा है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाय कि विकास के कामों के अलावा जिला बोर्डों से किसी को किसी प्रकार की मदद नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा। तीन साल तक तो दी है। पर अब बजट में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न करने का आशय यह है कि कुछ को तो इस प्रकार की सहायता दी गई और कुछ को वंचित रखा गया, तो इसमें क्या आधार रखा है गवर्नमेंट ने, यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने कोई आधार नहीं रखा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने पंचायतों के कार्य और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और अपने बजट के पैसे की गुंजाइश देखते हुए इस प्रकार की मदद दी है। पर गवर्नमेंट के इस प्रकार के आदेश नहीं हैं, डाइरेक्शन्स नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स फ्री हैं, चाहे उसको दे सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह समझा जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेरिटी फंड्स हैं, जिसका नम्बर आ गया आ गया, उसको दे दिया, और जो रह गया वह रह गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Question of opinion.

प्रश्न संख्या ६४३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थिति)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

फोरेस्टरों को टी.ए. व डी.ए.

६४४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वन विभाग के कर्मचारियों को पांच मील से दूर आने जाने का टी.ए.व डी.ए. दिया जाता है ? यदि हां, तो फोरेस्टरों को इससे क्यों वंचित रखा जाता है ?

(ख) क्या वन विभाग के फोरेस्टरों को टी.ए.व डी.ए. देने पर सरकार विचार करेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) वन विभाग के सभी कर्मचारियों को उनके मुख्य स्थान (हैडक्वार्टर) से ५ मील

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बाहर की सड़क यात्रा के लिए टी.ए. डी.ए, नहीं दिया जाता । कुछ राज्य कर्मचारी उनके हल्के में सड़क से यात्रा करने पर टी.ए. पाने के अधिकारी नहीं हैं। राजस्थान टी.ए. रूल्स के परिशिष्ट १ में ऐसे राज्य कर्मचारियों की सूची दी गई है, जिसमें रेंजर्स और फोरेस्टर्स सम्मिलित हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि ऐसे ही दूसरे विभागों के राज्य कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

राजस्थान फूडग्रेन लाइसेन्सिंग आॅर्डर, १९५८ का लागू होना

६४५. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state :—

(a) From what date the Rajasthan Food grains Dealers Licensing Order, 1958 has been enforced in the State, in which parts of the State it has been enforced ?

(b) How many dealers have so far been issued licence under the order ? How many of them have been refused licence under the order? The names of those who have been refused licence may be given?

(c) What quantities of wheat have so far been requisitioned by the State Government from such dealers or other sources under the Rajasthan Wheat (Requisition of Stocks) Order, 1958 ? The names of persons and places from where wheat has been requisitioned may please be stated?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) The order referred to has been enforced from 30-9-58 in Rajathan. It has been enforced effectively throughout Rajasthan.

(b) So far 1,731 foodgrain licences have been issued under the Rajasthan Foodgrain Dealers Licensing Order, 1958. So far 61 dealers have been refused licences. Their names are being placed on the table of the House.

(c) So far 1,559 Mds. of wheat has been requisitioned in Bharatpur District and 13681 Mds. in Jaipur District. A list of the names of persons from whom stocks have been requisitioned is being placed on the table of the House. About 8,000 Mds. of grains have been requisitioned in the Sawai Madhopur District also, but information has not reached as to how much of this is wheat.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : This requisition has been done under what circumstances ?

रिक्विज़िशन किन सर्कम्स्टान्सेज़ में किये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is given in the rules. When the case is covered by the rules, it is requisitioned.

अगर कोई आदमी होर्ड करता है, इस नीयत से कि बाद में फायदा उठायेगा तो रिक्विज़िशन किया जा सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी : Why all the requisition has been done only in Jaipur District and only a little in Bharatpur and Sawai Madhopur, whereas most of this smuggling takes place in Bharatpur and other districts?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : होर्डर्स जहां पर ज्यादा हैं वहीं।

श्री पी० के० चौधरी : सुना नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां जहां होर्डर्स थे कलेक्टर्स ने महसूस किया।

We have issued powers and instructions to the Collectors.

जहां जहां होर्डर्स नजर आये वहां।

श्री पी० के० चौधरी : तो क्या यह माना जाय कि सारे के सारे होर्डर्स जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, गंगानगर और दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न कि सवाई माधोपुर में भी रिक्विज़िशन किया है। आपने गेहूँ का पूछा है, इसलिये गेहूँ के रिक्विज़िशन का उत्तर दिया गया है। वैसे दूसरा अनाज और और जगहों पर भी होर्ड किया हुआ था उसको रिक्विजिशन किया गया है। गंगानगर में भी ग्राम का रिक्विज़िशन बहुत किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एन्फोर्स करने की तारीख पहले भी निश्चित हुई थी, तो पहले एन्फोर्स क्यों नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले टाइम नहीं दिया था कि किस तारीख तक....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्वेन्टी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर उसमें था, तो फिर ३० क्यों की ?

(कुछ क्षण विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो देख कर बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारण थे।

(हंसी)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री पी० के० चौधरी : You have stated that it has been enforced effectively, then what is the reason that...

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां।

(दोनों के साथ साथ बोलते रहने पर हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : You have said that Licencing Order has been enforced throughout Rajasthan. Then what is the reason that only 1700 dealers have been licenced so far and not more ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is not for the producers...

५०० मन से ज्यादा है, उसके लिये है।

श्री पी० के० चौधरी : Am I to understand that there are only 1700 dealers all over Rajasthan who have stocks of foodgrains ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.16

सीतोड़ व पिपलाई के नालों पर पुल का निर्माण

६४६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लालसोट से गंगापुर जाने वाली सड़क पर सीतोड़ व पिपलाई का नाला पड़ते हैं ?

(२) क्या वर्षा ऋतु में उपरोक्त नालों के कारण १५-२० रोज तक यातायात रुक जाता है ?

(३) क्या यात्रियों को गले तक पानी पार करना पड़ता है, जिससे जान-जाने का पूरा खतरा है ?

(४) क्या यह सच है कि गत वर्ष उक्त नालों में पांच व्यक्ति बहकर मर गये, जिनकी लाश का आज तक पता नहीं है ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त नालों पर पुल बनवायेगी ?

(६) यदि बनवायेगी तो कब, और नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) केवल ८ या १० घंटे तक बहुत तेज बारिश होने पर दो या तीन दिन।

(३) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(४) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं है।

(५) इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है।

(६) प्रश्न नहीं उठता, अर्थाभाव के कारण।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि २० साल से यह नाला है, जो टूटा हुआ है, बारहों महीने इसमें पानी भरा रहता है, हर साल इस तरह की दिक्कत आती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नहीं, २० साल से ही नहीं, नाले तो बहुत सालों से हैं। बरसात भी हमेशा होती है, बरसात के दिनों में बहते भी हैं और रास्ते भी रुकते हैं, पर सभी नालों को एक साथ बनवाना यह धन की कमी के कारण आसानी से नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि ५ व्यक्ति मर कर उसमें बह गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है।

एक माननीय सदस्य: तो क्या माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुना होगा तभी लिखा है।

एक माननीय सदस्य : जानकारी बताने पर क्या उन्हें मुआवजा दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं जी, ऐसे तो कई नदियों, नालों में बह जाते हैं, डूब जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मर कर नहीं बहे होंगे, बह कर मर गये होंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इसके बारे में पहले भी कई बार मांग की गई है, आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई

Page No.17

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

नहीं हुई है। तो क्या इनका बनवाना वाजिब नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सो तो वाजिब है। पैसे मिलने पर जरूर इन्तजाम किया जायगा।

ग्राम मंडावरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

६४७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा मु०) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम मंडावरा, तहसील बड़ौद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय कब से चल रहा है!

(ख) उक्त चिकित्सालय किस श्रेणी में है?

(ग) ग्राम मंडावरा में रोगियों की अधिकता को देखते हुए क्या सरकार इस चिकित्सालय को उच्च श्रेणी में रखने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सन् १९४९ से।

(ख) 'सी' श्रेणी में है।

(ग) ग्राम मंडावरा में दैनिक रोगी संख्या का अनुपात २५ से कम है। ऐसी दशा में इसके उच्चस्तरीयकरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : रोगियों की संख्या कहां तक बढ़ने पर उसको 'बी' श्रेणी में रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ताकि बढ़ाई जावे।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप रोगियों को बढ़ाने का इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन

६४८. डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : Will the Home Minister be pleased to state :

(1) Is it fact that there has been a practice in Rajasthan Police Radio Organisation upto 1-11-55 to promote the Assistant Sub-Inspector Operators qualified as grade two from D. C. P. W., New Delhi to the rank of Sub-Inspectors ? If so, why the Radio Staff of Ex-Ajmer State with requisite qualifications have not been promoted ?

(2) Is there any single instance in Rajasthan Police Radio Organisation that the qualified operators from D. C. P. W., New Delhi have not been promoted to the rank of Sub-Inspector ?

(3) Why the qualified operators grade two from D. C. P. W. and even of grade one have not been given this chance ?

श्री गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। डी. सी. पी. डब्ल्यु., नई दिल्ली से सेकिन्ड ग्रेड टू, असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टरों को सब-इन्सपेक्टर के पद पर

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रोमोट किया गया। अजमेर के अमले पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसमें कोई भी असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर नहीं था।

(२) असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर में कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है।

(३) इसमें से कोई भी असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर नहीं था, अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिकराय तहसील में दवा का कोटा

६४६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५६-५७ में सिकराय तहसील में दवा का कितना कोटा मंजूर हुआ ?

(२) क्या कोटा के माफिक दवा दी जाती है ? अगर हां, तो ५६-५७ में कितने रुपयों की दवा दी गई ?

(३) सन् ५६-५७ में दवा का कितना बजट था और दवा कितनी दी गई ?

(४) क्या बजट में निर्धारित रकम कम पड़ती है तथा पानी मिला कर दवा की पूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर ध्यान देकर पूर्ति करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सन् १९५६-५७ में सिकराय अस्पताल के लिये दवा के लिये १५००) रु० प्रदान किये गये थे।

(२) जी हां, कोटा के मुताबिक ही दवायें दी जाती हैं। सन् १९५६-५७ में उपरोक्त अस्पताल को ५२१.६६ नये पैसे की दवा दी जा सकी।

(३) इसका उत्तर ऊपर के प्रश्नों में दिया जा चुका है।

(४) जी नहीं। इस अस्पताल का कोटा इस वर्ष १५००) से बढ़ा कर २०००) कर दिया गया है। पानी मिलाकर पूर्ति करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जलवाड़ा रेन्ज में घास की कटाई

६५०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सहयोग से बारां जंगलात विभाग के अन्तर्गत जलवाड़ा आदि रेन्ज में घास कटवाया गया और गट्ठे बंधवाये गये ?

(२) यदि हां, तो कितने गट्ठे बांधे गये तथा उन पर कुल खर्चा कितना हुआ ?

(३) यह घास के गट्ठे किस किस स्थान पर भेजे गये और किन किन महीनों में ? यदि नहीं भेजे गये तो इन गट्ठों का क्या हुआ ?

(४) क्या इन गट्ठों की ढुलाई के लिए किशनलाल मिस्त्री मार्फत शंकर आॅयल मिल्स, बारां को ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो फिर इसको कैन्सल क्यों किया गया ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आर्थिक सहयोग से कोई घास नहीं कटवाया गया। राज्य सरकार ने ही घास कटवाया था व गट्ठे बंधवाए थे।

(२) १४१६६।।।ऽ मन घास कटवाया गया। इस पर १७२६१.०४ नये पैसे खर्च हुए थे। इनमें से ७००ऽ मन गट्ठे बंधवाए गए।

(३) घास के गट्ठे कहीं नहीं भेजे गये। गट्ठे वहीं रखे हैं।

(४) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने पहले भी कहा था कि ये गट्ठे वहीं पर रखे रहे और वहां पर बरसात में भीग कर खराब हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो बरसात की बात को घास के साथ जोड़ देते हैं। ७००ऽ मन की तो बेलें बंधवा दीं, बाकी को इकट्ठा करके रखा और स्टॉक कर दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : पहली बार आपने कहा था कि घास हटा लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह नहीं कहा कि घास नहीं उठाया। ऐसा अलग अलग पड़ा था, उसको उठाया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि इसके लिये किसी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का ठेका नहीं दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहीं पर घास पड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ कटे हुए घास में से कुछ दूसरे स्थानों पर भेज दिया और भेजा जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : भेजा जाने को था। ब्रॉड गेज के इलाकों में भेजने की चीज थी, मगर किसी ने मंगाया नहीं और इस कारण भेजा नहीं। इसको प्रोपरली स्टॉक करके रखा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भीनमाल आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्य

श्री तनसिंह (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर के भीनमाल आयुर्वेदिक औषधालय में कौन वैद्य है और कितने अर्से से वहां पर है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने भीनमाल से जमीन लेकर काश्त करानी शुरू कर दी है और इस कारण औषधालय में दिलचस्पी नहीं लेता है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :
(१) जिला जालौर के भीनमाल आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य श्री बाबूलाल हैं, जो अपनी नियुक्ति के दिनांक १-६-४२ से ही वहां कार्य कर रहे हैं।

(२) उक्त वैद्य ने भीनमाल में जमीन लेकर काश्त करानी शुरू कर दी है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। इस वैद्य के औषधालय में दिलचस्पी न लेने की कोई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

शिकायत नहीं हुई है । अब इस वैद्य का स्थानान्तरण किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन

६५२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा सन् १९५५-५६, ५६-५७, ५७-५८ में किन किन ऐसे समाचार पत्रों को, जिनको चालू हुए ६ माह नहीं हुए थे, सरकारी विज्ञापन दिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार से विज्ञापन देना, विज्ञापन देने की चालू व्यवस्था के विरुद्ध है ? यदि हां, तो फिर ये विज्ञापन क्यों दिये गये ?

(३) जनवाणी कोटा, ललकार जोधपुर, आयोजन जयपुर किस तारीख से चालू हुए और इनको पहला सरकारी विज्ञापन किस तारीख को दिया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) १९५५ से ५८ के बीच जिन समाचार पत्रों को इनके चालू होने के ६ माह के भीतर सरकारी विज्ञापन देना शुरू किया गया था उनकी सूची नीचे दी जा रही है :

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता ।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर से सुन लीजिये :

(१) १९५५ से ५८ के बीच जिन समाचार पत्रों को इनके चालू होने के ६ माह के भीतर सरकारी विज्ञापन देना शुरू किया गया था, उनकी सूची नीचे दी जा रही है :

नवयुग, हिन्दी दैनिक, जयपुर ।

आयोजन, साप्ताहिक, जयपुर ।

(२) यह सही नहीं है कि इस प्रकार विज्ञापन देना, विज्ञापन देने की चालू व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार समाचार पत्र चालू होने के कुछ महीने के बाद विज्ञापन शुरू किये जा चुके थे ।

(३) यह जानकारी नीचे दी जाती है :

पत्र का नाम

जनवाणी, कोटा ।

ललकार, जोधपुर ।

आयोजन, जयपुर

प्रकाशित होने का दिनांक

फरवरी १९५४

नवम्बर १९४९

फरवरी १९५७

विज्ञापन के लिये स्वीकृत

दिसम्बर १९५४

अक्टूबर १९५४

मार्च १९५७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६ महीने पूर्व भी आपने किसी पत्र को विज्ञापन दिया हो उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास: जी हां । वह है—राष्ट्रदूत ।

Page No.21

श्री पी. के. चौधरी : इन्होंने प्रीसीडेन्ट नहीं पूछा है। आपके रूल्स क्या हैं, यह पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास : पाबन्दी ६ महीने की है ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि ६ महीने पहले विज्ञापन देकर सरकार उस पेपर को फेवर कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार इस पर विचार कर रही है। सैन्टर वाले इस पर कोई रूल्स बनावें। प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर विचार कर रही है।

श्री पी. के. चौधरी: यह कब की रिपोर्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : काफी दिन हो गये हैं रिपोर्ट को दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या इसके लिये कोई मिनिमम कोटा निर्धारित है ?

श्री रामकिशोर व्यास: नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जब किसी पेपर को निकलाते हुए ६ महीने नहीं हुए, तो सरकार ने किस तरह से उसके सर्कुलेशन को सही माना है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनके डिक्लेरेशन पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन दोनों पत्रों ने कोई ६ महीनों के अर्से में इनका कितना सर्कुलेशन है, नहीं बताया। इसलिये इन पर यह रूल एप्लाई नहीं करता।

श्री रामकिशोर व्यास : सप्लाई करता है।

श्री भैरोंसिंह : इनका कितना सर्कुलेशन है ?

श्री रामकिशोर व्यास: मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री संपतराज : क्या सरकार को यह ध्यान में है कि इसके लिये पहले क्षेत्रिय विधायकों से सलाह लेनी चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास: नहीं।

श्री संपतराज : मैं यह आपको निवेदन करूंगा कि अखबार में कल ही आया है कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायकों से सलाह ली जावे।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा लिखा है तो जरूर करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट के पास कोई एजेन्सी......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जालौर जिले की चालू तहसील पंचायत

६५३ **श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचंद की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जालौर जिले में कौन कौन सी तहसील पंचायतें कार्य कर रही हैं और कौन कौन सी नहीं ?

(२) आहोर तहसील पंचायत का चुनाव कब हुआ और उस पंचायत ने कार्य कब से कब तक किया ?

(३) क्या यह सत्य है कि आहोर तहसील पंचायत करीब डेढ़ साल से कार्य

(श्री तनसिंह)

नहीं कर रही है, क्योंकि उसका चुनाव अवैधानिक करार दे दिया गया था ?

(४) सरकार ने उसके बाद उक्त पंचायत का चुनाव वापिस कराने के लिये कौन कौन सी तारीखें मुकर्रर की थीं और क्या उन तारीखों में तहसील पंचायत का चुनाव हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जालौर, जसवन्तपुरा और सांचोर तहसील पंचायतें कार्य कर रही है। आहोर तहसील पंचायत कार्य नहीं कर रही है।

(२) आहोर तहसील पंचायत का चुनाव १०-११-५६ को हुआ था। उक्त पंचायत ने २-१-५७ से १-११-५७ तक कार्य किया।

(३) जी हां। एक साल से कार्य नहीं कर रही है।

(४) चुनाव कराने के लिये निम्न दिनांक निश्चित किये गये, किन्तु चुनाव निम्नलिखित कारणों से नहीं हो सका :

(१) २५-२-५८ को पंचों व सरपंचों के सम्मेलन होने से।

(२) १०-४-५८

(३) १५-५-५८ इस तिथि के कुछ ही समय पूर्व निर्वाचनाधिकारी की माताजी का देहान्त होने के कारण।

(४) ३०-६-५८ को चुनाव के आदेश देर से पहुंचने से।

(५) २१-८-५८ समस्त राजस्थान में वर्षा ऋतु के कारण चुनाव सभी जगहों के स्थगित किये गये थे।

श्री तनसिंह : पांच बार यह चुनाव स्थगित किये गये, तो अब छटी बार कब रखा जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : अभी वहां पर ग्राम पंचायतों के चुनाव बाकी है। उनके होते ही कर दिये जावेंगे।

श्री तनसिंह : इससे पहले क्यों नहीं हो सकता ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ ग्राम पंचायतों का चुनाव हो चुका है और कुछ का बाकी है, सब का एक साथ हो जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अधिकारी की माता जी की मृत्यु पर कितनी बार स्थगित हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : एक बार।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

झालावाड़ जिले में सड़क निर्माण

६५४. **श्री रामचन्द्र** (डागा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झालावाड़ जिले की सभी तहसीलों को एक दूसरे से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने का सरकार ने निर्णय किया है ?

(२) यदि हां, तो अब तक वहां की कौन कौन सी तहसीलें जोड़ दी गई हैं और शेष कब तक जोड़ दी जावेंगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) डग तहसील के अतिरिक्त सभी तहसीलें जोड़ दी गई हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री रामचन्द्र : पहले प्रश्न का क्या उत्तर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। आपने सड़क से जोड़ने का प्रश्न पूछा था। पहले यह विचार किया गया कि दो हजार तक की आबादी के सारे कस्बों को जोड़ दिया जाय। प्लान का कर्टेलमेन्ट हो गया और इसलिए यह विचार हुआ कि पांच हजार तक की आबादी वाले हैडक्वार्टर्स को जोड़ दिया जाय। पांच हजार तक के कई तहसीलों के हैडक्वार्टर नहीं हैं, इसलिए फिर यह निर्णय लिया गया कि जिलों को तो जोड़ दिया जाय। तहसीलों को जोड़ दिया जाय यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो डग की तहसील ही बाकी रहती है।

श्री रामचन्द्र : सुनेल और पिड़ावा की आबादी ६-७ हजार है, तो क्या दोनों को जोड़ दिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक मेरी जानकारी है, डग की तहसील को ही जोड़ना बाकी है, बाकी पर काम चल रहा है।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न है कि सुनेल और पिड़ावा को नहीं जोड़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनेल तो अब आया है।

श्री रामचन्द्र : राजस्थान का तो भाग है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आया है और उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही है कि सुनेल और पिड़ावा को पहले मध्यभारत में जोड़ देने की बात थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आया है। अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे पहले का मालूम नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : प्लान का कर्टेलमेन्ट हो गया तो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जो टार्गेटस् निश्चित किये थे, तो उनमें से कितना कर्टेलमेन्ट हुआ ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्लान के कर्टेलमेन्ट का सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ८॥। करोड़ के लिए मुकर्रर हैं, उसमें कोई कर्टेलमेन्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

उम्मेद मिल के मजदूर श्री दाऊलाल की शिकायत

६५५. श्री मूलचंद डागा (पाली) **:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या पाली उम्मेद मिल्स के हवाघर खाते के मजदूर श्री दाऊलाल की कोई शिकायत श्रम विभाग में अगस्त या सितम्बर सन् १९५८ में आई ?

(२) यदि हां, तो किस आशय की तथा उस पर श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) शिकायत यह थी कि किसी दाऊलाल पुत्र मेघराज, को १७ अगस्त को सस्पेन्ड कर दिया गया। इस मामले की जांच जोधपुर श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा की गई और कन्सीलेशन की प्रोसिडिंग्स की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार को मालूम है कि उसको सर्विस से डिस्मिस कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास उसको सस्पेन्ड करने की जानकारी है।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसी तारीख को कन्सीलेशन की प्रोसिडिंग्स शुरू हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी हाल ही में हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में कितनी बार कन्सीलेशन ऑफिसर गया और कब कब गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने अर्ज किया कि कन्सीलेशन अधिकारी द्वारा जांच की जाकर प्रोसिडिंग्स जारी है।

आहू नदी पर पुल का निर्माण

६५६ **श्री रामचन्द्र** (डग-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ जिले में भीकड़िया और सुनेल के बीच आहू नदी पर पुल बनाने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से भारत सरकार, मध्य भारत सरकार तथा राजस्थान सरकारों ने ली थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस पुल के बनने की मंजूरी दे दी गई तथा टेन्डर भी मांगे जा चुके थे ?

(३) क्या सुनेल की जनता ने कई बार इस पुल के बनवाने के बाबत सरकार से प्रार्थना की है ?

(४) भविष्य में इस पुल के बनाने के बाबत सरकार की क्या नीति है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) मध्य भारत सरकार को यह पुल निर्माण करना था, परन्तु उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यह एरिया राजस्थान में विलीन हो गया है। इसलिये राजस्थान सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया है।

(३) जी हां।

(४) मंहगाई के कारण इसका रिवाइज्ड एस्टिमेंट बनाया जा रहा है। एस्टिमेंट पास होने पर कार्य को हाथ में लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

विक्रय हेतु पशु

६५७. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर-नगर-पश्चिम): Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer the following:--

(a) Is it a fact that the Ajmer Municipal Committee has passed Bye-laws for slaughter of the animals for sale in the town of Ajmer and sent

Page No.25

(श्री अर्जुनदास)

them on to the State Government for final sanction ?

(b) If yes, when did the Ajmer Municipal Committee pass the said Bye-laws ?

(c) When the acceptance of the said Bye-laws can be expected ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) Yes.

(b) Draft Bye-Laws were passed by the Ajmer Municipal Committee in April, 1953 under the former Ajmer State.

(c) Rajasthan Government have not received the draft Bye-Laws, nor copies of other relevant papers.

'नवजीवन' पत्र को विज्ञापन का पेमेन्ट

६५८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५५-५६ में 'नवजीवन' समाचार पत्र को सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के द्वारा विज्ञापनों के लिये कितना पेमेन्ट किया गया था ?

(२) क्या इस पेमेन्ट में ऐसे विज्ञापनों का पेमेन्ट भी शामिल है जिसका विज्ञापन से पूर्व विभाग द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसा कितना पेमेन्ट हुआ है और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार के पेमेन्ट के लिये एडवर्टाइज़मेन्ट विभाग के इन्चार्ज ने विरोध किया था ?

(४) इस विभाग द्वारा किस किस तारीख को विज्ञापन के लिये इस पत्र को आदेश दिए गये तथा किस किस तारीख को इस पत्र में ये विज्ञापन छपे ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुछ भुगतान नहीं किया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि सन् ५५-५६ में 'नवजीवन' को विज्ञापन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका प्रश्न यह है कि सार्वजनिक कार्यालय द्वारा क्या दिया गया ? मैं इसको और साफ कर दूँ कि उस वक्त यह रिवाज था कि जिस महकमे का एडवर्टाइज़मेन्ट है वही उस विज्ञापन का पेमेन्ट करे। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट से पेमेन्ट नहीं होता था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन डिपार्टमेन्ट्स से ऐसे पेमेन्ट भी हुए हैं जिन विज्ञापनों के लिए कि कोई आदेश ही डिपार्टमेन्ट से जारी नहीं हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं निवेदन नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जितने विज्ञापन होते हैं वे सार्वजनिक सम्पर्क

(श्री भैरोंसिंह)

कार्यालय द्वारा ही समाचार पत्रों को भेजे जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा ही उन पत्रों को विज्ञापन का पेमेन्ट किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड सार्वजनिक कार्यालय को विज्ञापन छपने के लिए भेज देता था किन्तु पेमेन्ट तो उसी डिपार्टमेन्ट से ही होता था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस विज्ञापन के सम्बन्ध में सार्वजनिक कार्यालय के लिखने पर ही उस समाचार पत्र को पेमेन्ट होता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे बिल वहाँ सब्मिट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 'नवजीवन' समाचार पत्र ने ऐसा भी बिल पेश किया और उस विज्ञापन का पैसा मांगा जिसके लिए विभागीय आदेश नहीं हुए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास: मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ५५-५६ में कितने विज्ञापन इस नवजीवन समाचार पत्र को कार्यालय द्वारा दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के हरिजनों की तनख्वाह

६५६. **श्री रामचंद्र** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ जिले में नगरपालिकाओं तथा पंचायतों में सफाई करने वाले हरिजनों की तनख्वाहों की क्या दर है तथा क्या यह समय पर दे दी जाती है ?

(२) इनसे कितने घंटे सुबह और कितने घंटे शाम को काम लिया जाता है ?

(३) एक वर्ष में उन्हें कितने दिन सवेतन अवकाश दिया जाता है ? क्या गर्भवती स्त्रियों के साथ कोई रिआयत की जाती है?

(४) क्या यह वेतन न्यूनतम वेतन के अनुसार है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) १. झालावाड़ ३५) रु०
२. झालरापाटन ३०) रु०
३. भवानी मंडी ३७) रु०
४. पिड़ावा ३५) रु० पुरुषों को
५. २७॥) रु० स्त्रियों को

वेतन समय पर दे दिया जाता है। पंचायतों में कोई निर्धारित दर नहीं है। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वेतन देते हैं और कहीं कहीं पार्टटाइम और कन्ट्राक्ट बेसिस पर भी काम कराया जाता है। वेतन प्राय: समय पर ही दे दिया जाता है।

(२) तीन घंटे प्रातःकाल व तीन घंटे सायंकाल कार्य लिया जाता है। पंचायतों के

Page No.27

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सिलसिले में प्रश्न १ के उत्तर के बाद प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(३) झालावाड़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को वर्ष में सात रोज का सवेतन अवकाश दिया जाता है व गर्भवती स्त्रियों को प्रसव के समय एक माह का सवेतन अवकाश दिया जाता है । इसके अतिरिक्त त्योहारों का अवकाश भी दिया जाता है ।

झालरापाटन नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को वर्ष में १५ दिन का रियायती व १५ दिन का इत्तफाकिया अवकाश सवेतन दिया जाता है । त्योहारों का व साप्ताहिक अवकाश भी सवेतन दिया जाता है ।

(४) कोई न्यूनतम वेतन मुकर्रर नहीं हुआ है ।

श्री रामचंद्र : पंचायतों के कर्मचारियों को क्या तनख्वाह दी जाती है । यह तो म्यूनिसिपल बोर्ड्स के लिए फरमाया । पंचायत के कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, यह बता दीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया कि उनको या तो पार्टटाइम बेसिस पर या कन्ट्राक्ट बेसिस पर रखते हैं और जैसी सहूलियत पंचायतें दे सकती हैं, आर्थिक स्थिति के अनुसार, उन्हें दी जाती है ।

श्री रामचंद्र : वे कायदे से नौकर रखे जाते हैं । उनकी समय पर हाजरी ली जाती है । यदि नहीं जायं किसी दिन, तो गैरहाजरी हो जाती है और उनका वेतन काट लिया जाता है । लोगों को आठ आठ दस दस महीने से वेतन नहीं मिला है । १०)-१२) रु० उन्हें मिलता है यह है इसका उत्तर ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तनख्वाह की जो शिकायत है वह दो पंचायतों की है । एक तो मनोहर थाना और दूसरा डग । डग में आर्थिक संकट के कारण वेतन नहीं चुकाया गया और दूसरी पंचायत की कोई शिकायत नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला: इस विभाग की गर्भवती स्त्रियों को एक माह का ही सवेतन अवकाश क्यों दिया जाता है जबकि दूसरे विभागों में तीन माह का सवेतन अवकाश दिया जाता है, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि अन्य विभागों में तीन माह का सवेतन अवकाश दिया जाता है ।

श्री भैरवलाल काला बादल : आपके इस विभाग में रिश्वतें ली जाती हैं उसका क्या करते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री सम्पतराज : क्या पंचायतों के लिए एक से नियम हों, इस दृष्टि से कोई नियम बनाये जा रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

अन्ता के मोटर स्टैन्ड के पास की जमीन होटल वाले द्वारा दबा लेना

६६०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.28

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(१) क्या यह सही है कि अन्ता (जिला कोटा) के मोटर स्टेन्ड पर बने एक चाय के होटल वाले ने पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन दबा रखी है ?

(२) यह होटल कितने समय से यहां स्थित है तथा इसका मालिक कौन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तीन स्टाल्स थे, एक हटा दिया गया बाकी २ के लिये कार्यवाही चालू है ।

(२) २ वर्ष । श्री पन्नालाल, तथा एक सिन्धी ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कि दो साल से होटल लगा हुआ है तो अब तक उसको हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह होटल सड़क से करीब तीस चालीस फीट दूरी पर स्टाल में बना हुआ है । आम तौर पर जो पेसेन्जर मोटर से उतरते हैं वे चाय पीते हैं । उसके लिये आप जैसे किन्हीं आदमियों ने शिकायत की । इस पर एक तो स्टाल हटवा दिया गया है, दो के हटाने की कार्यवाही चालू है । यदि कोई आदमी चाय बनाकर अपना पेट पालन करता है तो इसमें पी० डब्ल्यू० डी० को कोई एतराज नहीं, और न आपको ही होना चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सड़क के किनारे होटल लगाने की सरकार इजाजत देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह होटल सड़क से चालीस फीट की दूरी पर है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या चालीस फीट की दूरी पर होटल लगता है तो पी० डब्ल्यू० डी० को कोई एतराज़ नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क से चालीस-पचास फीट की दूरी पर म्यूनिसिपैलिटी का एरिया पड़ता है, फिर भी आप लोगों ने शिकायत की । हमने हटाने के लिये कलक्टर को लिख दिया है ।

जनाना अस्पताल, जयपुर में इन्क्वायरी ऑफिस

६६१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या मंत्री चिकित्सा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जनता की सुविधा हेतु जनाना अस्पताल जयपुर में कोई इन्क्वायरी ऑफिस खुला हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या वह ऐसी जगह है जहां जनता को जाने और पूछताछ करने में काफी असुविधा रहती है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त इन्क्वायरी ऑफिस में डॉक्टर ऑफिसर ऑन ड्यूटी के कमरे का भी पता नहीं रहता और न डॉक्टर का ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) जी नहीं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : बहां जहां इन्क्वायरी ऑफिस नहीं है तो कोई व्यक्ति किसी से मिलना चाहे तो वह तलाश कहां से करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गेट पर एक आदमी होता है उससे हरेक आदमी जानकारी करता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार मर्दाना अस्पताल में इन्क्वायरी ऑफिस है उसी तरह का इन्क्वायरी ऑफिस वहां क्यों नहीं है ? यह एक अजीब तमाशा है। जब किसी व्यक्ति को कुछ जानकारी हासिल करनी हो तो वह कहां से करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गेट पर आदमी २४ घंटे रहता है वह आदमी ठीक प्रकार से काम चलाता आरहा है। उसके बारे में आज तक कोई शिकायत नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उस आदमी पर इन्क्वायरी ऑफिस का बिल्ला लगा हुआ है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्क्वायरी ऑफिस का बिल्ला किसी आदमी पर लगता नहीं, वह तो ऑफिस पर लगा रहता है।

श्री अर्जुनदास : Is there any order in writing that these are his particular duties? Is there any order in writing to that effect that he has to perform these duties?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर एक आदमी को हर बात राइटिंग में दी जाय, यह तो कहीं होता नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार वहां की अव्यवस्था को देखते हुए इन्क्वायरी ऑफिस को स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज तक तो किसी प्रकार की शिकायत नजर नहीं आई है। यह पहली पहल शिकायत की गई है। मैं कई बार गया हूं। इस बात की शिकायत किसी ने मुझ से नहीं की।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय को इसमें दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें तो जनाना अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन जनता को इससे कठिनाई अवश्य है।

श्री अर्जुनदास : He can also be treated as equivalent to a woman.

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे तो जापा नहीं कराना है। जो जाते हैं उनकी भी शिकायत नहीं है। यह भी सवाल पुरुषों की तरफ से आया है। मैं इन्स्पेक्शन करने गया, वहां मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली।

श्री पी० के० चौधरी : जो आदमी गेट पर रहता है उसका डेजिगनेशन क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चौकीदार है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला बोर्ड-जयपुर के अध्यापक

६६२. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला बोर्ड, जयपुर में ग्रीष्म अवकाश के पूर्व कुछ अध्यापकों को सेवा भार से मुक्त कर दिया था ?

(२) यदि हां, तो किन किन को व किस नियम के मातहत ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

Page No.30

(श्री रामकरणसिंह)

(३) क्या यह भी सत्य है कि जिला बोर्ड की कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव पास किया कि सेवा भार से मुक्त किये गये अध्यापकों को स्वीकृति आने पर रख लिया जावे ?

(४) किन किन अध्यापकों को पुन: रखा और किन को नहीं ? नियुक्ति की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां ।

(२) जिन जिन अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया था उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इन अध्यापकों के रखने की सरकार से स्वीकृति ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक ही दी गई थी अत: उसके आधार पर उनको पृथक् कर दिया गया था ।

(३) कार्यकारिणी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया ।

(४) जिन अध्यापकों को पुन: रक्खा और जिन जिन को पुन: नहीं रक्खा उनकी सूची नं० २ मय आवश्यक विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

कार्यकारिणी का ऐसा कोई निर्णय नहीं था ।

मार्च ५८ से आज तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी सूची नं० ३ सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में फरमाया कि कार्यकारिणी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया तो जो टीचर्स बाद में रखे गये थे, क्या उनके बारे में किसी प्रकार की चर्चा कार्यकारिणी में नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ महीने के लिये अपॉइन्टमेन्ट किया गया और ग्रीष्मकाल आने पर उनको हटा दिया गया । उसके बाद अगर फिर से उनकी दरख्वास्त आती है तो उनको रिएम्प्लॉय कर लिया जाता है, प्रस्ताव की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या अध्यापकों की स्वीकृति की चर्चा कार्यकारिणी में हुई थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चर्चा की बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो जवाब मेरे पास आया है उससे ऐसा मालूम होता है कि कार्यकारिणी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया ।

श्री रामकरणसिंह : इस प्रकार से जो टीचर्स पुन: रखे गये क्या उनमें से पहले जो काम कर रहे थे उन्हीं को रखा गया या उनको हटा कर दूसरों को रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा उन लोगों को रख लिया गया जिन्होंने दुबारा आवेदन किया था और जिनको नहीं रखा गया, हो सकता है, वे दूसरी जगह काम करते हों ।

श्री रामकरणसिंह : मैंने सूची देख ली है उनमें ७१ को रख लिया गया १६ हटाये गये, उनमें से जिनको दुबारा रखा गया उनकी संख्या ५० के करीब है और १३ टीचर्स जो पहले से काम कर रहे थे उनको हटाकर दूसरों को रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहली जो सूची दी है उसमें वे लोग हैं जिनका समय खत्म हो जाने पर जिनको हटाया गया ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दूसरी सूची में २६ आदमी रखे गये, जिनमें से १४ आदमी नहीं रखे गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो म्यूनिसिपल बोर्ड, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्धित प्रश्न पूछते हैं जहां तक जनरल पॉलिसी का सवाल है उस बारे में सरकार से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जहां इन म्यूनिसिपल बोर्डस और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का सम्बन्ध है उसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो वह सदन में प्राप्त नहीं हो सकती, उसके बारे में आप इन्हीं संस्थाओं से पूछ सकते हैं। जहां तक इन बातों में सरकार की जिम्मेदारी का सवाल है, बहुत कम है।

आदिवासी सहकारी समितियों को कूपों का ठेका

६६३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छाबड़ा) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आदिवासियों की बनी सहकारी समितियों को वन विभाग के द्वारा कूपों का ठेका देते समय प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि जंगल उत्पादक सहकारी समिति, पटारी तहसील शाहाबाद ने कोटा कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट से फरेदुआ कूप की मांग की थी तथा उसे अस्वीकार कर दिया और किसी अन्य व्यक्ति को वह कूप नीलाम कर दिया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। केवल वन मजदूरों की सहकारी समितियों को जो सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की गई हों, ठेके देते समय प्रोत्साहन दिया जाता है।

(२) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसे अस्वीकार क्यों कर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका बड़ा इतिहास है। यह सहकारी समिति पिछली साल बनी थी। पिछली साल कत्था बनाने का ठेका दिया था ३७,५००) रु० का। इसमें से वह एक पाई भी जमा नहीं करा सकी। मजबूर हो करके बनाया हुआ कत्था सरकार को अपने कब्जे में लेना पड़ा। उसको नीलाम करके जितना पैसा होगा इसमें जमा कर दिया जायगा। इसके बाद में इसी साल इसी सहकारी समिति ने एक अर्जी दी कि अमुक कूप हमें मिलना चाहिये जो पचास हजार रुपये करीब का है, लेकिन जब उन्होंने ३७ हजार में से एक पाई भी नहीं दी तो फिर वे कूप मांगने लगे पचास हजार का। उसे आसानी से देने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने उनसे कहा एक छोटा-सा कूप जो २२-२३ हजार का है उसे ले लो पर उसको वे लेना नहीं चाहते।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बी० डी० ओ० ने, जिसने यह सहकारी समिति बनवाई, इस बात की सिफारिश की थी कि इसको यह कूप दिया जाना चाहिए और पहले का पैसा दिया जा चुका है। इसके लिए कलक्टर और बी० डी० ओ० दोनों ने देने की सिफारिश की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछली दफा भी बी० डी० ओ० ने सिफारिश की थी। लेकिन उसमें से एक पाई भी नहीं चुकाई।

Page No.32

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वैसी हालत में पचास हजार का नया कूप देना हमने उचित नहीं समझा । वह उसका मेनेजमेन्ट नहीं कर सकते । इसलिये हमने उनको देने से मना कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : उस ३७ हजार की रकम में से कितना पेमेन्ट हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक पाई भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कत्थे का डिपोजिट हुआ होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कत्था करीब ११२८ मन है वह हमने कब्जे में ले रखा है, उसको ऑक्शन करेंगे । उससे जो पैसा मिलेगा उसको जमा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अल्पकालीन सूचना प्रश्न

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टी. बी. के बीमार के लिये राजकीय अस्पतालों में क्या स्टेन्डर्ड डाइट है ?

(२) टी. बी. सेनीटोरियम दुर्गापुरा के मरीजों को इस समय क्या खुराक मिलती है ?

(३) उक्त सेनीटोरियम की व्यवस्था सुधारने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) टी. बी. के बीमार व अन्य रोगियों के लिये जो राजकीय अस्पतालों में रह कर इलाज कराते हैं उनको जो डाइट दी जाती है उसके दो परिपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं ।

(२) उपरोक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई डाइट टी. बी. सेनीटोरियम दुर्गापुरा के मरीजों को भी दी जाती है ।

(३) कोई अव्यवस्था नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

१२. १० म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए जोकि उनके नाम के आगे उल्लिखित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

श्री. हीरा भाई १७।११।५८ से ३०।११।५८
श्री रामेश्वरदयाल २०।११।५८ से २७।११।५८
श्री शंकरलाल १७।११।५८ से २३।११।५८
श्री रामप्रसाद लड्ढा १७।११।५८से२२।११।५८

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

नाथद्वारा के महन्त श्री के पास से पुलिस द्वारा लिये गये जेवरात सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

डॉ० चन्द्रकला ने एक स्थगन-प्रस्ताव नाथद्वारा के महन्त श्री के पास से·······

(राजकीय दीर्घा से दर्शकों के सदन से बाहर जाने पर)

Page No.33

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : on a point of order, Sir, when the chair is on its legs, nobody should leave the House, even in the galleries; I particularly mean the officers.......

श्री अध्यक्ष : I think the remarks made by the Hon. Member would taken heed of by the persons concerned.

डॉ॰ चन्द्रकला ने एक स्थगन प्रस्ताव नाथद्वारा के महन्त श्री के पास से जो जेवरात वगैरह पुलिस ने आमेर के पास बरामद किये थे उस बाबत वाद-विवाद करने हेतु पेश किया है। मामला इतना सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि जिसके लिये सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस विषय पर वाद-विवाद किया जावे। अत: इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती।

सरकार की ओर से इस विषय में एक बयान शीघ्र ही दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी आया है इस विषय में, तीन चार दिन पहले से वह दिया हुआ है। उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपको उसके बारे में बता दिया जायेगा। उसके बारे में सरकार से जानकारी की जा रही है।

राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेण्डमेन्ट) बिल, १९५८।

श्री सोहनलाल भटनागर।

१२ १२, म. प.

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री सोहनलाल भटनागर सलुम्बर: माननीय अध्यक्ष, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल के बारे में सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव आया था। मैं उसका विरोध कर रहा था और यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिससे इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। बल्कि यह बिल एक बहुत बड़ी खामी, जिसके बारे में यहां के माननीय सदस्यों ने जब कि द्वितीय संशोधन बिल चल रहा था ध्यान आकर्षित किया था, उसकी पूर्ति कर रहा है।

उसमें यह कहा गया था कि राजस्थान केनाल एरिया में जो काश्तकार हैं, उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिलेंगे। उस वक्त में माननीय सदस्यों ने आवाज इसके खिलाफ उठाई थी कि जब पर्मानेन्टली उनको जमीन अलॉट हुई है तो उनको भी खातेदारी राइट से वंचित किया जाना उचित नहीं है। तो इस बिल द्वारा उसके क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) बढ़ाने को कहा है। इससे साफ जाहिर है कि उन लोगों को जिनको पर्मानेन्ट अलॉट हुआ है डिक्लेरेटरी स्कूट करने का अधिकार होगा।

एक बात यह कही गई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ काश्तकार पर रखा गया है, यह नहीं होना चाहिये था। मैं इस पर निवेदन करूंगा कि अभी हमारे सामने कानून की स्थिति क्या है, यह देखना है। क्योंकि कानून की स्थिति स्पष्ट है। सेक्शन १५ ए में मान लिया गया है कि प्रिज़म्पशन यह है कि उनकी जमीन टेम्प्रेरी मानी जावे। तो इसको रिवर्ट करने का बोझा और भार उन्हीं पर रहना

Page No.34

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चाहिये जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं और उसे पर्मानेन्ट साबित करना चाहते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं काश्तकारों पर रहना चाहिये क्योंकि इधर प्रिजम्पशन मौजूद है। अगर यह नहीं होगा तो काश्तकार जमीन के अधिकारों से वंचित रह जावेगा। इसलिये यह बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है कि पर्मानेन्ट अलॉटीज़ को खातेदारी अधिकार के लिये डिक्लेरेशन करने का अधिकार मिल रहा है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ७ के बारे में कहा है। उसमें जो यह प्रोविज़ो एड किया गया है, "Provided that upon the estate-holder becoming a Khatedar tenant of his khudkasht land under Section 13, the tenant of such khudkasht shall become a sub-tenant holding under and from such khatedar tenant."

इसके बारे में कहा गया कि जो खुदकाश्त के टिनेन्ट हैं उनको भी खातेदारी अधिकार दे दिये जाने चाहिये थे और उनको सब-टिनेन्ट नहीं माना जाना चाहिये था। सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को टिनेन्सी एक्ट और जागीर रिज़म्पशन एक्ट में समान तौर से माना है। इसलिये जब जागीर्स रिज्युम हो जाती हैं तो फिर जागीरदार जिनकी खुदकाश्त थी खातेदारी टिनेन्ट ही हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि खुदकाश्त टिनेन्ट भी सब-टिनेन्ट हो जावेगा। इसलिये यह कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है।

आगे क्लॉज़ ८ में प्रोविज़ो और जोड़ने को कहा गया है। दफा ३४ में कहा गया है कि कोई प्रीमियम नहीं ली जावेगी। मैं मानता हूँ कि जिस भूमिहीन को भी जमीन दी जावे उसे बिना प्रीमियम लिये दी जानी चाहिये। पर यहां ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स के अन्दर की भूमि लेता है तो प्रीमियम थोड़ा लिया जाना अनुचित नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स पर लाखों-करोड़ों रुपया व्यय किया गया है और इससे लाखों एकड़ रेगिस्तानी भूमि को सिंचाई के योग्य बनाया गया है। इस पर अगर प्रीमियम लिया जावेगा तो इससे प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और आगे दूसरे प्रोजेक्टस और बना सकेंगे। इसलिये यह जोड़ा गया है।

क्लॉज़ १० के बारे में कहा गया कि यह माना हुआ सिद्धान्त है, प्लानिंग कमीशन ने भी माना है कि जितना सरेन्डर होता है वह बिना पढ़े-लिखे काश्तकारों से सरेन्डर करा लिया जाता है। तो सरकार ने जो यह प्रावधान इसमें रक्खा है इससे स्थिति ठीक होगी। पहला प्रावधान यह था :

"A tenant, other than a tenant bound by a lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may on or before the 1st May surrender his holding by giving up possession thereof in writing attested by the Sarpanch..." तो पहले अटेस्टेशन सरपंच और विलेज़ हैडमैन से कराया जाता था। तरमीम से विलेज़ हैडमैन को हटाया जा रहा है और डिलीवरी ऑफ पज़ेशन देना ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत के सरपंच के अटेस्टेशन से देने का प्रोविज़न रक्खा गया है। मेरा निवेदन है कि विलेज में हैडमैन हटाया जा रहा है यह तो ठीक है पर यह भी उचित होगा कि और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि रेवेन्यु ऑफिसर्स के द्वारा ही यह अटेस्टेशन होना चाहिये । ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत के सरपंचों द्वारा भी नहीं कराया जाना चाहिये । क्योंकि यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि सरपंचों में आज तक जो भी आगे आये हैं उनमें अधिकांशतः वेस्टेड इन्टेरेस्टेड लोग ही ज्यादा हैं, गरीब तबके के अधिक नहीं हैं और उन्होंने अटेस्टेशन के मामलों में कई फर्जी अटेस्टेशन भी किये हैं । इसलिये रेवेन्यु अफसरों को इसके लिये अधिकार दिये जावें तो ठीक होगा ।

दूसरी बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही क्लॉज़ १२ में ३५ बी के लिये कि एक साल के बजाय तीन साल कर दिया जाय । यह बिल्कुल ठीक है और सरकार ने वाजिब रखा है । क्योंकि शिड्यूल में आर्टिकल ९८ है जो सब-टिनेन्ट और खातेदारी टिनेन्ट को बेदखल करने को रखा था । उसमें एक साल की मियाद थी । यह आर्टिकल दफा १९ से सम्बन्धित दिखता है । जब दफा १९ में खातेदारी की तीन साल की मियाद १८ अक्टूबर, ५८ को समाप्त हो गई । जब उनको तीन साल दिया था तो इजेक्टमेंट के ए. बी. सी १८० में प्रोविज़ो रक्खा था उनको भी तीन साल कर देना आवश्यक था, इसलिये भविष्य के लिये मियाद नहीं बढ़ाते लेकिन भूतकाल में जो मियाद थी उसको बढ़ाना आवश्यक था । इसलिए यह प्रावधान बहुत ठीक है । इसलिए मैंने जो कुछ निवेदन किया उससे स्पष्ट है कि कोई चीज इस बिल में नहीं है, बल्कि एक चीज की माँग इसमें बहुत ही वाजिब थी कि पर्मानेन्ट अलॉटीज़ को, उनको भी पर्मानेन्ट खातेदारी के हक दिये जायें और जो अब तक उनको इन हकों से वंचित रखते थे वह अब उनको हक प्रदान कर रहे हैं । इसलिए यह जो बिल में प्रावधान है सदन को इसे जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, जिस पर कल से सदन में बहस चल रही है और उस पर एक माननीय सदस्य ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है । अध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी का फोर्थ अमेंडमेंट बिल राजस्थान के सैकड़ों और हजारों किसानों पर प्रभाव डालने वाला है । इस बिल की धारा ६ है वह विशेष तौर से राजस्थान केनाल के किसानों पर असर डालने वाली है माननीय रेवन्यु मिनिस्टर साहब ने.......

श्री मोहरसिंह : आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले आप सुन तो लें ।

श्री भीमसेन : राजस्थान थर्ड अमेंडमेंट बिल की बहस पर जवाब देते हुए कहा था कि बीकानेर स्टेट के किसी भी तरह के काश्तकार नहीं थे और उस समय जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि राजस्थान नहर एरिया में हम किसी भी किसान को खातेदारी अधिकार नहीं देना चाहते हैं और क्योंकि वहां पर पहले से ही खातेदारी अधिकार नहीं थे इसलिए वहां इसका किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा । इसलिए यह राजस्थान थर्ड अमेंडमेंट बिल रखा था और उस समय अपील की थी कि इसका असर किसानों पर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यह स्वीकार किया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर स्टेट के टिनेन्सी एक्ट की धारा २४

(श्री भीमसेन)

और २५ की ओर आपका ध्यान दिलाऊं। बीकानेर स्टेट के समय बीकानेर स्टेट में ४ तरह के हक थे। मौरूसी, ऑकुपेन्सी टिनेन्ट्स खातेदार टिनेन्ट्स और टिनेन्ट्स एट विल। चार तरह के किसान थे और उनके अलग अलग अधिकार थे। मौरूसी किसानों का हक था कि वह अपनी जमीन के फुल प्रोपराइटर थे। उसके बाद ऑकुपेन्सी टिनेन्ट्स थे जिनको अपने राइट्स को सेल करने का और अपने राइट्स के इनहेरेन्ट के अधिकार थे। तीसरी तरह के जो किसान थे वे खातेदार कहलाते थे, उनको अपने राइट्स इनहेरेन्ट करने के अधिकार तो थे लेकिन उनको सेल करने के पॉवर्स नहीं थे। चौथे किसान थे, वह टिनेन्ट्स एट विल थे याने वह किसी भी समय बेदखल किये जा सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ जो फोर्थ अमेंडमेंट में रखा है वह राजस्थान एरिया के सैकड़ों और हजारों किसानों पर प्रभाव डालने वाला है। इस इलाके में इस समय हजारों किसानों पर जो बीकानेर स्टेट के तहत खातेदार किसान हैं और यह जो क्लॉज़ ६ लाया जा रहा है इसके अन्दर ऐसे किसानों को अदालतों में शरण लेनी पड़ेगी और उनको खर्चे से परेशान होना पड़ेगा और जो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की नीति है कि खाद्य का उत्पादन बढ़ाया जाये और अगर आप किसानों को इस तरह से अदालतों की शरण लेने के लिए मजबूर करेंगे और उनको वहां जाना पड़ेगा तो उन्हें अधिक परेशान होना पड़ेगा और आपका जो खाद्य उत्पादन का लक्ष्य है उसमें कमी आयेगी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह जहां हजारों और सैकड़ों किसानों पर असर डालने वाली जो यह धारा बनाई जा रही है, ऐसी हालत में अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करके कोई न कोई नया रास्ता निकाल सकती है कि जो धारा हजारों किसानों पर असर डालने वाली हैं उनको परेशानी से दूर करने का रास्ता निकल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में जो यह रखा है कि किसानों को अगर वह खातेदार हैं तो अपने राइट्स डिक्लेयर कराने के लिए कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के यहां जाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज़ में या टिनेन्सी एक्ट में किसी तरह का कहीं भी प्रावधान नहीं है कि खातेदार टिनेन्ट अपने आपको साबित करने के लिए कुछ करे, ऐसा कोई क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि भविष्य में यह शर्त पूरी करानेवाला किसान ही खातेदार होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह किसान अदालत के सामने जाकर क्या साबित करेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो कानून बिल्कुल वेग है और इस तरह से जैसा मैंने निवेदन किया कि बीकानेर स्टेट में जो खातेदार किसान थे उन हजारों किसानों को अदालतों में जाना पड़ेगा और परेशानी उठानी पड़ेगी तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह क्लॉज ६ जो फोर्थ अमेन्डमेन्ट में रखा जा रहा है यह सारा बिल ही अगर प्रवर समिति के सुपुर्द हो जाये तो इससे किसानों की कुछ दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

इसी तरह से क्लॉज ८ है। वह टिनेन्सी एक्ट की जो मूल धारा २४ है उसमें किसानों को हक दिया था कि किसानों पर किसी भी तरह से कोई भी प्रीमियम या फोर्स-लेबर

(श्री भीमसेन)

किसानों से नहीं ली जायेगी। यह किसानों का प्राइमरी राइट था जो हमारी विधान सभा ने दिया था। आज उसी अधिकार को दूसरे तरीके से छीना जा रहा है। आज इस क्लॉज के द्वारा राजस्थान के हजारों और लाखों किसानों पर जो उनका प्राइमरी मूल अधिकार विधान सभा ने दिया था उसको दूसरे तरीके से छीना जा रहा है। उनके राज्य सरकार को अधिकार देकर कि राजस्थान सरकार जब चाहे उनसे जमीन की कीमत वसूल कर सकती है तो समझ में नहीं आता कि जब कि मूल अधिकार दिया था कि किसानों से लगान के अलावा प्रीमियम या फोर्स-लेबर नहीं ली जायेगी तो इस तरह से सरकार इस बिल के द्वारा किसानों के जो मूल अधिकार हैं उनको क्यों छीन रही है? तो इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के लाने से हमारे राजस्थान के हजारों किसानों पर असर पड़ेगा और जब इतने किसानों पर असर पड़ने वाला है तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इस पर गंभीरता से विचार किया जा सके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहां जो राजस्थान टिनेन्सी फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल पर जो बहस हो रही है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उसका मैं समर्थन करती हूं। इस बिल के पीछे जो भावना है उसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने इसका समर्थन करने का विचार किया। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि किसानों को इससे बेदखल किये जाने से रोका जायेगा और उनको जमीन पर खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे। यह निश्चित बात है कि किसान हमारी अर्थ व्यवस्था के मूल आधार हैं। उनको जितनी अधिक से अधिक सुविधा मिल सके उतनी ही हमारी उन्नति के लिए दिया जाना आवश्यक है। मैं जो इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की बात करती हूं वह इसलिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके। इस बिल को देखकर मुझे यह ख्याल होता है कि हो न हो इसमें फिर कमी न रह जाये और कुछ दिनों बाद फिर दूसरा संशोधन पेश करना पड़े। जैसा कि इस विधेयक की धारा ६ में कहा हुआ है कि किसी भी किसान को कलेक्टर से लिखा करके उसको बता कर के अपने खातेदारी राइट को वह ले सकता है। इस बिल को "in the land held by him" इन शब्दों को देखकर मुझे लगा इसमें किसान अपना हक साबित करने में कैसे सफल हो सकेगा और फिर आगे चलकर लिखा है "land has been let out to him" तो यहां साफ होना चाहिए। इन बातों को वह किस तरह प्रुव करने वाला है। कानून बहुत लम्बा चौड़ा होता है और उसमें बहुत खींचतान होती है। तो वह किसान किस तरह से जाकर के यह प्रुफ देगा कि वह जो जमीन है मेरे अधिकार में है। यह अपना अधिकार वह कैसे प्रूव करेगा। होता क्या है कि किसान जो परिश्रम करता है उस खेत पर वह कई सालों से, सैकड़ों वर्षों से खेती करता हुआ भी उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है जो कानूनी कार्यवाही होती है उसके द्वारा वह अपने अधिकारों को कैसे साबित कर पायेगा। यह प्रूफ ही करना है तो वह जमीन जो हैल्ड की है वही प्रूफ होगा उसी से मालूम हो जायेगा। फिर कलेक्टर के सामने या असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है?

(डॉ० चन्द्रकला)

दूसरी बात जो मुझे बड़ी अखरती है, वह यह है कि हम समाजवादी समाज व्यवस्था की बात करते हैं, हम किसानों को राहत देने की बात कहते हैं, हम बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं कि जमीन किसकी—कि जोते उसकी; जो जमीन पर परिश्रम करता है जमीन उसकी होती है। यह बात ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम अपने अन्न का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। लेकिन इस कानून में ऐसा लगता है कि हम समाजवादी समाज-व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन उस भावना से अभी दूर हैं। इसमें क्लॉज़ ७ है। इस क्लॉज ७ में यह बताया है कि जो एस्टेट होल्डर है वह खुदकाश्त हो जायगा और जो होल्डर है वह उस जमीन पर सब-टिनेन्ट हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार को गम्भीर से सोचना चाहिए और टिनेन्ट की एक ही बात रखनी चाहिये कि जो जमीन जोतता है, जो जमीन पर परिश्रम करता है, जमीन उसकी होनी चाहिए और यह टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट वाली बातों को खत्म कर देना चाहिये और सब-टिनेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो वही बात है कि जो जमींदारों और जागीरदारों के वक्त में होती थी कि खेती कोई करता था और फायदा दूसरे को मिलता था। सब-टिनेन्ट आज किन्हीं परिस्थितियों से मजबूर होकर, आज ऐसी स्थिति हो कि हमारे सामने कोई कठिनाई हो और उस भेदभाव को नहीं मिटा सकते हों, क्योंकि हमें उस दूसरे वर्ग की बात भी सोचनी पड़ेगी, तो यदि हम एक दम परिवर्तन नहीं कर सकते हों तो धीरे-धीरे हमको यह सोचना पड़ेगा कि 'टिनेन्ट', 'सब-टिनेन्ट' और कहीं कहीं तो 'टिनेन्ट इन चीफ' ऐसे शब्द भी आये हैं; इन सबको निकाल कर एक ही शब्द रखना चाहिए कि जो खेती करता है वह टिनेन्ट है। जो जमीन पर परिश्रम नहीं करता उसका क्या लेना-देना ? वह टिनेन्ट नहीं है। इस तरह से दूसरी यह सोचने की बात है।

तीसरी बात बहुत छोटी-सी है जिस पर एक माननीय सदस्य थोड़े से प्रभावित भी हुए दिखाई पड़े थे। यहां पर छोटा सा परिवर्तन धारा १२ में किया गया है जिसमें छः आने के लिए ३५ नये पैसे रखे गये हैं। उद्देश्य और कारणों में यह बताया गया है कि डेसिमल कॉईनेज की बात शुरू हो गई है, इसलिए यह परिवर्तन किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि डेसिमल कॉईनेज़ की कौन-सी परिभाषा के अनुसार चार आने के २५ और आठ आने के ५० पैसे तो होते हैं, लेकिन और ६ आने के ३५ पैसे ही होते हैं। यदि यह रियायत देनी थी तो बहुत अच्छा था कि इन दो जगहों पर भी ५० के बजाय ४८ कर देते या २५ के बजाय २३ कर देते। यह बड़ी अवैज्ञानिकसी बात दिखती है और बहुत अच्छी नहीं दिखती है। ६ आने वालों पर ही इतनी कृपा क्यों और ४ आने और ८ आने वालों पर क्यों नहीं ? या तो उनके भी ३७ नये पैसे कर दिये जायं या फिर उनके भी २३ और ४८ नये पैसे कर दिये जायं, तो ज्यादा अच्छा हो। यदि यह बात सदन में नहीं कर सकते हैं तो सिलेक्ट कमेटी में इसको तय कर सकते हैं। यह बात ठीक नहीं लगती है।

हम यह जो कानून बनाने जा रहे हैं वह किसानों के लिए बनाने जा रहे हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसलिए बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किसानों को इससे ज्यादा से

(डॉ० चन्द्रकला)
ज्यादा फायदा दे सकें और आज दिन तक जो किसान बेदखलियों के शिकार होते रहे हैं, साल, दो साल नहीं पीढ़ियाँ जिस आदमी की उस जमीन को बोती रही हैं, उस आदमी का जमीन पर अधिकार नहीं होता है। उसको जमीन का अधिकार मिले यह बहुत सुन्दर बात है। लेकिन वस्तुत: उनको फायदा मिले वैसी बात नहीं है। आज जो किसानों की हालत है उसको हम जानते हैं। आज किसान इस लायक नहीं है कि हर बात को, कानून-कायदे को समझ सके। वह इतना प्रगतिशील और आगे बढ़ा हुआ नहीं है। इसमें दिया गया है कि उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, तो या तो तहसील के सरपंच से करवाये। अच्छा तो यह था कि ग्राम पंचायत के किसी मेम्बर से प्रभावित हों या कोई भी पढ़े-लिखे आदमी से करवा ले या खुद ही अपने आप जाकर लिख कर दे दे तो उसको मान लेना चाहिए। आज जो समाज की स्थिति है, समाज को हम अच्छी तरह से जानते हैं। पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा बेपढ़े लोगों का शोषण बहुत बुरी तरह से होता है। उनकी बेबसी का फायदा उठाने की कुभावना से, बहुत आसानी से रु० किसानों से निकाल लेते हैं और किसान को रास्ता बता देते हैं उसके लिए। इसलिए यदि यह कानून है कि उनको अटेस्ट करवाना पड़ेगा तो पहले जो हैडमेन था गांव का और अब तहसील का सरपंच हो गया है या पंचायत का मेम्बर हो गया है, इस सम्बन्ध में एक संशोधन भी आने वाला है कि कोई भी पढ़े-लिखे आदमी से जिसके बारे में भरोसा किया जा सके, जिसके बारे में कलेक्टर विश्वास करता हो, अटेस्ट करवा ले, और यदि वह स्वयं भी कर दे तो ठीक रहे क्योंकि आखिर वह भी तो सम्पन्न व्यक्ति है। इसलिए वह स्वयं ही कह दे या लिखकर दे तो वह काफी समझना चाहिए।

इसलिए अच्छा हो कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो वहां पर सब बातों पर अच्छी तरह से विचार होकर यह बिल कानून के रूप को धारण करे तो अच्छा रहे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस टिनेन्सी एक्ट के चौथे अमेंडमेंट बिल के लिए सिलेक्ट कमेटी में जाने का माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं बिल के बारे में कहूँ, उसके पहले सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह बिल ऐसा लगा कि राजस्थान के एक बहुत जीनियस रेवेन्यु मिनिस्टर ने इस बिल को बड़ी क्लेवरली ड्राफ्ट किया है ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर नगर पश्चिम): अगर उन्होंने ड्राफ्ट किया है ?

श्री श्रीभानसिंह : जीनियस, मैं यों कहना चाहता हूं कि आज सोसाइटी के अन्दर हरेक आदमी जो काम करे और उसमें सीधी तरह से बातों को रखा जाय, तो वह फिर भी एक ऑर्डिनरी एवरेज मैन कहा जा सकता है, और जीनियस का काम ऐसा रहता है कि मेजोरिटी या सोसाइटी करे उससे हमेशा अलग काम करते हैं। तभी तो वे जीनियस माने जा सकते हैं। और (उन रेवेन्यु मिनिस्टर) ने सबसे पहले अलग जो काम किया है वह एक बड़े क्लेवर आर्टिस्ट की तरह से किया है और आर्टिस्ट भी इतना जीनियस है कि उन्होंने टेल से एक पिक्चर को बनाना शुरू किया है और फिर हैड पर आये हैं। वह जो रॉंग एण्ड से पिक्चर का बनाना

(श्री श्रीमानसिंह)

शुरू किया और किसी तरह से राइट एण्ड पर आगये। मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जो मोस्ट अनइम्पोर्टेन्ट सेक्शन्स हैं ५५ और ५६, उनको उन्होंने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, और जब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धाराएं हैं १५ और १६, उनकों उन्होंने बाद में लिखा है। खण्ड ५५,५६ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, उसके बाद में १५, १६ करते हुए १०,१, ६ का जिक्र किया है। किसी चीज़ को सीधा नहीं करना चाहिए, और उल्टी बात की छूट कर देना चाहिए। यह एक जीनियस का ही काम हो सकता है।

अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ५५,५६ सेक्शन्स पर जो अमेंडमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा है :—

"There is no reason to believe that surrenders are often obtained from cultivators by unlawful means. It is, therefore, considered necessary to provide that no surrender shall be deemed to be valid unless evidenced by a duly attested writing." उन्होंने सबसे पहले पंचायतों को पॉवर्स दिये हैं पुराने एक्ट के अन्दर। अभी भी उन्होंने पॉवर्स सब्स्टेन्शली पंचायतों को ही रखे हैं। तो इसमें पहले यह देखा जाय कि जितने सरेण्डर होने थे, या इजेक्ट होने थे, हो गये, लेकिन वैसे कानून की दृष्टि से देखा जाय तो क्लॉजेज़ ५५ और ५६ बिल्कुल सुपरफ्लुअस हैं। कानून के अन्दर उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरेन्डर के पीछे जो कुछ होना था, जो कुछ इजेक्टमेंट होने थे वे सब हैं, लेकिन पॉवर्स किसको दिये थे ? पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस भारतवर्ष के अन्दर कुछ इन्स्टिट्यूशन्स के पीछे एक फैलो दे दिया हैं जबरदस्ती का, और आजकल की शताब्दि और जनतन्त्र के अन्दर चल रहा है कि अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है तो पंचायत की वजह से हो सकती है और पंचायतों का जो ऑर्गेनाइजेशन या कार्य है या जिस तरह के पर्सोनल्स या पंच, सरपंच आये हैं, उनके आने से मैं तो इस ओपिनियन का हूँ कि पंचायतों के जरिये से यदि इस कदर राजस्थान या देश के अन्य हिस्से में रिफॉर्म्स बना रहे हैं, तो भारतवर्ष में जनतंत्र या डेमोक्रेसी सफल नहीं होने की है, क्योंकि पंचायत को एक इन्स्ट्रूमेंट बनाते हैं, जिसके जरिये हम राजस्थान में लैन्ड रिफॉर्म्स को अच्छी तरह से सुचारु रूप से लागू कर दें और इसके लिये इन्स्ट्रूमेंट बनाते हैं पंचायत को। एक माननीय सदस्य ने बताया था कि पंचायतों में किस तरह के आदमी आते हैं, यह देखना है। पंचायतों के बारे में यह कहते हैं कि, राजस्थान में ट्रेडिशनल है, तो मैं यह कहूंगा कि पंचायतें यहां ट्रेडिशनल कभी नहीं थीं. किसी हिस्से में ट्रेडिशनल रही होंगी। लेकिन सारे राजस्थान में ट्रेडिशनल कहा जाय तो किसी भी इतिहास में आपको यह बात लिखी नहीं मिलेगी। राजस्थान में ही क्या सारे भारतवर्ष में ट्रेडिशनल यह कभी नहीं थी, किसी किसी हिस्से में हो सकती है।

यह भी कहा जाता है कि पंचायतें विलेज नीड्स को समझ कर रिफ्लेक्ट कर सकती हैं और जिसके जरिये वीकर सेक्शन्स ऑफ दी सोसाइटीज़ हैं, उनके राइट्स उनके जरिये सेफ गार्ड हो सकते हैं, यह वातावरण पंचायतों के लिये बनाया जा रहा है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि न तो पंचायतों के जरिये विलेज़ नीड्स का पता चल सकता है और न

(श्री श्रीमानसिंह)

राइट्स ऑफ वीकर सैक्शन या रूरल एलिमेन्ट्स के राइट्स सेफ गार्ड हो सकते हैं। विलेज लाइफ को तो पहले से ही आपने कॉम्प्लीकेटेड कर दिया और उनमें फ्रेक्शन्स इन्ट्रोड्युज कर दिये, चाहे वे कम्युनल बेसिस पर हों, कास्ट या सब-कास्ट के बेसिस पर हों या प्रोफेशन के बेसिस पर हों। आज विलेज लाइफ सबसे वर्स्ट डिवाइडेड है और उसमें इस तरह के कम्पार्टमेन्ट्स बन गये हैं कि जिस तरह कि माइनोरिटीज थी और उन माइनोरिटीज के लिये जो इन्स्टिट्यूशन्स बनी थीं। उन पर कब्जा कर लिया और फिर से शोषण जारी किया। जो लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन जो पूअरर सैक्शन्स हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया और वह कब्जा कैसे किया ? उनसे सरेण्डर का प्रस्ताव कराया। उनको वैसे तो इजेक्ट नहीं कर सके, लेकिन उनको पंचायत के पास लाये और सरेण्डर उनसे लिखवा लिया। कभी पार्ट ऑफ दी होल्डिंग के लिये और कभी टोटल होल्डिंग के लिये सरेण्डर लिखवा लिया और पंचायत से तस्दीक करवा लिया। यह सरेण्डर किस के फेवर में हुआ है ? कभी भी वीकर सैक्शन के फेवर में कोई लैण्ड सरेण्डर नहीं हो रही होगी। सरेण्डर उनके फेवर में होगी जो पहले जागीरदार थे, जमींदार थे या मालदार थे या प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके फेवर में सरेण्डर होगा। इजेक्टमेंट के लिये सरेण्डर का क्लॉज़ ५५,५६ बिल्कुल एब्सोल्यूट है। सरेण्डर करना नहीं चाहिये। सरेण्डर तभी होना चाहिये जब कि एक आदमी इस प्रोफेशन को करना नहीं चाहता हो, एग्रिकल्चरिस्ट रहना नहीं चाहता हो और दूसरा पेशा करना चाहता हो। जिस आदमी का प्रोफेशन बाद में भी एग्रिकल्चर रहता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रिकल्चर रहता है लेकिन विलेज में किसी तरह के सरकमस्टान्सेज की वजह से या किसी के दबाव की वजह से सरेण्डर करता है, पार्ट ऑफ दि होल्डिंग का या टोटल होल्डिंग का और दूसरी जगह जाकर एग्रिकल्चर को ही अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड रखता है तो उसका सरेण्डर करना जस्टिफाइड नहीं है। एग्रिकल्चर ही उसका मेन ऑक्यूपेशन रहता है और आपको अपनी जमीन सरेण्डर करने के बाद, किसी दूसरी जगह जाकर पट्टे पर जमीन लेता है या सब-टिनेन्ट बनता है या लेबरर बनता है, तो इस तरह के सरेण्डर को सरेण्डर नहीं कहा जायगा। उसको फोर्सिबली सरेण्डर कहा जायगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज बीसवीं शताब्दी में जितनी मनी, टाइम और इनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इन पंचायतों को, नइयों को क्रीएट करने के लिये और पुरानियों को रीहेबिलिटेट करने के लिये, जो अगर इतना ही टाइम, मनी और इनर्जी दूसरी चीजों पर लगाते तो अब तक वह कामयाबी एचीव कर सकते थे, जो करना चाहते हैं। जब ऐसी तो पंचायतों की हालत है और उनको पॉवर देते हैं कि जो कोई लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनको पंचायतें इम्प्लीमेंट करें, यह कहां तक उचित है यह सोचने की बात है। या तो यह माना जाय कि लैंड रिफॉर्म्स राजस्थान में वीकर एलीमेंट्स, काश्तकार या टिलर्स ऑफ दी सोइल हैं या टिनेन्ट्स हैं, उनके लिए हैं, या उनको फायदा पहुँचाना चाहते हैं जो माइनोरिटी में हैं और सोसाइटी को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। जो अगर वीकर इम्प्लीमेंट्स के लिए हैं तो कम से कम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज वहां के सिड्यूल कास्ट के लोग पंचायतों तक पहुँच नहीं सकते।

Page No.42

(श्रीश्रीभानसिंह)

आज वहां पर मेजोरिटी लैंडलैस टिनेन्ट्स की हैं, लैंड पर उनको कोई राइट्स नहीं हैं, उनके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। भरतपुर में तो ऐसी हालत हो गई है कि शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी नहीं रही हैं। जो माइनोरिटी में हैं उनका यहाँ तक शोषण पहुँच गया है कि जिसकी हद नहीं है। इन्ही डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स के जरिये आप लैंड रिफोर्म्स इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं, वे राइटिंग में अटेस्ट करेंगे। वे अटेस्ट करेंगे, लेकिन उनके लिए, जिनके पास मीन्स होंगे, या तो वे पंचों और सरपंचों को दावत करेंगे या जो दीगर एलीमेंट्स होंगे उनको अटेस्ट करेंगे। ये हैं इम्पोर्टेन्ट क्लॉजेज़ ५५ और ५६।

अब अध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट रखा है क्लॉज़ १५ ए में। वैसे तो इसको कॉन्सीक्वेन्शियल ही समझा जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह अमेंडमेंट बहुत सीधा और अच्छा है और लाजमी तौर से रहना चाहिए। खैर, जो अमेंडमेंट हो गया है, वह तो रहना लाजमी है, लेकिन उसके लिए यह देखना है कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ है, वह किस पर होगा? वह बर्डन ऑफ प्रूफ होगा टिनेन्ट्स पर और यदि टिनेन्ट्स पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा तो वह किस तरह से प्रूव कर सकता हैं। जो लैंड ओब्टेन करते हैं वह दो तरह से कर सकते हैं। या तो उसको लैंड लॉ की तहत दी गई है या उसके पास लैंड आई है कांट्रेक्ट बेसिस पर। जो लॉ एण्ड कांट्रेक्ट के जरिए आई थी। उस सब प्रोविजन को हटा दिया, एब्रोगेट कर दिया और कह दिया कि या तो वह रिटन लीज़ पेश करे या ओरल एविडेन्स पेश करे। यह पेश कैसे करेगा। ? या तो बिफोर कमेन्समेंट ऑफ एक्ट खातेदारी राइट प्राप्त हुए हैं तो उसके पास है नहीं, तो ओरल एविडेन्स वह ला नहीं सकता।'इस एक्ट में ऐसा नहीं है कि वह किसी तरह से प्रूव कर दे। आपने प्रोसीजर सिंपल कर दिया है, लेकिन उसके लिए पूर्व करना मुश्किल है। पहले जो ओरीजिनल क्लॉज १५ (१) था, वह उतना ही कॉम्प्लीकेटेड था और उसकी तहत टिनेन्सी राइट्स एस्टेब्लिश कर नहीं सकेंगे। जिन्होंने कोशिश की है राइट एस्टेब्लिश करने की, वे क्यों नहीं कर सकते, लायर्स ही बता सकते हैं। एविडेन्स एक्ट के अंडर में कोई एविडेन्स डिबार हो जाती है। जो टिनेन्ट एविडेन्स लाता है और खातेदारी राइट को प्रूव करता है, तो अंडर सैक्शन ४९ ऑफ दी एविडेन्स एक्ट क्या चीज चाहिए, जो लेजिटिमेट है या कौन सा? रजिस्टर्ड लीज़ है जिसकी तहत राइट एस्टेब्लिश कर सका है, उसका पता नहीं चलेगा और खातेदारी राइट होते हुए भी दूसरी तरह के डाक्युमेन्ट पेश कर देगा तो रोंग हो जायगा। यह बड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जायगा। असिस्टेन्ट कमिश्नर को जो डॉक्युमेंट्स चाहिए बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए वे डॉक्युमेंट्स नहीं ला सकेगा और यदि नहीं ला सकेगा तो इस क्लॉज में चाहे फोर टाइम्स ही रख लीजिये, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर रखना जिनको खातेदारी राइट्स देना चाहिए, उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करना चाहिए।

या तो वह ओरल एवीडेन्स दे दे, ओरल एवीडेन्स इतनी दे दे और उसमें कह दे कि १०–१५ साल से खेती कर रहा है और इसलिए उसे खातेदारी राइट मिलना चाहिए। अगर ओरल एवीडेन्स एस्टेब्लिश न कर

(श्री श्रीमानसिंह)

सके, रिटन लीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे । मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ के तहत बहुत कम आदमियों का, शायद दो पर्सेन्ट को, खातेदारी राइट रजिस्टर होने का है और बाकी सब गैर-खातेदार रहेंगे । जो अमेंडमेन्ट क्लॉज़ १६ ए के अन्दर किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून की बारीकी नहीं जान सका । इस क्लॉज़ के लिए जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है, मैं इस क्लॉज के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जैसा कि क्लॉज़ में कहा गया है :

"Provided that upon the estate-holder becoming a khatedar tenant of his khudkasht land under Section 13, the tenant of such khudkast, shall become a sub-tenant holding under and from such khatedar tenant."

माननीय अध्यक्ष, जिस समय टिनेन्सी कानून बनाया था, तो उस समय एक प्रिन्सिपल, एक सिद्धांत लेकर चले थे, वह था जैसा कि एक ऑनरेबल मेम्बर ने बताया कि लैंड टू टिलर, यानी सब-टिनेन्सी क्रीयेट नहीं करनी थी । लेकिन अब यह है कि जो टिलर्स ऑफ सोइल हैं, उनको तो हम चाहते हैं सब-टिनेन्ट बनाना और जो नॉन टिलर्स हैं, उनको देते हैं खातेदारी राइट्स, यानी खातेदारी राइट्स किनको देते हैं, जिनके पास खुदकाश्त लैंड है और खुदकाश्त की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, जागीरदारी एक्ट में परिभाषा ऐसी है कि यह मेहरबानी है जागीरदारों की कि वे सारे राजस्थान की राजधानी पर क्लेम नहीं करें, नहीं तो इस परिभाषा की टर्मनोलोजी ऐसी लिखी है कि वे सारे राजस्थान को खुदकाश्त लैंड क्लेम कर सकते हैं । परिभाषा ऐसी बन गई है कि वे कहीं जमीन दर्ज करा देते, राजस्थान के किसी गांव में खुदकाश्त दर्ज करा देता, उनको खातेदारी राइट मिल जायेंगे । एक्चुअल जो टिलर्स हैं, उनकी पोजिशन इम्प्रूव करने के लिए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट बने, लेकिन पोजिशन इम्प्रूव हुई नहीं । इम्प्रूव न होने के कारण क्या है कि एक्ट में अमेंडमेंट लाते हैं और कहते हैं कि वे सब-टिनेन्ट नहीं हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि खुदकाश्त, टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट की पोज़िशन एक है । मैं नहीं समझता कि पोज़िशन एक हो कैसे सकती है ? क्योंकि जो खुद काश्त करने वाला है, टिनेन्ट है, उसके लिए उतनी टेम्प्रेरी स्टेक नहीं है, उसकी स्टेक है, चार पांच साल तक कानून के तहत उसकी खुदकाश्त गारन्टीड है । लेकिन सब-टिनेन्ट के लिए क्या स्टेक है ? उसकी ईअर टू ईअर लीज़ टर्मीनेट हो सकती है, इजेक्ट हो सकती है । जो माननीय सदस्य कानून पढ़े हुए हैं, उनने इन दोनों को एक बताया, मेरी समझ में नहीं आता । जब इन दोनों को एक बताया, यह मेरी समझ में नहीं आता । जब इन दोनों की प्लेस एक नहीं है तो सब-टिनेन्ट का जागीरदारों के जरिये एक्सप्लोइटेशन हो सकता है । सबसे पहले सब-टिनेन्ट का एक्सप्लोइटेशन होगा, क्योंकि यह गारन्टी नहीं है कि आज खेती करता है तो कल करेगा । तो टिनेन्ट, सब-टिनेन्ट को लैंड देता है और इस शर्त पर देता है कि मैं तो बांट लूंगा । शेअर क्रोपिंग टिनेन्सी एक्ट के आधार पर प्रोहिबिटेड है, सब-टिनेन्ट से शेयर क्रोपिंग नहीं ले सकता । तो आप एक ओर शेअर क्रोपिंग अबोलिश करना चाहते हैं, एक्स्प्लोइटेशन की जो रेट थी, उनको इकोनामिक रेट करके आप लागू करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर सब-टिनेन्सी क्रीयेट

(श्री श्रीभानसिंह)

करते हैं और जब टिनेन्ट को खातेदार और सब-टिनेन्ट को गैर खातेदार रखते हैं तो आप यह एडमिट करते हैं कि जिस किसी भी सब टिनेन्ट को टिनेन्ट एक्स्प्लोइट करता है तो वह लेजिटिमेट है। खुदकाश्त होल्डर सब टिनेन्ट को एक्स्प्लोइट करता है तो वह लेजिटिमेट है यानी कानून के जरिये एक्स्प्लोइटेशन को आप एक जगह कम्पोंउन्डेबल करते हैं तो दूसरी जगह कानून के जरिये एक्स्प्लोइटेशन को लीगल, लॉ फुल बनाते हैं। आखिर आप ऐसे टिनेन्सी के लेजिस्लेशन को बनायें, टिनेन्सी लॉ बनायें, आपका मकसद क्या है ? या तो सब-टिनेन्स की पोज़िशन इम्प्रूव करने का मकसद है, या खुदकाश्त होल्डर्स की पोज़िशन इम्प्रूव करने का है। आपने खुद काश्त होल्डर्स की पोज़िशन पहले काफी कम्पेन्सेशन देकर इम्प्रूव कर दी है, ज्यादा राइट देकर पोज़िशन इम्प्रूव कर दी है। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे पहले राजस्थान सरकार को अधिकार दिये जायँ, यह देखना चाहिए कि राजस्थान सरकार के पास ऐसे स्टेटिक्स हैं कि राजस्थान के अन्दर कितने एरिया में कितने जागीरदारों की खुदकाश्त है और एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कितना एरिया उसका खुदकाश्त का है, १० हजार बीघा है या पाँच हजार बीघा है, और उसमें से कितने एरिया पर किस तरह कल्टीवेट करता है। यह पटवारी के उस रेकॉर्ड से जो वह प्रोड्यूस करता है, उससे मालूम नहीं हो सकता। राजस्थान गवर्नमेन्ट को, राजस्थान के कमिश्नर को मालूम नहीं हो सकता। यह गाँवों के अन्दर जाकर देखने से मालूम पड़ सकता है कि किस आदमी की किस जरिये से कितनी आमदनी होती है, किस आदमी के लिए कौन सा आदमी क्या काम करता है ? यह सब इन्फोर्मेशन कलेक्ट करते और उसके बाद देखते कि जितने जागीरदार हैं, जितने जमींदार हैं, उन्होंने कितनी खुदकाश्त के लिए जमीन ले रखी है और कितनी जमीन में पर्सनली कल्टीवेट करते हैं और कितनी जमीन टिनेन्ट को, टिनेन्ट लीज़ आउट कर देते हैं; यह फिगर्स कलेक्ट करवाते। लेकिन यह फिगर्स नहीं हैं। इस तरह आप एक अमेन्डमेन्ट से एक समस्या पैदा करते हैं और दूसरे अमेन्डमेन्ट से सुधारने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये स्टेटिक्स मौजूद होते कि इतनी खुदकाश्त जागीरदार करता है, पर्सनल कल्टीवेशन करता है। जो पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन है, उसके तहत इतनी जमीन पर काश्त करता है या इतनी पर लेबर्स के जरिये वेजेज़ पर करवा रहा है। जिस लैण्ड पर वह खुदकाश्त नहीं करता उस लैण्ड पर उन आदमियों को आप खातेदारी राइट्स दे सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत उस लैण्ड पर उस लैण्ड होल्डर को राइट देते हैं जो कि पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं आता। वह लैण्ड होल्डर उस लैण्ड से जो इन्कम ड्रा कर रहा है, वह उस राइट से ड्रा कर रहा है, जो कि एक्स्प्लोइटेशन है, न तो लेबरर्स के लिए वेजेज हैं, न उसका सुपरविजन है और उसका पर्सनल कल्टीवेशन है, वह पर्सनल कल्टीवेटर की डेफिनिशन में नहीं आता। इसलिए पहले आप अच्छी तरह से इस डेफिनिशन को लागू करते राजस्थान के अन्दर, और उसको लागू करने के बाद में फिगर्स कलेक्ट करते तो सब-टिनेन्सी की प्राॅब्लम क्रीयेट नहीं होती, तो राजस्थान टिनेन्सी लॉ के अन्दर जो पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा है, उससे यह एक प्रगतिशील

(श्री श्रीमानसिंह)

स्टेट हो जाती । लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि दूसरे देशों की, दूसरे प्रान्तों की गलतियाँ हैं, उनको हम देखते हैं और आगे चलते जाते हैं और साथ ही साथ अपने को करेक्ट करते जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी स्टेटें ऐसी हैं, जिनको आप स्किप कर सकते हैं और कूद कर आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फिगर्स इकट्ठे करने चाहिए, उस तरह से फिगर्स इकट्ठे नहीं हुए। आपने राजस्थान के अन्दर सेंसस ऑफ लैण्ड होल्डिंग्स नहीं किया, इसलिए वे फिगर्स कलेक्ट नहीं हुए, इसका नतीजा यह है कि जो टिनेन्ट के राइट्स हैं वे चले आ रहे हैं। सेक्शन ३४ में यह प्रोविज़ो जोड़ने का अमेंडमेंट है :

"Provided that nothing in this section shall bar the recovery of the price of land allotted to any person in accordance with rules made under section 100 or section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956."

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के अन्दर कभी भी किसी स्टेज पर गवर्नमेंट यह कोशिश करती कि जो लैंड कोई बेचता है या लैण्ड अलॉट करता है, उसकी हम कोई फीस निर्धारित कर देते तो यह हो सकता था कि राजस्थान में लैंड अलॉट करता है, उस लैंड को अलॉट करते वक्त फीस रिकवर करली जाती। मैं समझता हूँ कि जो आदमी लैण्ड बेचता है, जो लैण्ड को अलॉट करता है, उस पर जो आदमी मेहनत करता है, जो श्रम करता है, वह चाहता है कि उसका उसको बेनिफिट मिले। मगर राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एजेंसी कायम नहीं की, और न लैण्ड फीस अलॉट नहीं की। यह सब जगह माना जाता है कि राजस्थान की ७० पर्सेंट जनता एग्रिकल्चर पर पालन-पोषण करती है। जब लैण्ड से अपना पालन-पोषण करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जागीर एरिया को ले लीजिये, वहाँ पर पोपुलेशन है वह लैण्ड से ज्यादा है और लैण्ड की प्राइसेज़ ज्यादा हैं। वहाँ कोई भी सोशल पोजिशन सोसाइटी में बनाना चाहता है वह उसके लिए लैण्ड एक्वायर करेगा, या लैंड अलॉट करायेगा। जो लैंड एक्वायर कराता है, वह सोशल पोज़िशन इम्प्रूव करने के लिये, लिविंग का साधन प्राप्त करने के लिए एनी फीस पे करने के लिए तैयार होगा।

१ म० प०

तो हम यहां "प्रोवाइडेड" इसको डिटो करते हैं कि जो प्राइसेज वह चाहे वह ले सकता है। ऐसा नहीं कि लेजिटिमेट प्राइस हो। इसके जरिये नजराना, फोर्स लेबर बन्द कर दिया है, पर इसको बन्द कर देने से यह तो नहीं हो गया कि इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन बन्द कर दिया। इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन तो कन्टीन्यू रहा। जिस जिस जगह जमीन की ज्यादा मांग है वहां लैंड लोर्ड्स ने लैंड अलॉट करने में ऐसी प्रोहिबिटिव प्राइसेज़ मांगी हैं और वह लेने वालों ने पे की हैं, जिसका उसकी असल कास्ट और प्रोडक्शन से सम्बन्ध नहीं है। इस तरह की प्रोहिबिटिव प्राइसेज़ लैंड लोर्ड्स ने लेकर लैंड्स अलॉट की हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि उस टिनेन्ट को जो लैंड अलॉट किया उसकी एब्नोर्मली हाई प्राइस को उस काश्तकार ने मनी लैंडर से कर्ज लेकर जागीरदार को पे किया। जिससे वह आज तक इन्डेब्टेडनैस में फंसा हुआ है। जब लैंड की प्राइस फिक्स

(श्री श्रीभानसिंह)

नहीं की तो इसके माने यह हुए कि आप इसको जायज करते हैं कि लैंड अलॉट करने में वह चाहे जितनी कीमत ले ले, चाहे उस लैंड की कीमत प्रोडक्शन के हिसाब से पर बीघा चाहे ५ मन हो, इससे ज्यादा भी कीमत ड्रा कर ले तो नेट सेविंग २०) रुपया है। लैंड की अलॉटेबल वेल्यू २००) रुपया बीघा है, किस टर्म्स पर वह जागीरदार उसको अलॉट करता है, किस तरह वह पे करेगा और डैट में नहीं रहेगा। फिर भी इस सैक्शन के अन्दर यह कोई बार (रोक) नहीं है, वह बार नजराना और सर्विस पर है। जो राइट्स इस सैक्शन में दिये हुए हैं, थ्रू ए लीज, वह देता है, प्रीमियम वह चार्ज नहीं करेगा। फिर भी बहुत से राइट्स टिनेन्ट्स और सबटि-नेन्ट्स को नहीं दिये हैं। खातेदार और खुदकाश्त करने वाले को उसकी अपनी लैंड पर राइट ऑफ ओनरशिप है, वह उसे ट्रान्सफर करता है उस पर्टिक्यूलर लैंड पर और ५००) रुपया बीघा पर। तो राजस्थान का कोई कानून नहीं है कि खुदकाश्त होल्डर को, खातेदार को रोके पर बीघा ५००) रुपया लेने से। लैंड लोर्ड सब टीनेन्ट से लीज करे, इस बात में एन्टर होने कि जिस लैंड को वह पर्सनल कल्टिवेशन में रिज्यूम करना चाहता है, तो वह रिज्यूम नहीं करेगा, आपको इजेक्ट नहीं करेगा, और जो अगर इस प्रकार की शर्त रखी है एग्रीमेंट में, तो वह १०००) रुपया बीघे का ले सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं। इस सैक्शन का मतलब यह था कि काश्तकारों का जो एक्स्प्लोइटेशन होता था वह बन्द हो। पर यह "प्रोवाइडेड" रखने से यह एक्स्प्लो-इटेशन बन्द नहीं हुआ है। कन्डीशन ऑफ नॉन इजेक्टमेंट में वह एंटर करता है, राइट ऑफ ऑनरशिप ट्रान्सफर करता है, तो वह इस सैक्शन के तहत में एक्स्प्लोइटेशन कर सकता है। चाहे लीगल माइन्डेड इसके लिये कह दें कि यह अमेंडमेंड कान्सीक्वेंशल है, पर जो एक इससे फुलफिल करना चाहते हैं, क्लॉज १५ और १६ में एक्स्प्लोइटेशन बन्द करना चाहते हैं वह बन्द नहीं होगा, सरेंडर भी नहीं होगा। उधर कहते हैं कि फोर ईयर्स में असि-स्टेन्ट कलेक्टर के यहां सब-टिनेन्ट दावा करके राइट्स ले ले, वह भी ऐम (उद्देश्य) पूरा नहीं होगा। तो जिस ऐम से आपने यह रखा है वह ऐम पूरा नहीं होगा। जो पिक्चर आपने डॉ की है, उसमें जो अगर पहले सिर बनाते, फिर बोड़ी बनाते और फिर टांगों पर आते तो एक कम्प्लीट पिक्चर टिनेन्सी एक्ट का आप माननीय सदस्यों के सामने पेश कर सकते थे, पर माननीय जीनियस मिनिस्टर साहब ने.......

(हंसी)

पांवों से पिक्चर बनाना शुरू किया, फिर पहुंचे सिर तक, तो इस तरह से तो एक अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट भी भूल जाता है, तो वह प्रोपोर्शन भूलने में ऐसा हो गया कि कुछ सेक्शन्स में डेविएशन हो गया और वह कम्पलीट पिक्चर माननीय सदस्यों के सामने नहीं आ पाई। क्योंकि माननीय सदस्यों के सामने कम्प्लीट पिक्चर नहीं आई, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। १५ ए० बहुत इम्पोटेन्ट अमें-डमेंट हैं, इसके बाद कान्सीक्वेंशल अमेंडमेंटस हैं सेक्शन्स ३५, ५५ अर ५६।

तो मैं यह चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में इन सब को देख कर कम्पलीट पिक्चर सामने आ जाय, तो उस कम्पलीट पिक्चर के लिये और जो इसके खास एम्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिये ही मैंने यह अमेंडमेंट रखा है।

१.८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री भैरवलाल कालावादल (अकलेरा) : टिनेन्सी एक्ट फोर्थ अमेंडमेंट बिल हमारे सामने आया है। कितने ही माननीय सदस्यों ने मांग की है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। और इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि सिलेक्ट कमेटी में दिये जाने से खातेदार के जो अधिकार, छोटे किसानों को, गांवों के लोगों को मिलने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब वह कैसे? यह मैं आपको बताऊं।

पहले टिनेन्सी एक्ट प्रथम विधान सभा में हमारे सामने आया था, तो उस समय कई सदस्यों ने मांग की थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को देर हो गई, तो जिन जागीरदारों, जमींदारों के पास जो जागीर की भूमि थी और जिसको वर्षों से छोटे मोटे किसान जोत रहे थे, इससे यह हुआ कि यहां विधान सभा में आने वाले जितने ही जागीरदार, जमींदार सदस्य थे जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी में टिनेन्सी एक्ट को भिजवा कर मौका प्राप्त कर लिया, उनको मौका मिल गया कि जो किसान वर्षों से जमीन जोत रहा है, उसको बेदखल कर दें। वरना १५ अक्टूबर, १९५५ से उस किसान के अधिकार में वह जमीन चली जाती, उस किसान को खातेदारी राइट्स मिल जाते। १५ अक्टूबर, १९५५ के पहले पहले वर्षों से जो काश्तकार जमीनों पर कब्जा जमाये बैठे थे, वर्षों से काश्त कर रहे थे, जमीनें तो जागीरदारों की थी, पर काश्त किसान करते थे। यह बिल पास नहीं हुआ, उससे पहले पहले उन किसानों से जमीनें छीन लीं। किसी किसान को यह कह कर कि अब के हमारी बाईजी रूस (रूठ) गई हैं, बाईजी फसल बोना चाहती हैं। तो एक साल के लिये तुम किसी दूसरे खेत को बो लो, इससे बहूजी भी राजी हो जावेंगी और बाईजी भी राजी हो जावेंगी व तेरा भी काम चल जावेगा। किसान जो बीस वर्षों से उस खेत को जोत रहा था उसको एक साल के लिये यह कह कर कि लाला साहब नाराज होते हैं, बाईजी नाराज होती हैं, तुम एक साल के लिये दूसरा खेत खोज लो, उससे खेत छुडा लेते हैं। इस प्रकार चकमाबाजी से किसान को खेत से बेदखल कर दिया जाता है। किसान को मालूम नहीं था कि कानून क्या बनने वाला है। वह तो २० साल से उस पर खेती करता आ रहा है। कानून क्या बनने वाला है यह तो विधान सभा में बैठने वाले जानते हैं। वे यह जानते हैं कि जो २० वर्ष से खेती करता आ रहा है, उसको खुदकाश्त के अधिकात होंगे और वह उस जमीन का मालिक होगा। जब हमारे माननीय सदस्यों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने एक जाल रचा कि एक साल किसी तरह से किसान उस खेत को छोड़ दे।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir. I believe this is an aspersion on the Hon'ble Members.

श्री उपाध्यक्ष : I also treat it as an aspersion on the Hon'ble members.

'आपने कहा कि माननीय सदस्यों ने जाल रचा', इन शब्दों को आप वापिस लें।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : इसमें मैं भी आ जाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने इन शब्दों को वापिस लें।

श्री भैरवलाल काला बादल : ऐसे शब्द निकल गये तो मैं उनको वापिस लेता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उसका नतीजा यह हुआ कि उन किसानों को तो मालूम हुआ नहीं कि जिस जमीन पर हम काश्त करते हैं वह जमीन १५ अक्टूबर, १९५५ से पहले से करते हैं, उसके लिये हमको खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे। उधर जागीरदारों में पढ़े लिखे लोग थे और कानून की जानकारी उनको मिली। किसानों को मालूम नहीं था कि हम खातेदार हो जावेंगे। इस तरह से उनसे वह जमीन भी छीन ली और खातेदारी राइट्स जो उनको मिलने चाहिये थे, वे भी नहीं मिल सके। बेचारों ने हजारों अर्जियाँ अधिकारियों को दी कि वे उस जमीन पर २० वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं, जिस समय उनको यह मालूम हुआ, मगर फिर उनकी यह बात न तो अदालतों ने सुनी, न किसी दूसरे अफसर ने सुनी और न सैटलमेंट के द्वारा ही उनको पट्टे और पर्चे दिये गये। उस जमीन के खुदकाश्त के पट्टे और पर्चे उन जागीरदारों ने प्राप्त कर लिये। तो उस समय भी २० वर्ष तक खेती करने वाला किसान उस खेत के पट्टे और खातेदारी हक़ों से महरूम रह गया और उसको खातेदारी हक नहीं मिले।

दूसरी बात यह हुई कि खेत तो काश्तकार जोत रहा है, मगर फिर भी उसके नाम पर कहीं भी इन्द्राजात दर्ज नहीं हैं। वह तो केवल खेती करता और फसल काटता और लगान देता था। मगर उस खेत की भी खुदकाश्त जमींदार या जागीरदार के नाम लिखी है और वह भी काश्तकार को न मिल कर जागीरदारों और जमीदारों को ही मिली। यह क्यों हुआ? यह इसलिये हुआ कि पहले टिनेन्सी एक्ट को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था उसकी वजह से यह हुआ। अब इस बिल को भी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावेगा तो उसका नतीजा यही होगा कि जिस जमीन पर आज जागीरदार अधिकार जमाये हैं उनको मुआवजा भी दिलाया जावेगा। किसानों के पास जमीन रही नहीं। यदि जमीन लेने के लिये किसान उस जमीन को खरीदेगा तो भी फायदा जागीरदार को ही मिलेगा, क्योंकि जागीरदार ने खुदकाश्त बता कर खातेदारी हक हासिल कर लिये। जब उधर से देखा कि अब सीलिंग आ रहा है और ज्यादा जमीन रख नहीं सकेंगे, तो अपने खाते की जमीन बताकर किसानों को बेची जा रही है और उनसे १०० रु० और १५०रु० लिये जा रहे हैं और यह कहा जाता है कि तुमको इस जमीन के पट्टे करा दिये जावेंगे और तुम्हारे नाम रजिस्ट्रेशन करा दिया जावेगा। वह जमीन खाते में तो है जागीरदार साहब के, मगर उनको यह कह कर कि यह जमीन तुमको मिल जावेगी, उनसे रुपये ले लिये जाते हैं और अभी तक वह जमीन जागीरदार के पास ही है। अब दुःख यह होता है कि उन लोगों से उन्होंने १००रु० १५०) रुपये भी ले लिये और अब उन जागीरदारों को १० गुणा उस जमीन का मुआवजा भी दिया जावेगा, और किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी। जागीरदारों को, आपने जागीरें ली, उसका मुआवजा दिया, जागीरदारों ने जमीन बेच कर रुपये भी ले लिये और अब उसका १० गुणा और भी आप उनको दिलावेंगे। यह क्या बात है? इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को जितनी ज्यादा ढील देंगे उतना ही ज्यादा किसानों को नुकसान रहेगा। जितनी सिलेक्ट कमेटी में इसको देर लगेगी, उतना ही जागीरदारों को फायदा होगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इसको

(श्री भैरवलाल काला बादल)

सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे तो इसको जल्दी ही, इसी सैशन में, वापिस विचारार्थ लाया जाय और पास किया जाय। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाउस को अपना सुझाव देता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डालना इस समय मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा मत है कि इन क्लॉजेज में ऐसी सिद्धान्त की बातें आती हैं जिनको तसल्ली से सोचना और मनन करना आवश्यक है और वह काम सिलेक्ट कमेटी के जरिये हो सकता है। इस-लिये मैं इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में हूं। विशेष रूप से धारा १५ ए में तरमीम की गई। उसके सम्बन्ध में दो चार बातें सदन के समक्ष मैं अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमान्, मुझे इस तरमीम को देखने से ऐसा मालूम होता है कि कुछ हक किसानों को दिये और जो हक दिये जाते हैं वे कानून के द्वारा दिये जावें और जैसा अंग्रेजी में कहावत है "By operation of law" अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। वे अधिकार कानून की प्रक्रिया मात्र से मिल जाते हैं। मगर यहां पर ऐसी सूरत नहीं रख कर आपने ऐसी बात जोड़ी दी है कि अगर किसान मुकदमाबाजी करेगा तो उसको हक मिलेगा। ऐसा मुझे नजर आता है। मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त किसान वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिये बिल्कुल गलत है। किसान वर्ग के सिलसिले में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि गांवों में किसान दूर दूर रहने वाले होते हैं और शहर वालों की सी सुविधाएं उनको नहीं होती। वे लोग शहर के बसने वाले नहीं हैं। उनको अदालतों में जाने के लिये मीलों सफर करना पड़ता है और उनको अनपढ़ होने के नाते दूसरों की राय लेनी पड़ती है। इसलिये जहां तक कानून उनके अन्दर फायदे कर सकते हैं, तो बिना अदालत में गये ही हों तो उचित है, ऐसी हालत हमको पैदा करनी चाहिये। हम एक थोड़ा सा यह लिख दें कि इतने अर्से से उनको राइट्स मिल जाएंगे और वे अपने राइट्स अदालतों में जाकर हासिल कर लें। मेरे जैसे वकील के लिये कहने को तो एक बहुत अच्छी बात है। अर्जी लिखकर पेश कर दें, फैसला हो जाता है। मगर ऐसा होता नहीं। किसानों को खेत में खेती करनी पड़ती हैं और उनको बहुत मुसीबतें हैं और यदि उनको बगैर इस प्रकार की मुसीबतें उठाये ही कुछ राहत मिल सके तो उनको क्यों नहीं दी जाए। मैं नहीं मानता कि जिन किसानों के हक हैं, हो सकते हैं कि १०० के न हो मगर उससे यह नहीं कि हजारों काश्तकारों के, जिनको खातेदारी हक मिल चुके हैं उनको इस प्रकार के अदा-लती छकड़े में डाले जावें कि वे काश्तकार अपने हक को डिस्प्यूट करें। हो सकता है कि किसी के हक नहीं हों, मगर उसके लिये यह नहीं होना चाहिये कि १०० में से १०० ही अदालत में जावें और अपने हक हासिल करें। जिनको अधिकार नहीं हो वे ऐसा कर सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार करके हम एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में जो कार्यभार पहले से ही बढ़ा हुआ है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे है। जहां १०० कागजात होने चाहियें वहां हजार होंगे। अनावश्यक कागज नजर आते है। जिन कागजों के बिना भी हुकूमत सहूलियत से चल सकती है, अच्छी तरह से चल सकती है और मैं तो मानता हूं

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कि ज्यादा अच्छी तरह से चल सकती हैं। फिर जब एस० डी० एम० की कचहरी में काश्तकारों की अर्जियां आवेंगी और जैसी स्थिति है उन अर्जियों से १०० में से ७० प्रतिशत अनावश्यक होंगी। यह विचार करिये कि उनसे एस० डी० एम० का कितना समय नष्ट होगा, जबकि एस० डी० एम० को अन्य आवश्यक कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। किसान कचहरियों में आवेंगे, तारीख व पेशियां पड़ेंगी। एस. डी. एम. पहले से ही ओवर वर्क्ड रहते हैं, फिर अनावश्यक रूप से ज्यादा ओवर वर्क्ड होंगे। किसानों को बार बार उन तारीख पेशियों पर कचहरियों में आना पड़ेगा। इसलिए यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसको स्टेटिस्टिक्स के साथ और जरूरत हो तो इन्क्वायरी के साथ देखना चाहिए कि इस प्रोविजन की आवश्यकता है क्या? ये दो चीजें मैंने आपको किसानी दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बताई।

मैंने इसमें तीसरी चीज और देखी है कि इस प्रोविजन से जो असली मूल कानून है, उसमें उलझनें भी पैदा होती है। जहां तक मैं समझा हूं टिनेन्सी एक्ट में कुछ धाराएं ऐसी मौजूद हैं जिन धाराओं के मातहत कोई भी काश्तकार अगर उसके हक पर कोई शंका पड़े, डिस्प्यूट पड़े, तो वह मौजूदा कानून की उन धाराओं के मातहत भी उसको साफ करा सकता है। मैं समझता हूं, वे धारायें हैं ८८, ८६ एन्ड सो ओन। यह टिनेन्सी एक्ट के आठवें चेप्टर 'Declaratory suits' पर हैं। पूरा चेप्टर है। सवाल यह है कि आम किसान तो अपने हक को उन धाराओं के अन्तर्गत तय करा चुके हैं और करा सकते हैं, जबकि उनके हक पर लांछन पड़े, शंका पैदा हो। लेकिन जिन किसानों का क्लॉज १५ ए से सम्बन्ध रखा गया है उन पर एक प्रकार से लिमिटेशन लगा दी है। किसान मौजूदा टिनेन्सी एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कभी भी डिक्लेयर करा सकते हैं। एस. डी. एम. की कोर्ट में कभी भी अर्जी लग सकती है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है जब भी कोई हक डिक्लेयर कराना हो। अब इन काश्तकारों के लिए ऐसी क्या बात पैदा हो गई कि इस अवधि में डिक्लेयर करा ले, वरना कानूनी हक जो उनको दिया जा रहा है, वह फिर नहीं मिलेगा। जनरल लॉ को आप एब्रोगेट करते हैं या उसको कायम रखते हैं यह एक इससे उलझन पैदा होगी। एक एस.डी.एम. एक फैसला देगा और दूसरा एस. डी. एम. दूसरा फैसला देगा। इस प्रकार से लिटिगेशन होगा और काश्तकारों को रेवेन्यु बोर्ड में जाना पड़ेगा। इस तरह से मामूली सी बातें अदालतों में खींची जावेंगी और अनावश्यक रूप से कार्य बढ़ेगा और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए इस उलझन को देखना चाहिये। कानून वही बढ़िया और सहूलियत का हो सकता है जिससे कि अनावश्यक रूप से उलझनें पैदा न हों। काम्प्लीकेटेड जजमेन्ट किसानों के लिए बड़ी उलझनें पैदा करते हैं। यह भी एक दृष्टिकोण है इसमें, जो मैंने आपके सामने रखा है।

चौथा दृष्टिकोण आता है लिमिटेशन के पॉइन्ट पर। आखिर हक दिया क्यों है? ऐसी चीज नहीं है कि बेदखल कर रहे है। यदि कोई शंका हो तो एस. डी. एम. की अदालत में अर्जी दे और रिलीफ मांगे अदालत से। यदि किसान को रिलीफ मांगना है तो उसका अर्जी देना वाजिब है अदालत में और उसको अदालत से रिलीफ मिलेगा।

Page No.51

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

एक सिम्पल डिक्लैरेशन का सवाल है, लेकिन इस प्रोविजन के द्वारा लिमिटेशन लगा कर एक मजबूरी पैदा कर रहे हैं उस किसान के ऊपर। जहां तक कानून का मैंने अध्ययन किया है, डिक्लेरेशन के लिए किसी कंट्री के सिविल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है। वह तो वहां होती है जहां कोई शंका डाले। मान लीजिये कि इस कानून की धारा ५५ के मातहत किसान को हक मिला हुआ है और उसको कोई डिस्प्यूट नहीं करता है। ये कानून छप जाते हैं, बाजार में बिकने लगते हैं, वकीलों के द्वारा काश्तकारों के मुकदमे शुरू हो जाते हैं, फिर भी उन कानूनों का १०० में से ८० प्रतिशत किसानों को मालूम नहीं होता। मान लीजिये कि इसी दृष्टि से इस कानून का हाल होगा, लिमिटेशन की अवधि खत्म हो जावेगी और उसके कई महीनों के बाद जाकर किसानों को मालूम पड़ेगा। गांवों में खबर पहुंचेगी। उनका क्या हाल होगा इसलिए कहीं भी डिक्लेरेशन पर कोई लिमिट नहीं होती। इस कानून में इस प्रकार की लिमिटेशन रखना अवांछनीय है। इससे एक प्रकार से उलझनें बढ़ेगी ही, कम नहीं होंगी। इसलिए मैं सदन के सामने यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि छोटी सी अवधि में इसके सारे प्रोस एन्ड कोन्स एक्जामिन हो जाय, यह असंभव चीज है। इसको गहराई से सोचना चाहिए। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको हिदायत की जाय कि वह यह देखे कि केनाल एरिया से कवर्ड दूसरे टिनेन्ट है, उनमें से किसी ने भोलेपन में अर्जी नहीं दी, पर वर्षों से उसका उस जमीन पर हक है तो क्या उसका इसी दृष्टि से हक समाप्त हो जायगा? और यह भी उसे देखना चाहिये कि उस सैक्शन को डिलीट कर देने से क्या नुकसान होता है। डिक्लेरेशन भूल से न हो सका हो तो हक तो वैसा ही रहता है। इसलिए चारों तरफ से इसको घुमा फिरा कर देखा जाय, उस पर सोच विचार किया जाय और फिर निर्णय लिया जाय सदन द्वारा। तो यह ठीक चीज होगी नहीं, तो हल्के दृष्टिकोण से राजस्थान के किसानों के भाग्य का निर्णय होगा। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय यह मेरी सिफारिश है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल के सम्बन्ध में कल से जो वाद विवाद चल रहा है। मैं समझता हूं, यही इस बिल के लिए पर्याप्त है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और उन विचारों में जो धाराएं संशोधित की जाने वाली हैं और संशोधनों से जो काश्तकारों पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसका ब्यौरेवार जिक्र किया है। इतना जिक्र होने के बाद इस बात की आवश्यकता तो नहीं होती कि उन्हीं बातों को एक अच्छे विश्लेषण के साथ दुबारा सदन में रखा जाय। मैं समझता हूं, माननीय राजस्व मंत्रीजी यदि थोड़ा एश्योरेन्स दें तो मैं बोलना आवश्यक न समझ कर बैठना उचित समझूंगा कि अब तक की बहस का उनके ऊपर कुछ प्रभाव हुआ है और उनके कारण से यह बिल वे सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मौन रह कर मेरे इस सुझाव से इन्क्वायरी इस सदन में वे व्यक्त करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को ही यदि कोई व्यक्ति देखे, और बिल की धाराओं को नहीं देखे, तो मैं सम-

Page No.52

(श्री भैरोंसिंह)

भ्रता हूं कि कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में ऐसे इम्पोर्टन्ट अमेन्डमेन्ट्स आ रहे हैं जिन इम्पोर्टन्ट अमेन्डमेन्ट्स के कारण राजस्थान के काश्तकारों को काफी लाभ होंगे।

शुरू से लेकर अन्त तक तीसरी लाइन से शुरू किया गया वन ऑफ दी इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट्स और उसके बाद में शुरू किया गया अदर इम्पोर्टेन्ट अमेंडमेंट, कहीं इस बात का तो जिक्र ही नहीं कि यह इम्पोर्टेन्ट नहीं। आज तक जितने भी संशोधन विधेयक पेश किये गए हैं, जितने भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स पेश किए गए हैं, उनमें देखने को मिलता है कि शायद ही किसी दूसरे संशोधन विधेयक के संबंध में इतना इम्फेसिस किया गया हो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है जितना इसमें, इसकी दूसरों में सरकार को आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन यह इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेशन है, इस प्रकार का संकेत इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में देखने को मिलता है। अब इसको आप देखें तो कुछ ऐसा लगता है कि टिनेन्सी एक्ट में जो संशोधन हम ला रहे हैं उससे टिनेन्सी कानून बदलेगा। काश्तकारों को जबर्दस्त रिलीफ मिलेगी। हमारे प्रगतिशील कानून का प्रभाव राज्य सरकार पर इतना गहरा जम गया है कि सरकार काश्तकारों के हित के अलावा चिन्तन नहीं करती। यह इसके ऑब्जेक्ट्स को देखने से पता चलता है। लेकिन जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किए गए, उन धाराओं को अगर देखा जाय तो ऐसा लगता है कि जो भावनाएँ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में व्यक्त की गई हैं, उनके विपरीत भावनाओं को लेकर संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

इसे प्रवर समिति में न भेजने का विरोध केवल सराड़ा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने विरोध क्यों किया। कोई विशेष इन्स्ट्रक्शन्स उनको होंगे, मैं कह नहीं सकता। इनके अलावा एक और माननीय सदस्य ने विरोध किया। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद उनको यह याद नहीं रहा कि बहस चतुर्थ संशोधन विधेयक पर हो रही है या पंचम विधेयक पर। उन्होंने पांचवें संशोधन विधेयक में जो बातें थीं, उन पर प्रकाश डाला।

प्रश्न एक छोटा सा है। बिल एक छोटा सा है। स्टेटमेंट इसका बहुत इम्पोर्टेन्ट है। यह इम्पोर्टेन्ट केवल संशोधनों के कारण हो, यह बात नहीं। यह इम्पोर्टेन्ट इसलिए है कि आज तक जितने भी कानून बनाए गए हैं उसके अन्दर जो टार्गेट हासिल करना था, प्लानिंग कमीशन ने जो आदेश दिए थे कि अमुक अमुक टार्गेट्स एचीव करने हैं, इस बिल द्वारा हम वे टार्गेट्स एचीव करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन टार्गेट्स को बैक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके जो परिणाम होने वाले हैं, इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, उन प्रभावों से जिन आदमियों को इसका सामना करना पड़ेगा, उनको देखकर संशोधन प्रस्तावित करने हैं। माननीय राजस्व मंत्री इस बात के लिए तैयार नही होंगे कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इसलिए मुझे मजबूर होकर उन बातों पर प्रकाश डालना होगा, जिनके कारण इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है।

(श्री भैरोंसिंह)

अभी अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अच्छी तकरीर के साथ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि हम इस प्रकार का कानून पास करके काश्तकारों को लिटिगेशन में न फंसायें। मुझे राजस्व मंत्रीजी का भाषण याद है । जिस समय राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट बना, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना, उस समय उनका एक भाषण तो मैंने विशेष रूप से याद रखा ! वे चाहें तो यहां का कार्य विवरण उठाकर देख सकते हैं । जब धारावाइज विचार होगा, उस समय रेफरेन्स भी दूंगा । जिस समय पिछली बार सेकन्ड फाइव ईयर प्लान की ड्राफ्ट पर विचार हो रहा था, उस समय सदन के एक माननीय सदस्य ने जो इस बार चुनाव में न आ सके, सरकार से मांग की थी और उसका समर्थन, सदन के कई सदस्यों ने किया था, उस समर्थन द्वारा सरकार से यह मांग की गई थी और प्लानिंग कमीशन ने भी इस विषय को बहुत इम्पोर्टेन्ट माना है। उनका कहना है कि सरेन्डर की कार्यवाही को रोककर जमीन पर जो काबिज होता है, अगर उस पर उसके बोनाफाइडीज डाउटफुल हों, तो इन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिये ऐसे डाउट्स किये जा सकते हैं कि जिन आदमियों के लिये सरेन्डर किया गया है, वह न्याय संगत कार्यवाही नहीं हुई। उनसे मजबूरन सरेन्डर करवाया गया। उनको किसी प्रकार रिलीफ मिलना चाहिये,इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। उसके स्वीकार न होने के कारण काश्तकार लिटिगेशन में पड़ेंगे। जागीरदार और काश्तकारों में संघर्ष होगा । मैं समझता हूँ राजस्व मंत्री की वह दलील जिनके लिये कहा गया था कि जागीरदारों और काश्तकारों में संघर्ष होगा, उस दलील ने सदन के बहुमत को अपने पक्ष में किया और फिर इस बारे में किसी दूसरे माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तावित नहीं किया। उसके बाद में कुछ संशोधन आये। एक नया संशोधन आया। उस संशोधन के अनुसार जहां एक सरपंच तहसील पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड और गांव के एक हैडमेन को अधिकार दिया है कि वह सरेन्डर का अटेस्टेशन करे। उसके अटेस्टेशन के बाद में सरेन्डर को उचित माना जायगा। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता और वह इसलिये नहीं होता कि पिछले तीन चार वर्षों के पंचायतों के जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि इस प्रकार के अधिकार न पंचों को देने चाहिये, न पंचायतों को देने चाहिये, न तहसील पंचायत की और न म्युनिसिपल बोर्ड को देने चाहिये। अगर इस प्रकार के अधिकार रेवेन्यु एजेन्सीज़ को यानी गवर्नमेन्ट को दिये जाय तो डिसप्यूट्स कम होंगे। इससे जिन लोगों को हम वास्तव में रिलीफ देना चाहते हैं उनको वास्तव में रिलीफ मिल सकेगा और जिस सरेण्डर की कार्यवाही को नियमित करवाना चाहते हैं वह नियमपूर्वक हो सकेगी। आज जब हम तहसील पंचायत को पावर देते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड को देते हैं, तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि जहां लोग यह कहते हैं कि पंचायतों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये वहां मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की जितनी भी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, वे न केवल राजनीति के आधार पर हुए हैं बल्कि राजनैतिक पार्टी की एक गुटबन्दी के आधार पर हुए हैं। मैं राजस्थान में हुए पंचायतों के चुनाव के लिये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ और सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि जो पंचायतों में काम चल

Page No.54

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है वह पार्टीबाजी के साथ साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये हो रहा है । इसके लिये मैं तो यह मानता हूँ, कुछ खराबियां तो हमारे कानून में हैं । उनको अगर दूर करने के सुझाव देते हैं तो उन पर सरकार विचार करने का बहाना लेकर बैठी रहती है । इसलिये सरेण्डर के विषय में जो हमने अधिकार दिये हैं,वे यदि पंचायतों को दिये गये तो संघर्ष पैदा होने की स्थिति बनेगी । एक ग्राम पंचायत अटेस्टेशन करती है, तहसील पंचायत भी अटेस्सटेशन करती है, मान लीजिये कहीं की पंचायत बदली, रेकॉर्ड बदला, यहां तक भी हुआ है कि पंचायतों को पूरा स्टॉफ नहीं देते ।

श्री उपाध्यक्ष : How is it relevant to the debate. I don't think it is relevant to it.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल रिलेवेन्ट है । मैं आपसे निवेदन करूं जिस पंच या सरपंच को अधिकार मिल जाता है सरेण्डर के अटेस्टेशन का । हम यह चाहते हैं कि इस बिल द्वारा इस प्रकार के अधिकार उनको न मिलें और वे अधिकार रेवेन्यु एजेन्सीज़ को मिलने चाहिये । इसलिये मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रसंग संगत है ।

ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी जो इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट लाये हैं, वह इस बात के लिये लाते कि ये अधिकार पंचायतों को न देकर रेवेन्यु एजेन्सीज को देना चाहते तो ठीक होता । सराडा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण को मैंने सुना । उनको भी मैं समझा हूँ, यही कहना था कि ये अधिकार रेवेन्यु एजेन्सीज़ को ही मिलने चाहिये, अगर उनके भाषण को मैं नहीं समझ पाया, तो यही उनका कहना था । इसका मैं भी समर्थन करता हूं । जिसके हाथ में हम सरेन्डर के अटेस्टेशन के पॉवर देना चाहते हैं और जिससे संघर्ष होने का डर है, इससे पंचायतों में वह संघर्ष की भावना भी पैदा नहीं होगी ।

अभी इस प्रकार का दूसरा प्रश्न था । आज से लगभग १०–१२ दिन पहले थर्ड अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया । उस समय कतिपय माननीय सदस्यों ने इस बात का घोर विरोध किया । जिनको खातेदारी अधिकार दे दिये उनसे छीने नहीं जावें । माननीय राजस्व मन्त्री ने भी प्रयास किया कि वास्तविकता पर पर्दा डालकर इस बात की चेष्टा की जावे कि सदस्यगण एवं उनके साथ साथ समस्त काश्तकार ऐसा समझें कि खातेदारी अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं । छीने जा रहे हैं, जब यह बात कुछ अंशों में स्वीकार की गई थी, तो दूसरी व्यवस्था यह हुई जिससे कि इसके बाद में उन खातेदारों को जो अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उनको रिलीफ मिलेगी । अब रिलीफ किस प्रकार से मिलेगी इसकी व्यवस्था इसमें हुई ।

धारा १५ ए में संशोधन हुआ और उसमें यह व्यवस्था की कि जिस आदमी के खातेदारी हक हकूक हासिल थे, वे असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट में जाकर डिक्लेरेटरी स्यूट के जरिये अपने अधिकारों का डिक्लेरेशन प्राप्त करे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह बात हो कि यह सदन वकीलों का हो, और ऐसे वकीलों का जिनका धन्धा छिन गया हो, और वकील अपने लिये कोई प्रस्ताव इस सदन में लाकर,जनता किस प्रकार से मुकद्मेबाजी में फंसे और उस के कारण से हमको

(श्री भैरोंसिंह)

मेहनताना मिले, अगर ऐसा प्रस्ताव वकीलों की तरफ से आता, हालां कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी भी वकील रहे हुए हैं और इस प्रकार की भावना से वे भी वंचित नहीं हैं, लेकिन यह बिल पेश किया जा रहा है राजस्थान की विधान सभा में, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं। केवल वकीलों के और इन्टेलीजेन्टों के नहीं। यहां अनपढ़ भी हैं, काश्तकारों के प्रतिनिधि भी हैं, वकीलों के भी प्रतिनिधि हैं। पर जैसा संशोधन पेश हुआ है उससे ऐसा लगता है कि आजकल जहां लिटिगेशन, खास तौर से रेवेन्यु लिटिगेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जागीर रिज़म्पशन के कारण से, जमींदारी एबोलिशन की भावना के कारण, टिनेन्सी और लैंड रेवेन्यु एक्टों के कारण, इन प्रोग्रेसिव टिनेन्सी लेजिस्लेचरों के कारण काश्तकार अपने को सिक्योर अनुभव करने लगा है, इस कारण वह महसूस करने लगा है कि भूमि का वह स्वयं मालिक है, उसे मुकद्दमेबाजी में फंसना नहीं है, प्रोडक्शन पर ध्यान देना है। काश्तकारों की स्थिति ठीक बनने लगी है। इस कारण तब ऐसा लगता है वकीलों के कारण से या जिनका सरकार पर प्रभाव है, उनके कारण सरकार ने यह व्यवस्था की है कि इन काश्तकारों को किसी तरह से मुकद्दमेबाजी में फंसाया जावे और जो कुछ मनी प्रोग्रेसिव टिनेन्सी लेजिस्लेचर के कारण उनके पास रहने की व्यवस्था की गई है, उन कानूनों के जरिये जो थोड़ा बहुत पैसा वे बचा पाये हैं अपनी हालत ठीक कर पाये हैं, उस पैसे को खींचें। यदि इस प्रकार की भावना से कानून बना है तो मैं राजस्व मंत्रीजी की बुद्धि को दाद दूंगा। पर मैं ऐसा मान कर चलूंगा कि विधान सभा में यह कानून पेश हुआ है। किसी वकीलों के बार एसोसियेशन में नहीं, जहां वकालत बन्द हो चुकी या बन्द होने वाली है। यह पेश विधान सभा में हुआ है, तो सदन के माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य है कि जहां काश्तकार लिटिगेशन में फंसता हो, उसे बचावे।

राजस्थान में ७० प्रतिशत लोग खेती करते हैं। वे टिनेन्सी एक्टों से प्रभावित हैं। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट उनको गारन्टी देता है। जहां ये सारी चीजें ७८ पर्सेन्ट लोगों के लिये व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, वहां चाहे एक पर्सेन्ट भी हो उन लोगों के लिये भी अगर लिटिगेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे तो राजस्थान केनाल में बसने वाले काश्तकारों के लिये भले ही आज यह कानून बनाया जा रहा हो, पर कभी किसी दिन यह आगे भी बढ़ सकता है और सरकार कह सकती है कि अमुक स्थान पर डेवलपमेन्ट का कार्य हो रहा है, उसके लिये या उसके जरिये हम जमीन छीनना चाहते हैं। इन जगहों पर हमने जो खातेदारी के हक़ दे दिये हैं वे अब नहीं मानते जबतक कि कोर्ट में जाकर वे डिक्लेरेटरी स्यूट में दर्ख्वास्त नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक प्रश्न छोटा सा है। सिद्धान्त का प्रश्न है। मेरी जेब में फाउन्टेन पैन है। उसे मैंने बाजार से खरीदा है। अब इसका मतलब यह नहीं होता कि इसकी रसीद अपने साथ रक्खूं। अमुक व्यक्ति से अमुक दुकान से चार या पांच रुपये में यह मैंने खरीदा है। अब कोई भी व्यक्ति इसे मेरे से मांग कर लिखना शुरू कर दे और बाद में यह कहे कि इसे आपको उस समय लौटाऊंगा जब आप यह साबित करें कि अमुक दुकान से इसे खरीदा है। तो यह तो बिल्कुल उसी प्रकार की बात हुई। काश्तकार को आपने हक दे दिया, कानून से दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

बिना कानून के नहीं। बीकानेर में उस समय जो कानून था उसके अन्तर्गत उसको हक-हकूक मिले । राजस्थान का कानून था। कानून के जरिये से उसे हक-हकूक मिल गये। उनका उपभोग करना काश्तकार ने शुरू कर दिया। इसके बाद में सरकार यह कानून बनावे कि यदि तुम्हारा हक है तो अदालत में साबित करो। लेकिन यह तो एक मैं समझता हूं जबर्दस्त विडम्बना है। या तो काश्तकार जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा वह भुगतेगा या राजस्थान सरकार की समझ में यह भी आये कि काश्तकार दुखी है और इसके कारण संशोधन लाकर रिलीफ देने का विचार करे उस दिन यह सारी स्थिति आवेगी। लेकिन मुझे तो थोड़े दिनों से यह अनुभव होता आ रहा है कि हमारी सरकार धीरे-धीरे, चाहे किसी कारण से कानून बनाया हो, कानून में कई प्रकार की खामियां रही हों, तकाजे में बनाया हो, अब दुरुस्ती के नाम से जो अमेडमेंट किया है, उसने जो वादे काश्तकारों से किये हैं उनको पालन करना नहीं चाहती, पर उनसे धीरे धीरे मुकरना चाहती है।

अब इस सारे संशोधन विधेयक में अजीब व्यवस्था है; वह है सेक्शन ३४ के अमेन्डमेन्ट की। इसमें एक प्रोविज़ो एड किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस प्रकार का प्रोविज़ो कई स्थितियों में जरूरी है । हमारे सामने इस प्रकार की स्थितियां आने वाली हैं कि जो टिनेन्ट हैं, जो अपनी जमीन है, दूसरों को देंगे, अलॉट करेंगे उन लोगों को जो हमें अलॉट करवायेंगे, सीलिंग का भी कानून आने वाला है। जो जमीन अलॉट करवाई है, अगर उसका राइट ट्रान्सफर करते हैं उससे, तो हमें कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा । अब तक की जो व्यवस्था थी उसके अन्दर इसके आधार पर हमने इस बात की व्यवस्था की है कि कोई नज़राना नहीं ले सके। कोई किसी तरह से लेबर के जरिये से नज़राना की पूर्ति नहीं कर सके; पर अब जो हमने यह प्रोविज़ो एड किया है उसके कारण से अलॉटमेन्ट के कारण जो कुछ क्षति अलॉट करने वाले को होगी, उसको हम कम्पेन्सेशन के रूप में या कीमत के रूप में कुछ दिलाना चाहते हैं । लेकिन क्या है :

"Provided that nothing in this section shall bar the recovery of the price of land allotted to any person in accordance with rules made under section 100 or sec. 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956."

तात्पर्य यह है कहने का कि लैंड रेवेन्यु एक्ट की धारा १०० और १०१ के अन्तर्गत जो नियम बने हैं उनके अन्तर्गत जो अलॉटमेन्ट होता है उसकी जो कीमत निश्चित होती है, उसको वसूल करने में कोई रुकावट नहीं होगी।

माननीय राजस्व मन्त्री को एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आज के छः-सात दिन पहले जो उन्होंने हाउस में दिया था, मैंने सुना है। सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि लैंड रेवेन्यु एक्ट के रूल्स बने या नहीं। माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा था, नहीं बने। मुझे जहां तक जानकारी है, ऐसा लगता है, एक धारा के नियम तो बन गये और वह है धारा १००। उसके नियम बन गये, और धारा १०१ के अन्तर्गत नियम बनाने का जो सरकार को अधिकार था वह नियम नहीं बने तो जो नियम नहीं बने, जिनके

(श्री भैरोंसिंह)

अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, उस कार्यवाही को कानून के अन्दर संरक्षण प्राप्त करवा कर, आज इस प्रकार का अधूरा कानून विधान सभा के सामने रख कर उस पर सदन की मोहर लगवाई जाती है तो मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की मोहर लगाने के लिये...

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir, both these have been framed.

श्री भैरोंसिंह : They have not been published.

श्री दामोदरलाल व्यास : They have been published long long back.

श्री भैरोंसिंह : कब हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Just refer to the Gazette.

श्री भैरोंसिंह : जहां तक मेरी इत्तिला है दूसरे जो नियम हैं ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : But this issue should be accepted when this has been so strenuously placed.

श्री भैरोंसिंह : मैंने अभी अभी जो आपके सलाहकार हैं उनसे जानकारी हासिल की है, उन्होंने कहा कि रूल्स नहीं बने हैं। पहले वह दोनों आपस में दुरुस्त कर लें फिर मुझे उत्तर दें। मैंने जो कहा है वह किसी जानकारी के आधार पर कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आरम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं क्या मानूं ?

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स छप गये हैं यह मानकर चलें।

श्री भैरोंसिंह : आप जरा उनसे तो पूछ लीजिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तो अब यह मानकर चलना पड़ेगा हालांकि हैं नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ भी मानिये, मगर शुरू रखिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह आता है कि रूल्स बना दिये और रूल्स नहीं बनाये, मैं इस झगड़े को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी जानकारी दूसरी थी और माननीय राजस्व मंत्रीजी दूसरी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। तो उस बात को दूर रख कर इसके बाकी के जो इफेक्ट्स होने वाले हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इस प्रकार की धारा है जिस धारा का प्रयोग हमें कई स्थानों पर करना पड़ेगा। कई कामों में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जितने अलॉटमेन्ट्स हो गये हैं उनके बारे में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जो अलॉटमेन्ट्स किये जायेंगे उनके बारे में उसका प्रयोग करना पड़ेगा और उन सब में प्रयोग के लिए केवल हम इतना सा संशोधन कर दें वह पर्याप्त नहीं है। अब तक हमने यह व्यवस्था कर रखी थी कि नजराना नहीं ले सकते। कोई नजराने के रूप में भूमि का लाभ नहीं उठा सकता। अब हमने यह प्रोविज़ो रख कर उसकी रकम वसूल करने के अधिकारी दिये हैं। मगर ऐसी कार्यवाही चाहे वह गलत हुई हो या सही हुई हो, कानून के अन्तर्गत हुई हो या विपरीत हुई हो उनका निर्वाह किस प्रकार से होगा ? माननीय राजस्व मन्त्रीजी कहेंगे

(श्री भैरोंसिंह)

कि अभी तक तहसील के अन्दर सरकारी जमीन को अलॉटमेंट्स के ऑर्डर्स पहुँचते हैं। हर तहसील के अन्दर एक एक भूमि वितरण समिति बनी हुई है। अलॉटमेन्ट्स किन शर्तों के ऊपर हो रहे हैं। अलॉटमेन्टस के समय उनके सामने एक ही शर्त है और वह यह है कि भूमिहीन कौन हैं? कहीं काश्तकार का प्रश्न आता है, कही हरिजनों का प्रश्न आता है, तो कहीं भूमिहीन किसानों का। इन प्रश्नों को सामने रखकर अलॉटमेन्ट्स हो रहे हैं। अब बाकी के अलॉटमेन्ट्स की क्या शर्तें होंगी और दूसरे अलॉटमेन्ट्स का उन पर क्या दायित्व आयेगा, उसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। अभी हमारे राजस्व मन्त्रीजी कहेंगे कि उनको ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उसकी आवश्यकता यों है कि आज केवल सरकार ने ही नहीं, बल्कि औरों ने भी अपनी जमीन की कीमतें तय कर रखी हैं, तो उन सब चीजों का क्या असर होगा? हमने केवल आगे से प्रबन्ध कर दिया कीमतें वसूल करने का, मगर पीछे वाले जितने भी कीमत वाले हैं उनका क्या होगा? ठीक है कीमतें तो वसूल करिये, लेकिन कीमतें तय करने की व्यवस्था थी वह किस आधार पर हुई? काश्तकार को कीमत ज्यादा देनी पड़ी है या कम, इसके बारे में हमारा कानून बिलकुल साइलेन्ट है और इस साइलेन्स को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आवश्यक संशोधन आना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि यदि इतने संशोधन इस सदन में पेश किये जायें और हर विषय में इस बारे में विचार किया जाय तो इस सदन की ऐसी स्पिरिट है कि यदि संशोधन पेश किये जायें और उन पर यहां बहस की जाये, तो शायद बहस के कारण से ही माननीय राजस्व मन्त्रीजी या सरकारी प्रतिनिधि ऐसी बातों को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वहां पर बैठ कर हम इस बिल पर ठीक ढंग से विचार कर सकेंगे, इसके जितने भी परिणाम होने वाले हैं उन पर विचार कर सकेंगे, जिनके हक हैं और जिनके डिक्लरेशन सूट कराने की व्यवस्था कर रहे हैं उसके बारे में दूसरी कोई अच्छी व्यवस्था ला सकेंगे और उनको रिलीफ किस प्रकार से मिल सकेगी इसकी भी व्यवस्था हम कर सकेंगे। साथ ही जो उनको कोर्ट में जाना होगा उसके बारे में भी कुछ विचार कर सकेंगे। लेकिन आज सदन में रख कर इस पर बिना गंभीरता से विचार किये पास कर दिया जायेगा तो इसमें बहुत सी खामियां रह जायेंगी। इस पर बिना गम्भीरता से विचार करने की चेष्टा की जाने से ऐसा लगता है कि सरकार का रुख इसकी ओर से काफी एडेमेन्ट है और यदि सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी, जो संशोधन इस सदन के इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा गया है, उसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लछमनगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल आया है, मैं उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं तो यह दो रोज से बहस सुन रहा हूं और समझ रहा था कि इस बहस की जरूरत नहीं थी। मंत्री महोदय इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दें और मैं समझता हूं कि हम भेजेंगे ही तो इसमें जो खामियां हैं उन पर सिलेक्ट कमेटी में ठीक तरह से विचार हो जाये और विचार होने के बाद फिर यह हाउस में आये। मैं इस बात पर ताज्जुब

(श्री किशनसिंह बट्टड)

कर रहा हूं कि आज किसान को यह कहा जा रहा है कि तुम अपना राइट, अपना हक अदालत में जाकर मांगो और दर्ख्वास्त दो। लेकिन जो किसान यह मानता है कि मेरा खेत है और मैं जोतता हूं और उसका जो माल है वह सरकार को या किसी और को देता है। मैं आपको बताऊं कि आज सीकर ठिकाने में तो किसान यह मानकर चलता है कि मेरा खेत है और मैं उसका मालिक हूँ और उस किसान को जब यह मालूम होगा कि मुझे अदालत में जाकर यह कहना पड़ेगा कि मेरी जमीन का मेरे खेत का हक दिलाया जाये तो उसको बड़ा दुख होगा। वह नहीं जानता कि वह कहां जाये, वह कहां से हक लाये, कौन सी अदालत में जाये। उसको कुछ भी पता नहीं है और अगर उसको पता पड़ेगा तो उसको चालीस मील से और पन्द्रह मील से उसके लिए चलकर जाना पड़ेगा। फिर उसको यह कहा गया कि चार आने की दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी। यह तो ठीक है कि दर्ख्वास्त के तो चार आने ही लगेंगे लेकिन उसको कितनी दूर से आना पड़ेगा और फिर क्या उसी दिन उसको लिख दिया जायगा। उसको दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी तो लिखने वाला क्या लेगा। फिर उसका अपना खेत है या नहीं, उसकी साबूती देनी पड़ेगी। तो मुझे तो यह देखकर कुछ उल्टा लगा। यह गलती, कानून की गलती सरकार की है, हमारी है। सरकार को यह चाहिए था कि जो किसान खेत जोतता है उसकी जांच करके उसके घर बैठे भी राइट्स में कमी रह गई है तो उसको दिलाये फिर अगर सरकार को भय है कि किसान से कोई खेत छीन लेगा तो उसको घर बैठे भेज दे। सरकार कोई मुआवजा दिलाना चाहती है तो दे दे न कि किसानों से बात करे। सरकार को मालूम है कि किसान इस खेत पर इतने दिनों से काबिज है तो उसको अधिकार घर बैठे दे दे। कुछ दिनों पहले मुझे ठीक याद नहीं है ५२ या ५३ में। तो उससे पहले हमारे सीकर और झुंझुनू के लिए...

२ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ का ताल्लुक सीकर और झुंझुनूं से बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह राजस्थान केनाल एरिया के लिए कानून बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी शुभ चिन्तना सारे राजस्थान के लिए है।

श्री भैरोंसिह : उनको कहीं डर है कि राजस्थान केनाल सीकर और झुंझुनूं जिलों में भी आ जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : सीकर और झुंझुनूं के लिए यह कानून नहीं है, यह राजस्थान केनाल एरिया के लिए है।

श्री किशनसिंह : उनको भी आना पड़ेगा अदालतों में।

श्री उपाध्यक्ष : सीकर और झुंझुनूं की चिन्ता से आप मुक्त हुए।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : केनाल उधर भी आ जाय।

श्री भैरोंसिह : उन्हें डर है कि राजस्थान केनाल सीकर और झुंझुनूं में न आ जाय।

Page No.60

श्री किशनसिंह : इसके अतिरिक्त दूसरे राजस्थान के प्रश्न पर बोल रहा हूं। यह हो गया है, तो ठीक हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले तो नहीं मालूम था।

श्री किशनसिंह : सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज दिया जाय ताकि वहां पर तय कर उस पर विचार कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कई माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने सुझाव पेश किए हैं। आम तौर पर बिल की अहमियत को देखते हुए, और यह देखते हुए कि सिलेक्ट कमेटी में आने से इसकी स्क्रूटिनी अच्छी हो जायगी, वक़्त-फवक़्त, जब भी मैं कोई बिल लाया हूँ तो मैंने खुद ने इस बात की कोशिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर बिल को भेजा जाय। अगर जब किसी बिल में बहुत साधारण से अमेंडमेंट्स हों और वे इस प्रकार के हों कि जिसकी गलत इन्टरप्रीटेशन करने की कोई गुन्ज़ाइश नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि उसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर महज सदन का और सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का वक़्त खराब करना होगा और यह उचित नहीं होगा। इसलिए जो यह सुझाव पेश हुआ है सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए, उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि यह जो बिल है इसको संक्षेप में, मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा।

यहां पर एक माननीय सदस्य ने, जो कि अजमेर से आए हुए हैं और जोकि बहुत लायक वकील हैं और सफल भी हैं, उन्होंने दफा १५ ए को समझने और समझाने की कोशिश की थी, मगर मैं समझता हूँ कि जब थर्ड अमेंडमेंट बिलटेनेन्सी एक्ट पर बहस हुई उसके अन्दर आप सदन में उपस्थित हुए होते, वह मौजूद होते या उन्होंने उस पर की गई बहस को देखने की तकलीफ गवारा की होती तो शायद वह जो बहस कर रहे थे, वह नहीं करते।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह समझ रखा है कि दफा १५-ए में जो डिक्लेरेटरी सूट का प्रावधान रखा है वह सारे राजस्थान में हर एक काश्तकार के लिए एप्लाई होता है। हर काश्तकार को मजबूर होना पड़ेगा कि दफा १५-ए के तहत डिक्लेरेटरी सूट तैयार करे। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जैसा कि अभी सूचना के लिए मैंने एक माननीय सदस्य को बताया कि इसका सम्बन्ध राजस्थान केनाल एरिया से है, और किसी से इसका संबंध नहीं है।

अब मैं अर्ज करूँगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की टीका-टिप्पणी की है कि इम्पोर्टेन्स जिस क्लॉज की मैंने बिल के स्टेटमेंन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बतलाई है, उसको उन्होंने कोई इम्पोर्टेन्स नहीं दी है। खैर, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा कन्ट्रोवर्सी में, पर थोड़ा सा सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो प्रोविज़न्स इस बिल के अन्दर मैंने रखे हैं उनका असल में मकसद क्या है? यह बात सही तरीके से देखेंगे तो मालूम होगा कि सबसे इम्पोर्टेन्ट प्रोविज़न जो बिल के अन्दर है वह सरेण्डर का प्रोविज़न ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है। जो माननीय सदस्य श्रीमाधोपुर से आये हुए हैं उनकी निगाह में उसकी वक़त नहीं होगी। वक़त क्यों उनकी निगाह में नहीं है वह हम समझते हैं कि इस बात का तुरन्त इफेक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सरेण्डर पर होता है। महज़ यह कह देना कि सरेण्डर जो कुछ होने थे हो गये, जो कुछ इजेक्टमेंट होने थे वे हो गये······

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह मैंने नहीं कहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : Listen to me please. एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इजेक्टमेंट जो होने थे वे हो गये, अब ये क्लॉजेज़ रिडन्डेन्ट हैं। यहां उनको इन्सर्ट करना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने इस बात की भी टीका-टिप्पणी करने की कोशिश की कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां पर कितने टिनेन्ट्स हैं, कितने इजेक्टमेंट किये गये हैं, कितने खुदकाश्त के टिनेन्ट्स हैं, कितने सब-टिनेन्ट्स हैं, कितने सरेण्डर हुए। मैं समझता हूं कि यह उनकी भूल है जो वे यह समझते हैं कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। कितने वहां पर सब-टिनेन्ट्स हैं, कितने खुदकाश्त के टिनेन्ट्स हैं, ये सब फिगर्स कलेक्ट किये गये हैं। उनकी जानकारी है सरकार को पूरी तरह से; माननीय सदस्य यदि कोई जानना चाहें तो उनको बताने की कोशिश की जा सकती है। मगर यह कहना कि इस तरह का सरेण्डर का जो प्रोविज़न है वह बिल्कुल रिडन्डेन्ट हो गया है, क्योंकि उसकी कोई वक़त नहीं रही है। मैं अर्ज करूं कि जो वास्तव में सबसे इम्पोर्टेन्ट प्रोविजन है, वह सरेण्डर का है। महज़ यह कह देना कि जो कुछ इजेक्टमेन्ट होने को थे वे हो गये, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इतिहास राजस्थान के खुदकाश्त के काश्तकारों का, लैंड होल्डर्स का जो है उस इतिहास को अगर आप देखेंगे तो सन् १९४९ के अन्दर मास इजेक्टमेन्ट्स हुए हैं किसानों के, तो सरकार को एक कानून बनाना पड़ा किसानों के इजेक्टमेंट को रोकने के लिए। इजेक्टमेन्ट को कानून के जरिये रोका तो उसके बाद में जो माननीय सदस्य यहां पर वकालत करते हैं, जिनको मुकद्मात देखने का मौका मिला है, उन्होंने देखा होगा कि आम तौर पर काश्तकार इजेक्टमेन्ट के खिलाफ रिइन्स्टेटमेंट के लिए जाता है तो लैण्ड होल्डर की तरफ से एक डिफेन्स दिया जाता है कि उसने सरेण्डर कर दिया है, कब्जा दे दिया है, इसलिए वापिस कब्जा नहीं ले सकता है। एक नहीं सैंकड़ों ऐसे मुकद्मात हैं जिनमें फिक्टीशस सरेण्डर की बिना पर बहुत से काश्तकार बेदखल कर दिये गये हैं, बहुत सारे काश्तकार अपनी जमीनों से महरूम हो गये हैं। लैण्ड होल्डर्स, चाहे टिनेन्ट्स हों, चाहे खुदकाश्त होल्डर्स हों, चाहे जागीरदार हों, उन्होंने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और काश्तकार उससे महरूम कर दिये गये हैं। इस तरह की बहुत-सी बातें हुई हैं। इस तरह के रोजमर्रा अदालतों में मुकद्मे आते हैं और उनमें डिफेन्स लिया जाता है लैण्ड होल्डर्स की तरफ से कि इन्होंने सरेण्डर कर दिया है इसलिए कब्जा नहीं ले सकते हैं। एक खामी कानून में यह रह गई थी कि सरेण्डर के लिए कम्पलसरी रिटर्न अटेस्टेशन नहीं रखा था, 'आइद्र डिलीवरी और पज़ेशन' था। इस अटेस्टेशन का नाजायज फायदा उठा कर बहुत से लैण्ड होल्डर्स ने, बहुत से टिनेन्ट्स ने यह किया कि डिलीवर और पज़ेशन जबर्दस्ती कर लिया और कह दिया कि सरेण्डर हो गया है और अदालतों को सरेण्डर मानना पड़ा है किसी न किसी इवीडेन्स की बिना पर। अभी जो प्रोविज़न रखा है but that should be accompanied by a written instrument duly

(श्री दामोदरलाल व्यास)

attested by a Sarpanch or whatever it is. तो यह सिर्फ एक सेफगार्ड ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि नाजायज़ तरीकों पर किसानों को, सब-टिनेन्ट्स को, खुदकाश्त टिनेन्ट्स को नाजायज तरीके से बेदखल कर रहे हैं या उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके खिलाफ यह एक रेस्ट्रिक्शन है। यह एक सेफगार्ड दिया है काश्तकार के हक के अन्दर। उसको आप कहते हैं कि सरेण्डर प्रोविज़न बिल्कुल ही रिडन्डेन्ट है, उसकी कोई वकत नहीं है, कोई इम्पोर्टेन्स नहीं है तो आपकी निगाह में हो सकता है वह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न हो और यह हो कि इस बात की सहूलियत दी जाय, फेसिलिटी दी जाय लैण्ड होल्डर्स को, खुदकाश्त होल्डर्स को, टिनेन्ट्स को कि वह अपने सब-टिनेन्ट्स को इजेक्ट कर सकें। अगर यह फेसिलिटी दी जाय तो शायद वह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आम काश्तकारों के लिए यह प्रोविज़न ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है कि उन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाय। ऐसे इजेक्टमेंट को जो सरेण्डर की बिना पर हुए हैं, उनको रोकने के लिए प्रयत्न किया जाय। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट प्रोविज़न टिनेन्ट्स के हक में और नहीं हो सकता।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : On a point of clarification, Sir, written attestation is already there: 'or in writing attested by the Sarpanch of the Gram Panchayat of the circle or by the Headman of the village where there is no Gram Panchayat'. It also requires attestation.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is the word 'Or'. Please don't omit that word. Please read the whole clause and then......There is the word 'or in writing'. Don't omit that word 'or' This is what I am saying. Therefore, I have said that the words accompnied with a writing attested by the Sarpanch of the Gram Panchayat or where there is no Gram panchayat by the Sarpanch of the Tehsil Panchayat......

इसके बाद में कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायतों पर बहुत टीका-टिप्पणी की है कि पंच और सरपंच गड़बड़ कर सकते हैं। वे गलत अटेस्टेशन कर सकते हैं या सही अटेस्टेशन करने को मना कर सकते हैं। यह ठीक है। लेकिन यह कोई दलील नहीं होती है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की। यह चीज ऐसी है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसमें इस तरह का अमेंडमेंट दिया है जिसके अन्दर उन्होंने यह चाहा है कि पॉवर जो पंचायत या तहसील पंचायत को है अटेस्टेशन कि, वह रेवेन्यु ऑफिसर यानि तहसीलदार को दिये जायं। तो जिस वक्त वह क्लॉज़ आयेगी उस पर विचार किया जा सकता है। और यदि ज्यादा लोगों की राय यह हुई कि तहसीलदारों को ये पॉवर्स होने चाहिये अटेस्टेशन के, तो जनतन्त्र में हमेशा, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा-सदस्यों की भावना की कदर करनी चाहिये, तो मैं अवश्य मानूंगा और यदि महसूस करूंगा कि सदस्यों की यह राय है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह इसकी दलील नहीं हो सकती कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह उचित नहीं होगा। यह मैं सरेण्डर्स के लिये कह रहा था। सरेण्डर इज दी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फैक्टर। फाइव

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इयर प्लान में भी इसके लिये बहुत ज्यादा इम्फेसिस है। प्लानिंग कमीशन का डाइरेक्टिव भी इसके लिये है, हालांकि वहां तो रजिस्ट्रेशन भी है, यदि अटेस्टेशन के बावजूद भी इजेक्ट कर दिया है तो प्रोविज़न यह भी करना चाहिये। लॉ में भी इसी बेसिस पर वापिस रिइन्स्टेट करना चाहिये, हालांकि इस बिल में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने इसके लिये एक अमेंडमेंट रखा है और मैं चाहूंगा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो इसके फेवर में हैं वे इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे।

इसके अलावा दफा १५–ए है। उस पर बहुत से सदस्यों ने टीका–टिप्पणी की है। अमेंडमेंट नं० ३ है उसको पास कर दिया और उस पर काफी विस्तार से बहस हुई थी। संक्षेप में फिर यही कहना पड़ेगा कि कुछ सदस्यों ने उस बहस के दौरान में जो बातें मैंने कही थीं उनका हवाला बिल्कुल नहीं दिया और उसके अलावा और और बातें कहीं। इसलिये मुझे फिर कहना पड़ेगा कि राजस्थान केनाल के लिये यह प्रोविजन रखा है कि किसी काश्तकार को वहां पर खातेदारी राइट नहीं पैदा होंगे इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। दफा १५ में आपको कहूंगा कि भाखरा, चम्बल, जवाई, गंगा केनाल और अन्य प्रोजेक्ट्स जिनको राजस्थान गवर्नमेंट वक्त वक्त पर नोटिफाई करेंगी ओफिशियली गजट में, वहां के लोगों को खातेदारी राइट्स पैदा नहीं होंगे। जिस समय टिनेन्सी एक्ट बनाया था उस समय भी ये ही व्यूज़ गवर्नमेंट के थे और यही बात अर्ज की गई थी। उस समय तक राजस्थान केनाल की स्कीम फाइनेलाइज़ नहीं हुई थी इसलिये उसको इसमें नहीं रखा गया। लेकिन जब यह स्कीम फाइनेलाइज़ हो गई तो केनाल का वर्क शुरू होने से पूर्व ५६ में नोटिफिकेशन इश्यु कर दिया था कि राजस्थान केनाल एरिया में किसी को खातेदारी राइट पैदा नहीं होंगे। लेकिन बाद में जब मालूम हुआ कि टिनेन्सी एक्ट की दफा १५ जिस तारीख को यह लागू होगा, यानि १५ अक्टूबर सन् ५५ से, उस तारीख से लोग फायदा उठा सकते हैं और इस जमीन पर भी खातेदारी राइट प्राप्त कर सकते हैं। तब यह अमेंडमेंट क्लॉज़ १५-ए के रूप में रखा गया। इसमें यह बात नहीं है कि सरकार पहले अधिकार देना चाहती थी। सरकार की ऐसी मंशा न तो पहले थी और न अब है कि वहां पर किसी को खातेदारी राइट दिया जाय। जिस प्रोजेक्ट के लिये करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और लाखों एकड़ जमीन जहां सिंचित होगी और जिसके लिये बड़े बड़े प्रोग्राम बन रहे हैं उसके लिये आप चाहते हैं कि यदि किसी ने हजारों बीघा जमीन पर वहां पर कब्जा कर लिया है तो उसको उस पर से इजेक्ट नहीं किया जाय। यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो जो हमारा प्लान है लैण्ड लैस टिनेन्ट्स को बसाने का, वह बिगड़ जायगा। इसलिये यह कभी नहीं माना जा सकता कि राजस्थान केनाल एरिया में जिन्होंने हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है वह जमीन उनके पास ही रहने दी जाय। यह इरादा सरकार का पहले भी नहीं था कि उस एरिया के लोगों को खातेदारी राइट मिल जायं।

फिर यह कहा गया कि लोगों को मुकद्दमेबाजी में फंसाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि थर्ड अमेंडमेंट पास

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया था तब ये अधिकार उनसे ले लिये गये थे। उस समय माननीय सदस्यों ने कहा था कि बीकानेर के टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उस एरिया में रहने वाले लोगों को पर्मानेन्ट राइट मिल चुके थे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उनको महज टेम्प्रेरी पॉवर्स ही थे और वे लोग टेम्प्रेरी काश्तकार थे। यह टीबों का एरिया है जहां पर काश्तकार तीन साल तक किसी जमीन पर खेती करने के बाद उस जमीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जमीन ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद जमीन की वेल्यु कम हो जाती है; इसलिये वहां पर किसी ने कोशिश नहीं की पर्मानेन्ट राइट लेने की। थर्ड अमेंडमेंट के समय यह कहा गया था कि बीकानेर के सन् १६४५ के टिनेन्सी एक्ट में खातेदारी राइट पर्मानेन्ट ओक्युपेन्ट्स के लिये रखा गया था, प्रीमियम पेमेंट करने पर और जिसने प्रीमियम पेमेन्ट कर दिया था उनको उस पर अधिकार मिल गया था। जब १५ अक्टूबर, १६५५ को यह कानून लागू हुआ तब किसी को उसके द्वारा खातेदारी राइट मिल जाता है तो उसको देने की मंशा सरकार की थी इसलिये यह कानून बनाया कि यदि बीकानेर टिनेन्सी एक्ट सन् ४५ के अनुसार किसी ने हक हासिल कर लिया है तो उस हक को मिटाने की मंशा सरकार की नहीं है। इसलिये सेक्शन १५ ए में डिक्लेरेटरी सूट का प्रोविज़न किया है। यह जानबूझ कर किया गया है। जो अमेंडमेंट इस सेक्शन के लिये पेश किया गया है उसको भी ध्यान में रख लेवें। इस एरिया में किसी को खातेदारी हक देने का सवाल पैदा नहीं होता। सरकार की ऐसी मंशा कभी थी नहीं और न है। जिनको ऑक्युपेन्सी राइट्स पैदा हो गये थे और जिन्होंने प्रीमियम पे किया था और बीकानेर के सन् ४५ के कानून के अन्तर्गत राइट हासिल कर लिया है तो उनको राइट दिया है कि वे डिक्लेरेटरी सूट दायर करके, साबित करें कि उन्होंने पर्मानेन्ट बेसिस पर हक हासिल कर लिया है, यदि यह साबित कर देंगे तो उनको पर्मानेन्ट होल्डर रिकॉग्नाइज करेंगे। उनको डिक्लेरेटरी सूट दायर करने का मौका दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि उनको मुकद्दमेबाजी में फंसाया जाता है। वकीलों और बार एसोसियेशन की मिसाल पेश की जाती है और कहा जाता है कि वकीलों को फायदा देना चाहते हैं। ठीक है वकीलों की आज के समय में क्या पोज़िशन है इसके बारे में यहां कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन माननीय सदस्य को खुद को जब जरूरत पड़ती है, इलेक्शन पिटीशन के समय या और किसी समय तो, उनको खुद को वकीलों के पास जाना पड़ता है और फिर भी उनको कभी वकीलों के पास जाना पड़े तो मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन १५-ए इसलिये रखा है कि वे काश्तकार जो यह महसूस करते हैं कि उनको पर्मानेन्ट राइट एक्रयु हो गये हैं तो उनको मौका दिया है कि वे डिक्लेरेटरी सूट दायर कर दें ...

श्री भैरोंसिंह : मौका क्या, उनका राइट है। जब उनका राइट है तो उसको डिसप्रूव करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये या उनकी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हम तो इस प्रिज़म्प्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि उनको राइट नहीं था।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : एक तरफ तो आप...

. **श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,. श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य से ज्यादा फैक्ट्स मुझे मालूम हैं। वे चाहें तो मैं उनको जानकारी दे सकता हूँ। मैं बात यहां कह रहा हूँ उसकी जानकारी का दावा रखता हूं, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ, वे बिल्कुल सही हैं और उनको किसी ने गलत सूचना दी है। किसी को यदि पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट हुआ था तो उसको मौका देते हैं कि वे इसे साबित करें। यह कानून की, उसूल की बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ पर जोर दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि पर्मानेन्ट राइट नहीं थे, उस पर भी कोई अगर पर्मानेन्ट राइट क्लेम करता है तो वह उसे प्रूव करे।

It is for you to prove his case because these are the special facts which are within his own knowledge.

दूसरा आदमी इसको साबित नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूं कि यह उसूल है कानून का। मैं खास तौर से माननीय सदस्य से, जो श्रीमाधोपुर से आने वाले हैं, अर्ज करता हूँ कि वे बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रश्न में बार बार फंस जाते हैं। ज्यादा अच्छा हो, वे उससे दूर रहा करें। इसके अलावा....

२.२१ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभा पति, पदासीन)

दफा ३४ के ऊपर कहा। ठीक है, उन्होंने इसे गलत समझा हो। इसकी सीधी-सादी मन्शा यह है कि किसी इन्डस्ट्रियल पर्पज रादर देन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए चार्ज करेंगे। इसमें कहां प्राविजन है कि १००) रु० प्रीमियम चार्ज करते हैं, अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है। इसमें कहीं यह नहीं है कि फैक्ट्री लगाने वाले को मुफ्त जमीन दे दी जायगी। सरकार की जमीन है, वह मुफ्त दे दी जायगी लेकिन दूसरे की जमीन खरीद कर सरकार देती है तो उसके लिए कीमत नहीं ली जायगी, यह कहां लिखा है। वह ऐसी चीज है जिसके लिए सैक्शन १०१ के तहत अलॉटमेंट रूल्स बन गए हैं, छप गए हैं और उनके अनुसार अलॉटमेंट हो रहा है। सरकार ने कहीं प्रीमियम चार्ज करने का प्रोविजन नहीं रखा है। यह कोई गलतफहमी की बात नहीं है। साफ बात है कि इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिए जमीन दी जायगी तो प्रीमियम देना चाहिए। सरकार जमीन खरीद कर जमीन देती है और उसके लिए चार्ज करने के लिये प्रोविजन बनाना पड़ेगा, साफ ग्राउन्ड्स रखने पड़ेंगे। इसकी मंशा यह नहीं है कि गवर्नमेंट लैंड पर प्रीमियम चार्ज करके काश्तकार को अलॉट कराना चाहती है, इसलिये मैं समझता हूँ कि इसमें गलतफहमी करने की या कराने की किसी तरह की गुंजाइश नहीं है।

दूसरी बात जो इसके क्लॉज ७ के बारे में बहुत जोर से कही कि खुदकाश्त लैंड-होल्डर को खातेदार मान कर टिनेन्ट को सब-टिनेन्ट बना दिया गया है, यह इसमें गैर-इन्साफी की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे टिनेन्सी एक्ट देखें उसमें प्रावधान मौजूद है। लेकिन उसमें जो लेकुना रह गया था उसको हम दूर कर रहे हैं otherwise it is there.

खुदकाश्त लैंड होल्डर्स रिजम्प्शन के बाद खातेदार हो जायेंगे, तो क्या राइट्स पैदा हो जाएंगे, उसका टिनेन्ट के अलावा क्या स्टेटस रहेगा? इसमें 'सब-टिनेन्ट' के अलावा क्या शब्द रखा जाय, जिससे माननीय सदस्यों को ऐतराज न हो।

दूसरी बात, जो इसका क्लॉज १२ है उसके बारे में कही, उसके शिड्यूल के बारे में कही कि ३-४ साल की मियाद दे दी है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने इसे साफ कर दिया है, उसके बाद गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। जब हमने एक्वीज़िशन के बाद खातेदारी राइट्स के लिए दो–तीन साल का समय दिया जाता है तो इजेक्टमेंट के लिए टाइम देते हैं, जितना टाइम उसमें दिया था तो we wanted to be very fair with the tenants.

तो इसमें जो प्रोविज़न रखा है, उसमें अनड्यू एडवान्टेज या डिस-एडवान्टेज देने का सवाल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि माननीय सदस्यों ने जो बातें बताईं...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मुझे थोड़ा अफसोस है कि उन्होंने बिना पढ़े कह दिया कि उसमें 'और' 'or' वर्ड है। फिर देख लें सैक्शन ५५ को, उसमें 'और' वर्ड कहीं नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके पास अपटूडेट अमेंडेड लॉ नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : अप टू डेट अमेंडेड लॉ है, १९५८ का एडीशन है। आप फिर देख कर कह दीजिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : हो सकता है उसमें प्रिंट में खराबी हो।

श्री मूलचन्द डागा : वर्ड्स साफ हैं 'giving possession there of in writing' शब्द हैं, 'complete with the attestation.' There is a difference.

श्री दामोदरलाल व्यास: 'A tenant other than a tenant bound by a lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may on or before the 1st May surrender his holding by giving up possession thereof in writing.'

श्री मूलचन्द डागा : It is not there.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is there, it does not apply. राइटिंग पर एप्लाई नहीं करता है। It is a matter of interpretation.

राइटिंग पर अप्लाई नहीं करता है। This qualifies the word giving up possession.

श्री तनसिंह : आपका कोटेशन दिया हुआ है, उसमें नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि प्रवर समिति में यह बिल जाय, इसके लिए कोई ठोस दलील दी जाती तो मैं उसको मानता, क्योंकि कानून बनाने के सम्बन्ध में मेरी मान्यता है कि यह कोई जिद्द की बात नहीं है। जब हम सब यहां बैठ कर कानून बनाते हैं उस पर विचार–विमर्श करते हैं तो कुछ कन्ट्रीब्युशन रहता है, कई खामियां उसमें दुरुस्त हो जाती है, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सीधा-सादा सा और साधारण-सा अमेंडमेंट है, जिसको मैं प्रवर समिति में भेज कर प्रवर समिति का और माननीय सदस्यों का समय खराब नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और प्रस्ताव करता हूं कि इसको सीधे विचारार्थ लिया जाय और सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति, हमारे सामने राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था....

श्री सभापति : The Hon'ble member would go to his usual seat.

श्री अनूपसिंह : वह सीट आज खाली नहीं है। आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से ही बोलूं।

श्री तनसिंह : हमेशा के लिए आप वहीं बैठेंगे।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उनकी सीट सरेण्डर की जाय।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : He wants to surrender his rights.

श्री अनूपसिंह : मैंने राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल के लिए सजेस्ट किया था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और इसके कई वाकई अच्छे कारण थे जिनके ऊपर...

श्री सभापति: Order! Order please! There should be noise.

श्री अनूपसिंह : जिनके ऊपर इस सदन के सदस्यों ने बहुत प्रकाश डाला है, फिर भी मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजने के लिए, उसके कई कारण थे, जिनके आधार पर मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाना जरूरी है। अब यह हो सकता है कि या तो टिनेन्सी कानून हमारी समझ में नहीं आया या यह हो सकता है कि हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने इसको एक जाल की तरह बना-बनूकर रख दिया जिससे यह लोगों की समझ में न आये, और हम एक मुगालते में रह जायं। जिस जनता के ऊपर इसका अफेक्ट होने वाला है, वह मुगालते में रह जाय, इस कानून को न समझ सके और जो कुछ आप चाहते हैं वह हो जाय और किसी को मालूम न पड़े। न मालूम किस मन्शा से ये अमेंडमेंट्स अलग अलग आते जा रहे हैं। कोई वजह नहीं मालूम होती है कि चौथा, पांचवां और छठा अमेंडमेंट बिल एक जगह बैठ कर प्रवर समिति में क्यों न डिस्कस हो जाय। इससे क्या खराबी होती है, क्या पहाड़ गिर जाता है? आप कहते हैं कि प्रवर समिति में टाइम खराब होता है। हम १७६ मेम्बर्स यहां दो दिन से बैठे हैं, १७६ मेम्बर्स पर जो खर्चा हुआ है, वह अगर प्रवर समिति १० दिन तक बैठकर काम करे, तब भी नहीं होता है। फिर भी पता नहीं किस दिन खत्म होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति के सामने जाने पर ज्यादा खर्च नहीं होता और यहां यह काम हो रहा है यह साउन्ड बात मालूम नहीं हो रही है। इसके अलावा हमने टिनेन्सी कानून का एक मखौल बना रखा है। राजस्थान में किसी को अपना हक मालूम नहीं, किसी को अपनी लिमिटेशन मालूम नहीं, किसी को यह मालूम नहीं कि वह कब तक किस जमीन पर काबिज है और किस दिन उसे हटाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि टिनेन्सी एक कॉम्प्लीकेटेड सब्जेक्ट है, मैं उसमें इतना माहिर नहीं हूँ। मैंने सरसरी तौर से पढ़ा है, इसे देखा है, लेकिन जिन्होंने इसे पढ़ा है, वे लोग, जो राजस्थान टिनेन्सी कानून बना हुआ है, उसका मखौल करते हैं और हमने अपने हाथों यह मखौल बनवाया है। यह टिनेन्सी कानून नहीं है कि जिससे

(श्री अनूपसिंह)

किसी आदमी को कोई बात मालूम नहीं होती। इसमें सारी बातें ओवर लेपिंग करती हैं, एक अमेन्डमेन्ट दूसरे अमेन्डमेंट को ओवर लेप करता है, इसके द्वारा पॉवर साफ नहीं होती है। क्या यह टिनेन्सी लॉ है ? कहने को बड़ी भारी डींग के साथ कहा जाता है कि यह कृषि-प्रधान टिनेन्सी एक्ट है। आप इस एक्ट को एग्जामिन कराके देखिये। इसमें किसी के हक का पता नहीं है, सब जगह ओवर लेपिंग है, सब जगह कन्फ्यूजन है और इसको आप वर्स्ट कन्फाउन्डेड करना चाहते हैं और लॉ डिपार्टमेन्ट का इसमें हाथ है, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो थर्ड अमेंडमेंट से १५-ए में यह किया था कि राजस्थान केनाल एरिया में कोई पर्मानेन्ट राइट्स एक्रयु नहीं होंगे, इसके बाद अमेंडमेन्ट में यह करते हैं कि पर्मानेन्ट राइट्स एक्रयु हो सकते हैं, कोई आदमी एप्लाई करे, तो हो सकते हैं, इस तरह से करे तो हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह अर्ज करना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है तो तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा अमेंडमेंट सभी को एक जगह बैठा दिया जाय, कि क्या हो सकता है। थर्ड अमेंडमेंट में कह दिया कि पर्मानेन्ट राइट्स में राजस्थान केनाल एरिया में काश्तकार को नहीं मिल सकते और फोर्थ में वापिस हक देने का मौका मिल जाता है। एक काश्तकार को तरीका मिल जाता है कि एस. डी. ओ. के पास जाय, २५ नये पैसे का टिकट लगाये कि मैंने अमुक जमीन पर पर्मानेन्ट राइट्स लिये हैं, इस पर मेरे पर्मानेन्ट राइट्स हैं और अदालत से अपने हक में फैसला कराकर हक हासिल करे। वह हक तो उसको हासिल है ही, तो फिर डिक्लेरेशन कैसा ? फिर वह कलेक्टर के एस. डी. ओ. के दरवाजे खटखटाये, यह कहां का न्याय है ? आखिर आप चाहते क्या हैं टिनेन्ट से कि वह इधर-उधर भटकता फिरे और फिर आप कहते हैं कि हमने टिनेन्ट्स को इतने हक दे दिये। आखिर आपकी टिनेन्सी का मतलब क्या है ?

सभापति महोदय, कुछ यह मामूली सी बात थी कि एक आदमी जिसको कि पहले से ही हक मिले हुए हैं, उसको कह दें कि तुझको इस जमीन पर हक नहीं और फिर दूसरे दिन कहें कि तुझको हक हैं, पर इस तरह करेगा, इस तरह एप्लाई करेगा तो हक हैं। तो एक दिन कहते हैं कि तेरे हक नहीं हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि तेरे हक हैं इस तरह करेगा तो। फिर पांचवां अमेन्डमेन्ट हो जायगा कि Everybody has an automatic right over the land is in his possession.

तो फिर राजस्थान केनाल एरिया को बाहर क्यों निकाल दिया ? दलील इसकी यह दी जाती है कि राजस्थान केनाल एरिया पर गवर्नमेन्ट ने करोड़ों रुपया खर्च किया है और वह न मालूम क्या बन जायगा। इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट उसको बड़े तरीके से बांटना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान गवर्नमेंन्ट उस जमीन को अपने हाथ में रख कर, अपने कब्जे में रख कर उन जमीनों पर काबिज किसानों का टेम्प्रेरी हक रख कर बाद में उनको पर्मानेन्ट करने में क्या गवर्नमेंट कुछ फायदा उठाना चाहती है, या गवर्नमेंट उस जमीन को बाद में बेचेगी जिससे कि राजस्थान केनाल एरिया में पैसा खर्च हुआ है वह वसूल हो सके, या वहां कोई बेटरमेंट लेवी लगायेगी ? आखिर गवर्नमेन्ट इससे

(श्री अनूपसिंह)

बिजनेस करके क्या मांगती है ? आप कहते हैं कि हमने खर्चा किया है और पैसा खर्च करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके लिये आपने पैसा खर्च किया है और किसके लिये करेंगे ? आखिर आपकी मन्शा क्या है ? किसानों के लिये ही करना चाहते हैं जो कि वहां काबिज हैं, तो फिर नई बात क्या करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, इसके बाद क्लॉज़ १६ है जिसके अन्दर यह कहा गया है कि जो कोई खुदकाश्त का खातेदार है, काबिज़ है, वह खातेदार तो है ही, उसके नीचे अगर किसी ने किसी को वह जमीन जोतने खडने के लिये दे दी है तो उसके नीचे जोतने वाला जो असली काश्तकार है उसका सब-टिनेन्ट होगा। इसका मतलब यह है कि खुदकाश्त के नाम की चीज को रटे ही जा रहे हैं, बार बार रटे जा रहे हैं कि यह खुदकाश्त है, यह जागीरदार है; अरे साहब जागीर प्रथा खत्म हो गई, मेरे खयाल से उसका नाम भूल जाना ठीक है, वह तो अब ऑर्डिनरी टिनेन्ट हो गया है। जिस तरह कि दूसरे टिनेन्ट्स हैं उसी तरह वह भी एक टिनेन्ट है, फिर खास तौर से यह रखने की क्या जरूरत थी ?

अगर आपने रखा है कि कोई आदमी अपनी जमीन को सबलेट करता है तो उसके साथ यह हिसाब कर दीजिये कि कोई टिनेन्ट जमीन रखता है जो उसके नाम से दर्ज हो चुकी है, उसके नीचे के सब-टिनेन्ट को कभी हक नहीं मिल सकता जब तक कि चीफ टिनेन्ट की मन्शा न हो, तब तो बात ठीक है। पर बात यह है कि आप टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट को आपस में लड़ा देंगे, आपकी टिनेन्सी ने यह किया है कि आज चारों तरफ जमीन की छीना-झपटी हो रही है। किसी को मालूम नहीं है कि किसका हक उस जमीन पर है। ऑर्डिनरी खातेदार के नीचे सब-टिनेन्ट है;उस सब-टिनेन्ट को सबलेट करता है तो वह उसका मालिक हो गया। बहुत से काश्तकार हैं, खातेदार हैं उन्होंने अपनी जमीनें सबलेट कर रखी हैं, तो वे जमीनें क्या उनकी हो गई ? क्या मजाक है ? फिर कहते हैं रीढ की हड्डी तोड़ी जा रही है। कौन-सी है रीढ की हड्डी ?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप टिनेन्सी को पक्का बनाना चाहते हैं, वाकई सही माने में अपनी रीढ की हड्डी को पक्की बनाना चाहते हैं तो हर एक आदमी को साफ-साफ कहिये कि तुम्हार यह यह हक हैं, तुम्हारे इन हकों को तुमसे कोई नहीं ले सकता। आखिर राजस्थान में एक दिन तो वह उगे कि जब हरएक को यह मालूम हो जाय कि हमारा पर्मानेन्ट कितना हक है। चाहे एक बीघा जमीन ही रहे, पर उसको मालूम तो हो कि एक बीघा जमीन मेरी है, इससे मुझे कोई हटा नहीं सकता। पर आपने तो यह कर दिया कि इस गली से जाय तो यह हो जायगा, एस. डी. ओ. के पास गया तो यह हो जायगा, कलेक्टर के पास गया तो यह हो सकता है, कोर्ट में जाय तो यह हो सकता है। ये नये नये जाल फैला कर, नई नई बातें रख कर आपने टिनेन्सी एक्ट में एक जाल फैला रखा है, उसका एक दिन नतीजा यह होगा कि जो हमारी टिनेन्सी की रीढ है वह एक दिन खटखटा कर टूट पड़ेगी।

इसके बाद क्लॉज़ नं० १०, सेक्शन ५५ में यह करने की कोशिश की है कि कोई आदमी अपनी जमीन को सरेण्डर करना चाहता है तो उसका तरीका यह है।

(श्री अनूपसिंह)

सभापति महोदय, आप पुराने और नये तरीके को कम्पेयर करके देखेंगे तो एक तरह से साफ जाहिर हो जायगा; पुराने में यह था :

"A tenant, other than a tenant bound by a lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may on or before the 1st. May surrender his holding by giving up possession thereof in writing attested by the surpanch of the Gram Panchayat of the circle or by the headman of the village where there is no Gram Panchayat............" आपने उसमें से एक हैडमैन निकाल दिया और ग्राम पंचायत और सरपंच रख दिये। हैडमैन की जगह पंचायत का पंच या सरपंच आया है। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अभी आपने श्री बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट को जिसने इन पंचायतों के बारे में लिखा है, पढ़ा होगा। उन्होंने इसको एग्ज़ामिन करके साफ लिखा है कि हिन्दुस्तान में १० पर्सेन्ट ही पंचायतें ठीक तरह से काम करती हैं और ६० पर्सेन्ट पंचायतें ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं हैं। तो इस ६० पर्सेन्ट के यहां जाने वाली जनता के तो करम फूटे ही समझे जावेंगे। उनको पता नहीं कि उनको न्याय कहां मिलेगा और कैसा न्याय मिलेगा। तो फिर आप यहां पर यह कहते हैं कि जो सरेण्डर करे उसके लिए सर्टिफिकेट ले और सरपंच के पास जावे, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायतें बहुत अच्छी बन जावें मगर बनी नहीं है और ऐसी अवस्था में आप आज किसान को सर्टिफाई कराने के लिये सरपंच की बात कहते हैं। ग्राम पंचायतों में कौन लोग आते हैं। कोई भला आदमी तो आता नहीं। वे ही लुच्चे और लफंगे लोग आते हैं। उनको आकर कहते हैं कि ये हमारे पंच हैं और ये सरपंच हैं। इसके लिए मेरा निजी अनुभव है कि पंचायतों में भले आदमी नहीं आते। मैं भी नालायक हूँ उसकी वज़ह से फंस गया हूँ। मैं क्यों फंसा, यह मैं महसूस करता हूँ मगर फंस गया हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने भी आदमी आते हैं पंचायतों में पंच अथवा सरपंच वे छंटे और टले हुए बदमाश होते हैं, वे ही लोग आते हैं। उसमें भले आदमी तो भाग लेना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हमें झगड़ों से व टंटों से कोई वास्ता नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : विधान सभा में भी चुन कर ही आये हैं।

श्री अनूपसिंह : (जारी) आपके भरोसे तो थोड़े ही आते। लोगों ने वोट दिया तब आये हैं। किसी तरह से वोट लिये तभी यहां पहुँचे हैं।

इसलिये पंचायत पर यह विश्वास रखना कि वह सारी प्रोब्लम हल कर देगी, मैं समझता हूँ कि यह गलतफहमी की चीज होगी। मेरे खयाल से इससे कोई बात हल नहीं होगी। कुछ महानुभाव यह कहेंगे कि पंचायतें ही हैं, वे सब कुछ हैं। हो सकता है कई माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल हो पर जो पंचायत संघ और ग्राम सेवा संघ बनाते हैं और लोगों से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और अपनी खिचड़ी कायम रखना चाहते हैं, वे उनका सहारा लेंगे। वे यह कहेंगे कि यह पंचायतों के खिलाफ बोलता है। मगर मैं यह कहूंगा कि यह उनके खिलाफ बोलने की बात नहीं है, यह तो एक व्यावहा-

(श्री अनूपसिंह)

रिक रूप से कहा गया है और वास्तव में सही है। उन पंचायतों के भरोसे हम किसानों को छोड़ दें और उनके हकों को छोड़ देंगे तो मैं यह दावे के साथ कहूँगा कि उनको उनके हक नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो इस बात को नहीं मानते हों। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सरेण्डर करने की बात है तहसील पंचायत की। एक ग्राम में एक तहसील पंचायत होती है। पंचायत हैडक्वाटर १०: १५ मील दूरी पर रहता है। फिर जब उसको वहां पर जाना होगा तो दो चार आदमी ऐसे मिलेंगे जो उससे पैसे लेंगे। क्योंकि उसमें कोई इन्टीग्रीटी वाले आदमी तो हैं नहीं। अटेस्टेशन ठीक है। मगर ग्राम पंचायतों के हाथ में वापिस वही की वही चीजें सौंप दें, जो उचित नहीं हैं।

सभापति महोदय, हैडमैन वही है जो पहले नम्बरदार होता था। गांव का भला आदमी जो माना जाता था वही हैडमैन होता था। वह पटवारी के साथ चल कर हरएक गांव के खातेदारों के नाम और रेकॉर्ड तैयार करता है। उसको तो आपने बताया कि वह मुखिया तो नालायक है और फिर आपने वह की वही बात ग्राम सरपंच या तहसील सरपंच के हाथ में दे दी। अमेन्डमेन्ट क्या है? समझ में नहीं आता, आपका क्या अमेन्डमेन्ट है? इसलिए मैंने यह निवेदन किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे जहां पर हम ठंडे दिमाग से सोच सकेंगे कि किस तरह से उन लोगों को राहत दी जा सकेगी। यह एक बड़ी सीधी-सी बात थी, मगर इस पर भी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह एक छोटी-सी बात है, यह एक बड़ा इन्नोसेन्ट बिल है, इसको पास कर देना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां तो एक चीज़ नजर आती है। अगर किसी ने आकर कह दिया कि हमारा यह काम हो जाना चाहिये। एक आदमी के फायदे के लिए हमारे यहां पर एक्ट में किसी, प्रकार का अमेन्डमेन्ट आना बड़ी बात नहीं। किसी भी आदमी को प्रेस करने के लिये भी कानून में तब्दीली लाई जाती है, अगर सरेण्डर गलत तरीके से कर दिया और वह जीनाइन नहीं है? तो उसका क्या असर होगा? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियेन्स से जानता हूँ कि जिस समय जागीरदारी समाप्त हो जाती है उसके पहले वे लोग काश्तकारों को कह देते है कि अमुक जमीन तुमको बता दी है इसको छोड़ दो। जिस समय जागीर सरेण्डर होगी उस वक्त अपने आप वह चली जावेगी और उसका इन्द्राजात नहीं कराता है। अतः न तो जागीरदार उसके लिए इन्फोर्म करता है और न काश्तकार करता है। काश्तकार यह समझकर कि मैंने जागीरदार को इन्फोर्म कर दिया है और दो साल से वह उसको जोत नहीं रहा है फिर भी जिस समय जागीरें रिज्यूम हो गईं उस समय उस काश्तकार के पास नोटिस आता है कि पिछली सालों का लगान बकाया है तुमने नहीं दिया है। वह कहता है कि जमीन मैंने तो छोड़ दी थी। जागीरदार को हमने कह दिया था। मगर फिर भी उसके खिलाफ जागीरदार की वजह से पी. डी. आर. की कार्यवाही होती है और उससे रेन्ट वसूल होता है जो किसी भी हालत में उससे वसूल नहीं करना चाहिये था। पटवारी कहता है कि यह जमीन दो साल से पड़ी है कोई इस पर काश्त नहीं करता और वह उसके लिए सर्टिफाई करता है मगर इसके बावजूद भी उसका रेन्ट ही नहीं बीघोड़ी भी भरनी पड़ी

(श्री अनूपसिंह)

है । यह कौन-सा तरीका है । समझ में नहीं आता । देहाती अनपढ़ होते हैं उनको मालूम नहीं था कि किस तरह से करना चाहिये । मुझे मालूम नहीं है कि एक व्यक्ति को अपनी बैलों की जोड़ी बेच कर इस प्रकार कर्ज चुकाना पड़ा । आपका सरेण्डर का तरीका जिसको आप सुगम बनाना चाहते हैं वैसे का वसा जटिल है । इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है ।

श्री सभापति : The Hon'ble member would try to be brief.

श्री अनूपसिंह: (जारी) माननीय राजस्व मन्त्री ने सबसे ज्यादा जोर सरेण्डर पर दिया और यह कहा कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जहां तक पंचायतों के पंचों की बात है यह उचित नहीं है । इसलिए हमें इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए वहां सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि किसको किस तरह से लिया जावे । यह सरेण्डर का मामला बहुत इम्पोर्टेन्ट है । उसका क्या करना है ? What are the means ? किस तरीके से लाया जाय, इसको इसको सोचने के लिए प्रवर समिति हो सकती है और इसके सिवाय जैसा राजस्व मंत्रीजी ने बड़ी सेन्टीमेन्टल अपील की है कि मास इजेक्टमेंट हो गया, यह हो गया, वह हो गया । मास इजेक्टमेंट हो गया है तो वह आपकी वजह से हुआ है, कानून नहीं समझने की वजह से हुआ है, कानून को वर्स्ट कम्पॉउन्डेड करके रख दिया है इस वजह से हो गया है । कानून को सुगम बनाने के लिए इसको यदि प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो हमारा मकसद पूरा हो सकता है । इसलिए माननीय सभापतिजी, मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ यह अर्ज करूंगा और पुरजोर अर्ज करूंगा कि दूसरे महानुभावों की बातों को मानकर इस अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति में भेजकर जो सुगम तरीका हो सकता है वह अपनाया जाय जिससे कि किसानों को राहत मिल सके ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है...

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : मैं भी बोलना चाहता हूं ।

श्री सभापति : राइट ऑफ रिप्लाई, जिस माननीय सदस्य ने एक ही प्रस्ताव पहले रखा हो उसको होता है ।

श्री गिरधारीलाल : ऐसा रूल नहीं है । विचार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं ।

श्री सभापति : आप अपना आसन ग्रहण कीजिये । I will let you know the rule.

श्री सभापति : The Rule is very clear. When a motion stands in the name of many members only one member will bring and others will speak in support of it. Consequently one member will have a right of reply.

प्रश्न यह है...

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, Sir. माननीय सभापति जी, जैसी आज तक सदन में परम्परा रही है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! कोई परम्परा नहीं है । परम्परा और रूल्स के अनुसार ही ये आदेश दिए गए । जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो

(श्री सभापति)

एक ही मूव करता है और बाकी उसका समर्थन करते हैं। If the Hon'ble member desires to know, I have got a ruling of the Lok Sabha. 'Let me make it clear that the Rules require that when an amendment stands in the names of more than one, Member, only the speaker can select who will move it, or if it is moved only one of them can move it, all the others can support it. It cannot be moved again and again. So the motion was moved by Shri Anoop Singh and he has been given a right of reply and he has concluded his debate on the point. There should, therefore, be no further debate.

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सर्वश्री अनूपसिंह, गिरधारीलाल, मोहरसिंह ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गए।

श्री गिरधारीलाल : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

clauses 2, 3, 4 and 5.

(विराम)

The qustion is that clauses 2, 3, 4 and 5 stand part of the Bill,

(स्वीकृत)

Clauses 2, 3, 4, 5 are added to the Bill.

(विराम)

Clause, 6 Shri DamodarLal ji Vyas.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : चेयरमैन महोदय, क्लॉज ६ में मैंने अमेंडमेंट मूव किया है, वह इस मकसद को लेकर पेश किया है कि राजस्थान केनाल एरिया में पर्मानेन्ट राइट्स एक्रयू नहीं होते थे और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के मातहत उनको राइट्स देने का मौका नहीं था। जिन माननीय सदस्यों ने बीकानेर टिनेन्सी लॉज़ के मातहत राइट्स एक्रयू हो गए ऐसा कहा...

श्री मोहरसिंह : बीकानेर वालों का तो मुंह बन्द कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक प्रावधान है कि जो आदमी चाहता है कि उसको लैंड पर्मानेन्टली अलॉट हो गई तो इसके द्वारा वह डिक्लेरेशन करा सकता है। ओरीजिनल बिल में लैंग्वेज ठीक नहीं थी, उसमें पर्मानेन्ट शब्द ठीक नहीं था इसलिए अमेंडमेंट पेश किया गया क्योंकि लोग समझते हों कि खातेदारी राइट्स एक्रयू हो गए इस दृष्टि से पर्मानेन्ट थे। इस संशोधन में यह साफ है कि :

"Any person claiming that he possesses and is in enjoyment of khatedar rights in any land referred to in sub-section (1) because such land had been let out to him permanetly before the commencement of this

Page No.74

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Act may, within four years from the date of such commencement and on payment of a Court Fee of 25 N. P. apply to the Assistant Collector having jurisdiction, praying for a declaration to that effect, and the provisions of sub section (5) of section 15 shall apply to such application."

यह मैंने अमेंडमेंट पेश किया था। लैंगवेज को ठीक किया है और इसमें स्पेसिफिकेली मेन्शन कर दिया गया है कि जिसको लैंड टिनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने से पहले पर्मानेन्टली अलॉट हो गई है तो he can get declared.

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा, आपका क्लॉज ६ पर संशोधन है।

३ म० प०

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा था उस हर विचार करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि सदन में ही इस बिल पर विचार किया जाय। जहां तक सैक्शन १५ टिनेन्सी एक्ट का प्रश्न है जिसके बारे में ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में माननीय मंत्री महोदय कहते हैं और जिस उद्देश्य से आपने अमेंडमेंट रखा है वह एक दूसरे के विरोध में जाता है। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि केनाल एरिया के अन्दर हम उन लोगों को, जिन लोगों ने हजारों बीघा पर कब्जा कर लिया है, खातेदारी अधिकार देना नहीं चाहते। इसके बाद यह भी कहते हैं कि राजस्थान केनाल एरिया में किसी ने पर्मानेन्टली जमीन का हासिल नहीं है। जब आपको विश्वास है सरकार की तरफ से कि किसी व्यक्ति विशेष की जमीन अलॉट नहीं की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खातेदारी अधिकार मिल चुके हों तो मैं नहीं समझता कि इस बिल को लाने की और सदन द्वारा पारित करवाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप थोड़े दिन बाद सीलिंग कायम करने जा रहे हैं तो उस हालत में किसी ने केनाल ऐरिया के अन्दर काफी जमीन हस्तगत कर ली है तो उसको उसके मातहत वापिस लिया जा सकता है...

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon. Member should confine himself to the amendment. He is generally discussing all provisions which are not covered by the amendment. So I would request that he should read his amendment and then discuss.

श्री सभापति : Yes, the Hon. Member to please confine his speach to the amendment.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी रखते हुए) तो मैं इसलिए कह रहा था कि आपने इस अमेंडमेंट को पढ़ा होता तो मालूम हो जाता। मैंने लिखा है, "For the words 'praying for declaration that he required' be substituted by the words, 'praying for granting him." मेरे जो थर्ड वर्ड 'ग्रान्टिंग हिम' है उसमें और 'डिक्लेरेशन' में फर्क है। हम चाहते हैं इसको बराबर देखा जाय ताकि लोगों के साथ कानून के जरिये न्याय मिल सके। मैंने लिखा है कि डिक्लेरेशन के लिए सूट करने की जरूरत नहीं। धारा ८८ जो बनी हुई है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को घोषित कराना चाहता है तो बिना आपके अमेंडमेंट के धारा ८८ के

(श्री मूलचन्द डागा)

अन्तर्गत वह कोर्ट में डिक्लेरेशन का दावा कर सकता है। डिक्लेरेशन का दावा तब हो सकता है,जब काश्तकार जाकर कोर्ट में दरख्वास्त करे। दावा होगा तब आप कहेंगे कि उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं। अगर दूसरी तरह का कब्जा है और पर्मानेन्ट राइट्स नहीं मिले हुए हैं तो वैसी हालत में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। किसी को अधिकार से वंचित करना नहीं चाहते तो उसे डिक्लेरेशन नहीं कह सकते। 'Praying for granting' 'ग्रान्टिंग' और 'डिक्लेरेशन' में फर्क है। डिक्लेरेशन आप चाहते हैं, उसमें बहुत अन्तर पड़ जाता है। आपने इसके लिए प्रोसीजर क्या ले डाउन किया? आपने स्पीच में कह दिया कि सूट कर सकते हैं। लेकिन आप जो बोलते हैं वह एक्ट में होता नहीं है। आपके अनुसार अगर कोई सूट करता है तो उसको साबित करना होगा कि मैं इस प्रकार का अधिकार प्राप्त कर चुका हूं जिनको अधिकार ऑलरेडी प्राप्त हैं उनको खातेदार के हक देने चाहिये।...

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य की क्या मन्शा है कि क्या उनको दरख्वास्त देने पर अधिकार मिल जाने चाहिए ? उनके अमेंडमेंट की मन्शा क्या है, जरा समझा दीजिये, What does he mean ? Does he mean that he should be granted without any enquiry.

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेन्ट के रेकॉर्ड गिरदावरी में जो दर्ज हैं कि वह टिनेन्ट हो चुका तो उसके लिए यह जरूरत नहीं कि वह सुबूत पेश करे। १५ अक्टूबर १६५५ के पहले गवर्नमेंट रेकार्ड में जिन आदमियों के नाम दर्ज हैं उनको माफी का अधिकार दे देना चाहिए। मैं 'ग्रान्टिंग' का मतलब यह लेता हूँ कि जिस आदमी का १५ अक्टूबर १६५५ के पहले से जमीन पर कब्जा है और जिसका गिरदावरी में इन्द्राज है उस हालत में उसको पट्टा दे देना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : Your amendment does not indicate this.

श्री सभापति : According to your amendment he has to make a prayer. Prayer mean filling of an application before the Court.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) There is a lot of difference between 'for declaration' and for granting.. He can file a suit for declaration under Section 89 - A but,सवाल इतना ही था दावा करने का, उसके लिये पॉवर्स टिनेन्सी एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आप उसको अलग अधिकार देना चाहते हैं कि उन अधिकारों की प्राप्ति के लिये डिक्लेरेशन की दरख्वास्त करे। आपको अपने आप ग्रान्ट करना चाहिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक संशोधन है कि क्लॉज़ (२) की जगह पर यह क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट किया जाय :—

"Notwithstanding anything contained in this Act, any person to whom such land had been let out before the commencement of this Act, shall be deemed to have acquired Khatedari rights in the land."

अभी अभी मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के अनुसार वे जिस भावना से प्रस्ताव रख रहे हैं उस

(श्री तनसिंह)·

भावना का समावेश इस संशोधन में हो जाता है। सरकार का यह कहना है कि यहां इस प्रकार के राइट्स थे नहीं। उन सारे आर्ग्युमेन्ट्स को छोड़ कर मौजूदा क्लॉज़ रखा है, उसके मुताबिक उसको डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद राइट मिलेगा। मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है और इस संशोधन प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि अगर इस एक्ट के कमेन्समेन्ट के पहले जमीन अलॉट हो चुकी तो खातेदारी राइट्स एक्रू हो गये माने जायेंगे, उसको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले पर्मानेन्टली जमीन अलॉट हो चुकी, उनको खातेदारी राइट्स मिल गये। पटवारी स्वयं रेकॉर्ड ऑफ राइट्स देखकर दर्ज कर दें, इससे किसानों को यह आपत्ति नहीं होगी कि वे अदालत में जाकर राइट्स डिक्लेयर करवायें।

मैं ठीक प्रकार से नहीं समझ रहा हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने इसका जवाब देते समय बहुत सी बातें बतलाईं, जिनका सम्बन्ध सीधा १५ ए से है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि असल में हमारी मंशा उनको खातेदारी राइट देने की नहीं थी। उन्होंने बताया कि शुरू में कानून बनाया उसमें भी यह बात थी। इसलिये देने का सवाल पैदा नहीं होता। मेरा यह निवेदन है कि उनकी मंशा, हो सकता है, नहीं हो। पर पहले जिस समय ५५ में कानून पास हुआ, उस समय १५ ए का सब–सैक्शन नहीं था। इससे यही प्रतीत होता है उस समय खातेदारी हक़ूक छीनने का सवाल नहीं था। पर खैर बाद में आपकी यह मंशा हुई नहीं देने की। पर यह संशोधन फिर क्यों ला रहे हैं। देने की मंशा नहीं है एक ओर आपकी, तो दूसरी ओर फिर क्यों आप यह अधिकार लोगों को देने जा रहे हैं कि वे अपने अधिकारों के लिये डिक्लेरेशन भरें।

अगर आपकी मूल में यही मंशा है, तो मैं निश्चित तौर से यह समझ सकता हूं कि वह असिस्टेन्ट क्लेक्टर बेचारा क्या करेगा? केवल एक नाटक रचेगा। सरकार की मंशा ही जब देने की नहीं है तो जो असिस्टेन्ट क्लेक्टर के सामने काश्तकार आवेगा, निश्चित तौर से उसको सिर्फ परेशानियां ही उठानी पड़ेंगी, परिणाम कुछ भी उसके हक में नहीं होगा। निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह फोर्थ अमेंडमेंन्ट इसी का एक स्वरूप है। सरकार चाहती है कि किसी ने किसी प्रकार से यदि अदालत में न जा सके तो उसके राइट्स एक्सटिंक्ट हो जावेंगे।

अगर आप यह सोचें कि आपने वहां लाखों–करोड़ों रुपया खर्च किया है और लोग हजारों बीघा जमीनें यहां दबाये बैठे हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं हो सकता कि उन हजारों बीघा दबा कर बैठने वालों के पीछे वे गरीब काश्तकार जिनके पास छोटे छोटे रकबे हैं, भी पिस जावें, जिन छोटे काश्तकारों को जायज हक मिले हैं वे भी उससे महरूम हो जावें ?

अब प्रश्न आता है कि यदि यह संशोधन स्वीकार हो जावेगा तो हर काश्तकार, जो पांच-पचास वर्ष से, सौ वर्ष से, दो सौ वर्षों से या सात सौ साल पहले से उन जमीनों पर काश्त करते आये हों, उनको खातेदारी राइट्स उस जमीन पर भी नहीं मिल सकते। सिविल लॉ में भी प्रोविज़न है। जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि काज ऑफ एक्शन तब शुरू होता है जब उसके

(श्री तनसिंह)

राइट को कोई डिस्प्यूट करता हो। पर यहां तो निश्चित तौर से सरकार ने खुद ने डिस्प्यूट पैदा किया है। हमारी समझ में नहीं आता कि सरकार एक ओर जहां अपने प्रोग्रेसिव टिनेन्सी कानूनों की दुहाई देती है, किसानों की बहबूदी की, उसकी खुशहाली की और उसके रूप में देश की खुशहाली की बात करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के जायज हक को नहीं मानती, उसमें डिस्प्यूट खुद खड़े करती है और उनको कहती है कोर्ट में आओ और अपने डिस्प्यूट का निर्णय कराओ।

मैं जागीरदारों के सम्बन्ध के आपके रुख की बात नहीं करता, उनके साथ आपका कैसा रुख रहा यह मैं नहीं कहना चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि माननीय सदस्य की इस अमेंडमेंट से क्या मंशा है ? आपका अमेंडमेंट यह है 'any person to whom such land has been let out.' अब इसमें 'लैट आउट' से उनका मतलब टेम्प्रेरी से है या पर्मानेन्ट बेसिस पर से हैं। दूसरी बात, अगर उनका मतलब पर्मानेन्ट से है तो इसका रास्ता किस तरह से होगा ? उसके लिये कोई एप्लीकेशन होगी, स्यूट होगा, एविडेन्स वगैरह होंगी, या क्या होगा। And what will be the method to know whether that land was let out to him permanently or not? माननीय सभापति महोदय, यदि किसी आदमी को कोई काम करना है तो राजस्थानी में उसके लिये एक कहावत है—"यदि सांडनी को दूहने वाला, ऊंटनी को दूहने वाला थोड़ी मेहनत करे तो गाय को भी दुह सकता है।" जहां इरादा ही करने का नहीं हो, वहां कोई सुझाव और कोई रास्ता हो नहीं सकता।

मेरा यह निवेदन करने का है कि अगर हम लैट आउट को पर्मानेन्ट मानते हैं तो फिर क्या तरीका हो निर्णय का ? तब सवाल पैदा क्या होगा ? निर्णय के रास्ते दो हो सकते हैं; एक तो यह हो सकता है कि दरख्वास्त देने वाला स्वयं अपने दस्तावेज बतावे। दूसरा यह हो सकता है कि आपकी मशीनरी इसकी छानबीन करे। जिन लोगों को आप कहते हैं कि वे आपका दरवाजा खटखटाएं और अपना राइट डिक्लेयर करने आपके पास आएं, तो वह ऐसा अपने दस्तावेजों के आधार पर ही तो करेगा और वे दस्तावेज उसके पास कोई खुदा के घर से तो आयें नहीं होंगे, सरकारी फाइलों पर से ही तो उसका रेकॉर्ड बना है। तो उसकी नकलें या उसकी प्रतिलिपियां सरकारी फाइलों में भी होंगी। तो वह जो पेश करेगा वह तो रेकार्ड ऑफ राइट्स में आपके पास पहले से ही दर्ज होगा। तो उसके द्वारा अपना हक सिद्ध करवाने के बजाय उस इलाके में रेकार्ड ऑफ राइट्स आपके पास हैं तो उस बेसिस पर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि बिफोर दी कमेन्समेंट वह लैट आउट हुआ या नहीं ?

मेरे इस संशोधन से दोहरा मतलब है। एक तो किसान को आकर साबित न करना पड़े। दूसरी तरफ जो बर्डन अकेले एस. डी. ओ. पर पड़ता है वह डिवाइड हो जावे, पटवारियों और रेवेन्यु इन्सपेक्टरों के बीच। वे ऐसी अवस्था में पूरी छानबीन कर सकते हैं। अब इसके बाद में भी मान लिया जावे कि किसी के राइट्स डिस्प्युटेड हों और इसके बाद में भी वह काश्तकार यह समझता है कि उसको राइट्स प्राप्त करने का हक है तो वह ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में अपना राइट डिक्लेयर करवा

Page No.78

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सके, यह गुंजाइश होनी चाहिये। वह सैक्शन ८८ और ८६ में भी जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें ८८ और ८६ में इतना फर्क है कि ८८ में जान-बूझ कर लिमिटेशन प्रेस्काइब की है और ८६ में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट एरिया में इतना रुपया लगा, जिसको सौ बरस बाद में पूरा कर सकें, तब तक उस पर बन्दिश है। यह फर्क है, और कोई फर्क नहीं है।

श्री तनसिंह : इसमें तो फिर या तो यह करिये कि आप अपने जितने प्रोजेक्ट एरिया हैं उनको एक बक्से में बांध कर घर ले जाइये और कह दीजिये कि हम इसको देने वाले नहीं हैं।

(हंसी)

अगर आप राइट ऑफ टेन्योर देने वाले हैं, तो सौ या दो सौ सालों में कभी तो देने वाले हैं या नहीं? अगर सौ साल बाद भी देने वाले नहीं हैं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वहां के काश्तकार को आप काश्तकार के तौर पर न मानकर मजदूर मानेंगे। हम उम्र भर वहां काश्त करते रहेंगे, पर काश्तकार नहीं रहेंगे। काश्त करने वाले केवल मजदूर भर रहेंगे। यह अगर इस सरकार की नीति है तो यह आपको मुबारक हो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? प्रोजेक्ट एरिया का आपका मतलब क्या है? आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वहां? ऑर्डिनरी टिनेन्सी लॉज़ एप्लाई करना चाहते हैं या कोई स्पेशल लॉ एप्लाई करना चाहते हैं वहां के लिये? क्या करना चाहते हैं?

स्पेशल लॉ एप्लाई अगर करना चाहते हैं तो फिर आप राजस्थान में एक नया राजस्थान बनाने जा रहे हैं। पहले वाले राजस्थान में राजा, महाराजा और जागीरदार थे। उनसे राज लेकर आपने रखा और अब आप अपने राज में एक प्रोजेक्ट राज अलग कायम करना चाहते हैं। काश्तकारों को तो हक रखा नहीं। बरसों तक काश्त करता रहा एक काश्तकार, और फिक्सेसिटी ऑफ टेन्योर का सिद्धान्त मानते हुए भी आप उसको खातेदारी राइट्स देना नहीं चाहते। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। रायता बनावेंगे उसका!

(हंसी)

या क्या करेंगे?

श्री पुरुषोत्तमलाल : हलवा बनावेंगे।

(हंसी)

(सदन में भिन्न भिन्न आवाजें)

श्री तनसिंह : मन्त्री महोदय शायद इस भ्रम में हैं कि मंत्री पद से उतरने के बाद में वे वहां जाकर काश्त करेंगे या कोई दूसरा करेगा, तो इसलिये टेम्प्रेरी अलॉटमेंट ही कराया जावे ताकि बाद में यहां से जाकर वहां काश्त कर सकें। पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वे काश्त नहीं करने वाले हैं। आप निश्चित रूप से मानिये कि वह तो काश्तकारों को ही मिलने वाली है जमीन। तो फिर आपकी क्या इच्छा है? हमेशा के लिये देकर रखेंगे तो इसका तो कोई हल होता दिखाई नहीं देता।

अब रहा सवाल कि हमने इसमें एक साल का समय रखा है और उसमें अनलिमिटेड टाइम है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं तो समझ नहीं पाता कि तीन वर्ष के बाद में कोई आदमी दर्ख्वास्त देकर

(श्री तनसिंह)

आयेगा तो क्या वह जमीन ५५ से पहले पर्मानेन्टली अलॉट की जायेगी तो वह टेम्प्रेरी हो जायेगी और अगर टेम्प्रेरी अलॉट हो जायेगी तो क्या कागजात बदल जायेंगे और उनको पर्मानेन्ट अलॉटमेंट माना जायेगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस केनाल एरिया को एक अलग इलाका मानना है। इसको यह मानना है कि यह बिल्कुल शिड्यूल्ड एरिया हो; जैसे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का तबका मान लेते हैं। इसी प्रकार इस इलाके को एक अछूत इलाका मानते हैं.......

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : शिड्यूल्ड एरिया को तो ज्यादा लाभ मिल सकते हैं।

श्री तनसिंह : लाभ तो उनको मिलेगा जो इसके मालिक बनना चाहते हैं। उसके मालिक किसान तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपने खातेदारी राइट्स तो इस एरिया में किसी को दिये नहीं हैं। उसके तो मालिक आप बनना चाहते हैं, तो इसका लाभ तो उन्हीं को होगा जो कि इसके मालिक होंगे। तो इस एरिया को यदि बिल्कुल ही शिड्यूल्ड एरिया ही मानना है तो कम से कम आपका यह दावा कि हम सामान्य रूप से सब लोगों को ....

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member should know that actually this Tenancy Act does not apply to colonisation area. They are declared as colonies and Colonisation Act applies there. Ordinary Tenancy Law does not apply there.

माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय हर बार एक नई बात कहते हैं। उसके ऊपर कानून एप्लाई नहीं किया क्या? लेकिन उस कानून को किसने बनाया? क्या वह खुदा के यहां से अवतरित हुआ है या हमने बनाया है? आप ही तो हैं जो कानून लाये। आपने ही स्पेशल प्रोविज़न किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन १५ए कब लागू हुआ। १६५५ का एक्ट जिस समय पास हुआ, उस समय आपने कॉन्टेम्प्लेट ही नहीं किया था कि हम लागू करेंगे........

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें है।

श्री तनसिंह : यह बाद में लगाया है। अगर आप इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं तो करिये। तो इसका मतलब यह हुआ, जिस समय १६५५ का आरिजिनल एक्ट लागू हुआ तो उस समय आपकी मंशा कुछ और थी। तो यह कहना कि पहले से ही लागू है। हम मान लेते हैं कि पहले से ही, बाबा आदम के जमाने से ही यह है और उनकी टेम्प्रेरी जमीन ही थी तो फिर आपने आकर के क्या किया? आपने किसानों को राज्य संभालने के पश्चात् क्या राहत दी? क्या नया जमाना उनको देखने को मिला? क्या उन्होंने आजादी देखी? आपने कहा कि हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, नये राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं, तो वह कौन सा राजस्थान है? आपने राज्य को क्या नवीनता दी? मैं तो समझता हूं कि केनाल एरिया के अन्दर कोई नई नीति नहीं आई है। वही पुराना का पुराना ढंग चला आ रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हमने नई नीति प्रसारित की है। नई नीति तो आपने वहां प्रसारित की जहां कि सैंकड़ों वर्षों से भूमि बंजर थी। हमारे इलाके में नई नीति प्रसारित की होगी,

(श्री तनसिंह)

बाड़मेर जैसे इलाके में, लेकिन जहां नहरी जमीन है वहां तो वही पुराना कानून लागू है और उसके लिए एक विशेष प्रकार का कानून बना करके वैसी की वैसी ही हालत में उनको रखा है। कम से कम आप स्पष्ट तो कहें कि हम तो किसी को भी खातेदारी के हक नहीं देंगे। यह जमीन तो जिन्दगी भर टेम्प्रेरी रहेगी,तो यह आपका दावा कि हम प्रगतिशील लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं और लोगों का फिक्सिडिटी ऑफ टेन्योर का सिद्धांत दे रहे हैं, कम से कम आप इस बात का नारा तो न लगायें। नहीं तो फिर आपका क्रिटिसिज्म होगा। मैं तो समझता हूं कि आप लोग तो क्रिटिसिज्म के इतने आदी हो गये हैं कि जितना चाहे क्रिटिसिज्म किया जाये, आपके ऊपर उसका असर पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक है फिर आप क्रिटिसिज्म सहते जायें। आपने अपने आपको सहते सहते मजबूत बना लिया है। हमारा काम भी हैल्दी क्रिटिसिज्म करने का है। आप सहते जायेंगे। लेकिन कम से कम मेरा ख्याल है कि प्रगतिशील कानून बनाने का दावा तो आप लोग न करें, अगर इस प्रकार के अमेंडमेंट्स को आप नहीं मानते हैं तो।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल जो हमारे सामने है और उसके क्लॉज़ ६ में जिन माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ...

श्री सभापति : Including the hon'ble Minister-in-charge.

श्री गिरधारीलाल : नहीं साहब !

सभापति महोदय, यहाँ विधान सभा का मेरा अनुभव यह बताता है कि यह बहस केवल बहस के लिए होती है और जहां तर्क केवल तर्क के लिए होती है, वहां से न्याय उठ जाता है। तर्क केवल तर्क के लिए होती है, वहां कुछ पाने की आशा नहीं रहती और जो कुछ पास में होता है उसे भी खो दिया जाता है, ऐसी मेरी मान्यता है। सभापति महोदय, माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने अमेन्डमेन्ट दिया टिनेन्सी के अन्दर और एक ही नहीं बल्कि कई अमेन्डमेन्ट्स दिये और यही नहीं एक एक धारा के अन्दर दो-दो और तीन-तीन अमेन्डमेन्ट्स मन्त्री महोदय की ओर से आ जाते हैं। फोर्थ अमेन्डमेन्ट आया कल हमारे सामने और उसी वक्त माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने एक अलग से इसी के अन्दर एक और अमेन्डमेन्ट पेश किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो हमारी मशीनरी में कुछ खामियां हैं जो मशीनरी इस प्रकार के कानून बनाती है या हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब में कुछ खामियां हैं जो कि कानून बनाने के बाद में कुछ देखते नहीं हैं और समझने की कोशिश नहीं करते है। या यह हो सकता है ......

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, अमेन्डमेन्ट पर बोला जाय तो ठीक रहेगा। बहस तो वैसे काफी हो चुकी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह तो भूमिका हो रही है।

श्री गिरधारीलाल : मैं अमेन्डमेन्ट्स पर ही आ रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो यह हो सकता है कि आप कानून ज्यादा जानते हैं,लेकिन पब्लिक से इस तरह का सम्पर्क, जो जरूर किसी जमाने में हो सकता है, किसानों से जो सम्पर्क था वह

(श्री गिरधारीलाल)

आज दिन आपका नहीं रहा। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम इस कानून को पब्लिक पर लागू करते हैं, तो हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, गलती हम करते हैं, गलती हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब करते हैं, क्योंकि इनकी बात तो समझ में आती नहीं है। गलती हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट करता है, क्योंकि बाहर के स्टेट के जो कानून हैं उनकी वह नकल करता है और उसका नतीजा राजस्थान की पब्लिक को भुगतना पड़ता है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूँ कि जो आज की वर्तमान सरकार रात-दिन यह ढिंढोरा पीटती है कि समाजवाद लायेंगे और समाजवाद के अन्दर हम गरीबों की आर्थिक हालत ठीक करेंगे। हो सकता है वर्तमान सरकार कभी समाजवाद लाये। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के कानून जो इस विधान सभा में पेश किये जाते हैं और इन कानूनों के खिलाफ में एक अच्छी तरह से सारे के सारे माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है और उसको सिलेक्ट कमेटी में सौंपने की राय जाहिर की। लेकिन हमारे जनतन्त्र का नमूना देखिये। हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान केनाल का एरिया ऐसी जगह आयेगा जहाँ कि लोग बहुत गरीब हैं। ये बातें माननीय सदस्यों ने कई बार बताई हैं और इस कारण जिन लोगों की आर्थिक हालत इस प्रकार की है, सरकार चाहती है कि उनको हम नीलाम की पद्धति से जमीन बेचें। सरकार की नीयत साफ है। जैसा कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने थर्ड अमेन्डमेन्ट पेश किया। उस अमेन्डमेन्ट में आपने साफ बताया था कि खातेदारी के राइट्स इस एरिया के अन्दर किसी को भी नहीं देंगे। उस समय हमने काफी कहा था कि बीकानेर स्टेट में एक टिनेन्सी एक्ट बना है और उसके तहत किसानों को उस समय खातेदारी के राइट्स मिल चुके थे और जिनको मिल चुके थे वह टिनेन्सी एक्ट जो ५५ में राजस्थान स्टेट में लागू हुआ, उसके तहत जिनको खातेदारी के राइट्स मिल चुके थे उनके अधिकार किस प्रकार से छीन सकते हैं। उनको बिना मुआवज़ा दिए उनके जो अधिकार हैं उनको छीनने का क्या अधिकार है? माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने उस समय बताया था और कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है वहां पर, और आज आप यह दलील देते हैं यहां कि मैंने तो यही कहा था और अब भी यह मानता हूँ, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर कुछ कानून थे...

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, आपसे कहा जाय कि आप अमेन्डमेन्ट्स पर बोलें। अभी तक आपने अमेन्डमेन्ट्स को टच नहीं किया है, लेकिन भाषण हो रहा है। क्या अमेन्डमेन्ट है, जिस पर बहस हो रही है?

श्री गिरधारीलाल : १५ ए पर बोल रहा हूं। आप सुनें तो मालम हो।

श्री सभापति : जो संशोधन रखे हैं माननीय मूलचन्द डागा ने और श्री तनसिंह जी ने, उन पर ही आप अपने आपको सीमित रखें।

श्री गिरधारीलाल : तो सभापति महोदय, माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब यह दलील देते हैं कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा है कि किसानों को खातेदारी राइट्स मिल रहे हैं, इसलिए फोर्थ अमेन्डमेंट

(श्री गिरधारीलाल)

यहाँ पर लाया गया है । सभापति महोदय, फोर्थ अमेन्डमेंट की दूसरी धारा जैसी भी है उसका जिक्र में नहीं करूंगा और जिस धारा पर अमेन्डमेंट दिया गया है, और जिन माननीय सदस्य ने दिया है, उनके पक्ष में बोल रहा हूं।

तो मैं कह रहा था कि हमारे माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जो बार बार यह अमेन्डमेंट लाते हैं और अमेन्डमेन्ट, मैं सोचता हूँ इसलिए लाते हैं कि कानून बनाने के अन्दर कुछ खामियां रह जाती हैं । जिन किसानों को खातेदारी राइट मिल गये थे, वे उन किसानों से छीन रहे हैं, और एक कानून पेश किया है । मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, अगर किसी ने हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया कि जिन किसानों को खातेदारी राइट्स मिल गये हैं, उनको किसी प्रकार छीना गया है बिना किसी मुआवजे के, तो और अमेन्डमेन्ट लायेंगे और कल चेलेन्ज करेंगे तो परसों लायेंगे।

श्री सभापति : वह टिनेन्सी एक्ट के थर्ड अमेन्डमेन्ट के पहले हो सकता था।

श्री गिरधारीलाल : यह भी इससे बिल्कुल सम्बन्धित है।

तो सभापति महोदय, जहां तक इसका सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, साफ कर दिया है कि किसानों को हर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा । यह एक तरह का भुलावा है । फोर्थ अमेन्डमेन्ट की धारा ६ है, वह एक तरह का किसानों को भुलावा है । बच्चे को मां जिस तरह लोरी देकर सुलाती है, वह एक लोरी है, जिस लोरी के कारण किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई हम खातेदारी राइट्स दे रहे हैं, और कहने की बात साफ है कि कोर्ट के अन्दर जा कर एप्लाई करो । वहां जाने के बाद में ठीक हुआ तो राइट मिलेगा, लेकिन व्यवहार के अन्दर देखा जाय, अगर माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब किसान होते, या उनका किसानों के साथ सम्पर्क होता तो वे इस प्रकार का कानून कभी नहीं लाते । सभापति महोदय, किसान अनपढ़ हैं । उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है । किसान वकीलों के चक्कर में इस कानून के द्वारा पिसेंगे और बिना किसी कारण से, क्योंकि एक तरह से उनको राइट मिल चुका है और मिले हुए राइट्स के लिए इस प्रकार से एप्लाई करना कोर्ट में, कहां तक इन्सानियत है।

सभापति महोदय, इस प्रकार से, मैं सोचता हूं कि इस पर काफी बोला जा चुका है, और मुझे यह आशा कतई नहीं है कि इस प्रकार से जो अमेन्डमेन्ट आते हैं माननीय सदस्यों की ओर से, उनको रेवेन्यु मिनिस्टर साहब मानेंगे, क्योंकि हमारा मत ऐसा है, ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ आप कहते हैं वही बात ठीक है और सदन के अन्दर जो सारे माननीय सदस्य कहते हैं, उनको न तो सुनते हैं और न मानने की कोशिश करते हैं । सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को आप स्वीकार कर लें।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, यह बड़ी सीधी-सी बात थी कि जो किसान पहले से एक जमीन पर काबिज हैं, जोतते आये हैं वह उस जमीन को अपनी समझते हैं । उस जमीन को सुधारने के लिए

(श्री अनूपसिंह)

कोशिश करता है। उस जमीन को हर तरह से उपजाऊ बनाने को वह मेहनत करता है और हमको आज बैठे बैठे सडनली एक फाइन मोर्निंग की जगह एक बैड (खराब) मोर्निंग में यह याद आ गया है, वहां पर उसका जो प्रोविज़न है कि बिफोर दी कमेन्समेंट किसी ने ले लिये खातेदारी राइट, अगर उसने उस जमीन पर अपना कब्जा समझा है, तो उस पर कोई कब्जा नहीं रहेगा, उसके राइट्स टेम्प्रेरी रहेंगे। एक तरफ तो माननीय राजस्व मन्त्री जी कहते हैं कि कभी भी हमारा विचार नहीं था कि वहां पर पर्मानेन्ट राइट्स हों, दूसरी तरफ यह अमेन्डमेन्ट आता है कि वह चार वर्ष आफ्टर दी कमेन्समेन्ट यदि देता है तो उसके राइट्स हो जायेंगे। यह किसी को मालूम ही नहीं कि उसकी जमीन है, वहां पर उसका हक है। न उसको यह मालूम है कि वह चीज उसकी अपनी है या नहीं? उसको भी नहीं मानते हैं। माननीय सदस्य बाड़मेर से आने वालों ने जो संशोधन रखा है, बिफोर दी कमेन्समेंट अपने हक कर लिए तो खातेदारी राइट देने में एतराज क्या है आपको? आप यही चाहते हैं कि जमीन पर खेती की जाय, नहर के पानी को काम में लाया जाय और काश्त बढ़ाई जाय। ज्यादा से ज्यादा सवाल यह रहता है कि कोई बहुत ज्यादा जमीन घेर कर बैठ जायेगा। तो आपका सीलिंग का बिल आ रहा है। सीलिंग के तहत जमीन उतनी ही ले सकता है जो वहां पर लागू होगा। कौन-सी आफत हो जाती है? आज ज्यादा है तो कल नहीं रहने की है। आपके हिसाब से एक ग्रेडिंग के तरीके से देने का विचार है, तो जमीन को तो आप बाद में भी ले सकते हैं। उस जमीन पर सीलिंग लगते ही जो फालतू जमीन होगी, उस पर कब्जा किया जायगा, और आप चाहें तो किसी को अलॉट कर सकते हैं। जिनको वे समझते हैं कि ये भूमिहीन हैं, उनको बाद में दे सकते हैं। जल्दी की कोई बात ही नहीं है। जो पहले से काबिज हो रहे हैं और अपनी जमीन समझकर अपने इम्प्रूवमेन्ट्स लगा दिये हैं, उनको आप हटाना चाहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तो फिर फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है? और जगह भी होगी जहाँ पर फिक्सिटी ऑफ टेन्योर होगा, कोई टेन्योर का सिस्टम होगा। जहाँ ऐसी बातें होंगी वहाँ ज्यादे से ज्यादा काश्त कैसे होगी? ऐसी एक्सपर्ट इन्फार्मेशन है कि १२ और १५ पर्सेन्ट खेती करने वाले आदमी दुनिया को खिलाते हैं और आपके यहाँ ८० पर्सेंट खेती करने वाले हैं, लेकिन वे भूखों मर रहे हैं। किसी को नहीं खिला सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा यही अर्ज करने का मतलब था कि किसानों को पचड़े में क्यों डाल रहे हैं? आपको शंका क्या लग रही है कि किसानों पर जहाँ कहीं बैठ जाते हैं? आप कहते हैं कि दूसरी जगह हो सकता है, तो आप स्पेशल लॉ क्यों ला रहे हैं। जहाँ एक ऑर्डिनरी लॉ से काम ले सकते हैं, तो स्पेशल लॉ क्यों ला रहे हैं। आप कहेंगे कि कोलोनाइजेशन एक्ट लगायेंगे तो कोलोनाइजेशन एक्ट लगेगा तो लगे। इसकी क्या जरूरत थी जब कि ऑर्डिनरी ला से काम ले सकते थे। लेकिन ऑर्डिनरी लॉ से आप काम लें तो फिर आपको कौन पूछे। तो अगर पूछ करवानी है तो बात दूसरी है। मगर सवाल यह है कि किसी के पास ज्यादा जमीन है और वह बच जायगी तो उसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सारे पॉवर्स बाद में रह जायेंगे। आज किसी ने अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड ले लिया है, तो क्या

(श्री अनूपसिंह)

पहाड़ गिर पड़ा जो इस तरह के अमेन्डनेन्ट को, मामूली सी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए राजस्व मन्त्री जी से अर्ज करूँगा कि यह बहुत ही एक इन्नोसेन्ट सा अमेंडमेंट है। उसे उनको मान लेना चाहिए।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चैयर-मैन महोदय, यह विषय बराबर चल रहा है। इसमें काफी दलील हो चुकी है। इसमें बहुत सी ही हल्की सी दो बातें थीं। एक तो यह है कि इसमें अच्छी तरह से करने और सोचने के लिए सिलेक्ट कमेटी के अन्दर यह भेजा जाय। तो इसमें कोई बात बाधक नहीं थी। दूसरा खास मूल विषय था, जिस पर बहस हो रही है और जिसका यहां माननीय सदस्य श्री तनसिंहजी ने प्रश्न उठाया है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें हर्ज क्या है और दूसरी बात जो खास सोचने की बात है कि गवर्नमेंट को इसकी अत्यन्त आवश्यकता यह भी है कि जहां इतने रुपये खर्च होंगे यह नहर आने में और दूसरी बातों में, तो उसको वापिस वसूल करने का भी और वैसे लोगों को भी जमीन देने के लिए भी प्रावधान रहेगा कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको फिर से देने की जरूरत होगी। तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि कुदरती तौर पर यह चीज़ ओटोमेटिकली पैदा होने वाली है कि जिस समय सीलिंग आया और निकट भविष्य में आया तो सीलिंग के आने पर उन लोगों के हिस्से में जितनी जमीन रह जायगी, उसके रहने के बाद बाकी की जमीन आ जायगी और आगे नहर पर जाने से दूसरी जगह है उसमें·······

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब पान खा रहे हैं, क्या यह सदन के नियमों का उल्लंघन नहीं है? मैं इस पर रूलिंग चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री नरेन्द्रसिंह से) : आप भाषण जारी रखें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस विषय में ज्यादा लम्बी चौड़ी बहस नहीं करके कहूँगा कि जो लोग वहां पर खेती करते हैं और जिन्होंने उस हालत में वहां पर खेती की है, जहां न तो खेती का सुभीता था, न पानी का सुभीता था और न बिजली का सुभीता था और मैं समझता हूँ विश्व में कई चुने हुए साहारा और सूडान के डेजर्ट जैसे राज-स्थान के डेजर्ट में या रेतीले प्रान्त में ये लोग बसे हैं और बड़ी कठिनता से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और एक दो साल के बाद अपने घर को छोड़कर अपने सभी मवेशियां और घर के आदमियों के साथ सैकड़ों मील की सफर करते हैं, उनको सीलिंग जितनी भी जमीन नहीं देकर उनके हक को इस प्रकार से रोका जाना कि वह गवर्नमेन्ट की चीज़ समझी जायगी और उस पर उनका स्वत्व नहीं रहेगा और जब भी जमीन लेकर इस प्रकार का कड़ा प्रावधान किया जाना और वह भी उस समय जब कि सिर्फ दो-दो सेर का अनाज बिक रहा है और सीलिंग आने पर शीघ्र ही कुछ बीघे ही उनके पास रह जावेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब कि किसान भूखा है और उसके लिये जबकि ये स्लोगन्स रोज काम में आते हैं कि जमीन किसकी? जो खेती करे उसकी। और यह भी कहा जाता है कि काश्तकार और राज्य के बीच में कोई दूसरी भीत्ति नहीं होनी चाहिये, चाहे लोहे की, चाहे मिट्टी की, तो ऐसी हालत में उनके

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

स्वत्व को नहीं रोकना चाहिये। यदि ऐसा करते हैं तो आज के जमाने में, बीसवीं सदी में, डेमोक्रेसी में, मैं अनुचित समझता हूँ।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग वहां रह रहे हैं और जिन्होंने कूए, और दूसरी चीजें वहां पर बनाई हैं, मैं मानता हूं कि नहर के पानी से सिंचाई ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी बहुत सी आवश्यकता की चीजें बनाई हैं और साथ ही बड़े-बड़े मकान बनाये हैं और कल पुर्जों से भी खेती का आयोजन है, तो उनके लिये वहां पर उनका कोई स्वत्व नही रहे तो. यह अनुचित रहेगा और एक प्रकार की एग्रेरियन ट्रबल की स्थिति अकारण खड़ी हो जायगी, जिसके लिये इस सदन के प्रत्येक सदस्य को और मन्त्रिमण्डल को भी पछताना पड़ेगा। उस स्थान के लोग नहर के आने की जिस तरह से बरसात में मेंढ़क मेह की बाट जोहते हैं, उसी तरह से....

श्री दामोदरलाल व्यास : चेयरमैन महोदय, रेगिस्तान में ऐसा कौनसा स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े मकानात बन गये हैं और कूए खुद गये हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा उस तरफ संकेत है, जहां खेती के लिये लोग खेतों के अंदर रह रहे हैं और जिस एरिया में नहर आयगी वहा भी कुछ आबादी तो होगी। वहां के लोग जिस तरह से मेंढक बरसात के लिये तरसता है, उसी तरह से वे लोग नहर की बाट देख रहे हैं उससे उन सब पर तुषारापात होगा यह बड़ी दिक्कत की बात रहेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसे मामले में जब कि सीलिंग आ रहा है, सीलिंग में विलंब क्यों किया जा रहा है, सीलिंग जब आयगा तो ओटोमेटिकली यह समस्या हल हो जायगी।

पांचवीं बात मुझे यह निवेदन करना है कि बहुत सी दफा, अभी भी और पहले भी बार बार यह प्रश्न आता है या उठाया जाता है कि जागीरदार और दूसरे लोग जिनकी जमीन के बारे में प्रश्न आता है, अव्वल तो जागीरदार शब्द ही नहीं रहा, जागीरदारों का वेरी एग्जिस्टेन्स ही (मूल अस्तित्व) खत्म हो गया, ऐसे मामलों में नये जागीरदार न पैदा करके इस प्रकारकी व्यवस्था हो कि प्रत्येक राजस्थान वासी को खेती करने के लिये सुभीता हो सके वरना जिन लोगों का खेती करने का प्रयास रहा है, उन पर एक तरह से कोल्ड वाटर पड़ जायगा और जिस दिलचस्पी से वे काम करते थे वैसे दिलचस्पी उनमें नहीं रह जायगी। राजाओं के समय में भी उनके दिल में यह ख्याल रहता था कि हमारी भूमि पर स्थिरता नहीं है, वैसी की वैसी अस्थिरता का मौका कायम रह जायगा। लोगों को बहुत आशा थी कि यह हिस्सा ग्रेनरी ऑफ राजस्थान ही न रहकर ग्रेनरी ऑफ इंडिया होगा और वहां बसे हुए जो लोग हैं और जिनको कानूनी हक हासिल हो चुका है यदि उन्होंने ज्यादा जमीन भी दबा ली है, तो सीलिग के आने पर उनको उससे अलग किया सकता है, इसमें हर्ज की बात क्या है ?

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदय, आज हाउस के सामने टिनेन्सी फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल सरकार की तरफ से रखा गया है। उस पर माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट है कि टिनेन्सी कानून १९५५ जो १५ अक्टूबर, १९५५ को लागू हुआ, उस समय जो राजस्थान केनाल एरिया में रहने वाले किसान थे और पुख्तारूप से जमीन पर काबिज थे उन पर उनका खातेदारी अधिकार मान लेना चाहिए। वास्तव में सभापति महोदय, इस

(श्री मोहरसिंह)

प्रकार का जो अमेंडमेंट मेरे माननीय साथी की तरफ से रखा गया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, एक तरफ तो हम प्लानिंग कमीशन का उदाहरण देते हैं और शायद टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल फाइव में इसका जिक्र भी आया है, आगे प्लानिंग कमीशन की यह मन्शा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जायं। एक तरफ तो उदाहरण यह दिया जाता है और दूसरी तरफ इसका उल्लेख है कि जहां पर नहर जायगी, उस एरिया में किसानों का जिस जमीन पर कब्जा है, उनसे वह जमीन निकालने की कोशिश की जा रही है। थर्ड अमेंडमेंट हमने देखा, सभापति महोदय, और फोर्थ भी आया जिसे उलझन के साथ लाया गया है और सदन केसामने रखा है सारी चीज समाप्त की जा रही है। वास्तव में किसान का जमीन पर नजदीकी सम्बन्ध है उसे आज सरकार तोड़ने को तत्पर है। लेकिन हमारे प्रान्त की तरक्की और किसानों की खुशहाली बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि उस जमीन पर किसानों को मुस्तकिल रूप से काबिज बनावें और उनको मुस्तकिल करें, जिससे वे लोग ज्यादा बेफिक्र हो सकें और अपनी जमीन की पैदावार बढ़ावें। वास्तव में जब लैंड रिफोर्म की समस्या पर विचार करते हैं, टिनेन्सी एक्ट पर अमेंडमेंट लाते हैं,उस समय सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि अच्छे ढंग से और ठंडे दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। जमीन की समस्या जटिल समस्या नहीं है। उस समय जबकि लैंड रिफोर्म्स और टिनेन्सी पर विचार करें उस समय मैं समझता हूं कई बातों पर विचार करना जरूरी है। एक सिद्धान्त यह माना है और उस सिद्धान्त का पालन करते हैं. आयन्दा प्रगतिशील कहलाना चाहते हैं, किसानों की तरक्की के लिए काम करना साबित करना चाहते हैं। तो एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और वह यह कि जमीन खाली न पड़ी रहे और वास्तव में जमीन को खाली न रखा जाकर उस पर काश्त करवाई जाय और साथ ही साथ जमीन किसकी है; जमीन पर जो काश्त कर रहे हैं उन्हीं की है, और जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके जरिये वही चीज दिखाई दे रही है।

उस जमीन पर किसान का कब्जा था, उसको नहर का नाम देकर, उस किसान से वह जमीन छीने चले जा रहे हैं। उसके लिए आपने बहाना किया है कि नहर बना रहे हैं, इस नहर पर १७ करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आप किसी एक की जेब से पैसा निकाल नहीं सकते, सरकार के खजाने में रुपया नहीं हो सकता, रुपया आयेगा किसान से। लेकिन उसका प्रोसीजर दूसरा है। उस जमीन पर अधिकार है उस किसान का, उसका फन्डा-मेन्टल अधिकार है, उस जमीन के लिए जो पानी उसको दिया जाय, उसको जो पानी दिया जाय उसके बदले में जो नहर बनाने में खर्चा लगे, वह वसूल किया जाय, लेकिन उन्हें खातेदारी से क्यों वंचित किया जाय। मैं जानता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं मिलेगा, कि इस कारण से कम से कम खातेदारी राइट नहीं देना चाहते हैं। वैसे इसके जवाब में यह कहा जाता है कि हम नहर बना रहे हैं, इस नहर पर करोड़ों रुपया खर्च होगा, यह कई दफा बोल चुके हैं। मैं आपको कहता हूं कि नहर पर जितना रुपया खर्च होगा, उसका हिसाब लगा कर चुकायेंगे, किसान आपका अहसान क्यों मानें, आप धन चाहेंगे वह देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसानों

(श्री मोहरसिंह)

को भूमि से वंचित कर दिया जाय । लेकिन आज इस तरह की चीजें चल रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा भूमि छीन ली जाय, और इसके लिए बहाना लम्बा चौड़ा दिया जा रहा है कि भूमि हीन किसानों को जमीन देंगे । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार बता सकती है कि राजस्थान के अन्दर कितनी जमीन खाली पड़ी है, कितनी जमीन पर किसान बसे हुए हैं ? इतनी जमीन पड़ी हुई है कि जितने भूमिहीन किसान हैं उनको बसाया जा सकता है , इतनी गुंजाइश है । लेकिन जो किसान काश्त करते आ रहे हैं, उनको खातेदारी अधिकार न दिए जांय, उसमें एक चीज है छीनने की । इसके लिए रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जवाब देते भी रहे हैं और उनका जवाब है कि हम किसानों को बेदखल नहीं कर रहे हैं । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खातेदारी के अधिकार से वंचित करने का मतलब है—किसानों को टेम्प्रेरी बना देना, उनको आराजी काश्तकार बना देना, और आराजी बना देने का मतलब और परिणाम वही होगा जो भाखरा डेम में देखा है । मैं स्वयं वहां देख कर आया हूं और हाउस के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि मौका मिले तो चार-पांच सदस्य जाकर देखें या सदस्यों को मुकर्रर करके भेजा जाय जो जाकर देखें कि वहां क्या असर पड़ा है । जो व्यक्ति २०० बीघा जमीन पर काश्त करता था, उसके पास ५० बीघा जमीन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है ? इसका जवाब मिलता है कि जमीन नहरी हो गई है, जमीन बैटर हो गई है, इसलिए जमीन थोड़ी छोड़ते हैं । जिस व्यक्ति के घर में २५, ३० आदमी हैं, उसके लिए ५० बीघा जमीन है । यही हालत होगी राजस्थान केनाल से । अभी शुरूआत की जा रही है । सैक्शन १५ जिनके ऊपर लागू होता है, जिस एरिया में भी कानून लागू कर दें, वहां के किसानों को टेम्प्रेरी बना दें और चाहें कि गवर्नमेंट की नजर के सामने वे नाक रगड़ते रहें कि १५ बीघा जमीन और दे दो, उनको भिखमंगा बना दिया जाय । मैं समझता हूं यह पॉलिसी किसानों के लिए दुःखदायी है । कुछ मिला कर गांवों की तरक्की के लिए बहुत भयंकर सिद्ध होने वाली है । इन शब्दों के साथ मैं कह रहा हूं कि जमीन किसकी है ? इस पर विचार करना चाहिए जमीन किसकी? जो बोये, जमीन उसकी । जो जमीन खाली पड़ी है, उनके ऊपर जो मजदूर हैं, उनको आबाद किया जाय । मैं मानता हूं कि कई आदमियों के पास हजारों बीघा जमीन है, जिसमें से ४०० बीघा जमीन पर काश्त करते हैं और ६०० बीघा जमीन खाली पड़ी है, उनके पास से जमीन निकलवायें, उसके लिए कानून बनायें, हम उसका समर्थन करेंगे । लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप सब को डिस्टर्ब करें । परिवार में ३० आदमी हैं, उसके पास ५० बीघा जमीन छोड़ने के लिए जाल रचा गया है और एक दिन यहां भाखरा जैसा होने वाला है । वहां जिसके पास २०० बीघा जमीन थी, उसके पास ५० बीघा जमीन रहेगी । मैं समझता हूं कि जैसा भाखरा में हो रहा है वही राजस्थान के अन्दर होने वाला है,क्योंकि कोई एश्योरेन्स नहीं दिया गया है । मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को उस सिद्धान्त के ऊपर रखना चाहिए, जिस मूल सिद्धान्त को माना है, उससे दूर नहीं होना चाहिए । वह मूल सिद्धान्त है, जमीन किसकी? जो बोये, उसकी ! इस सिद्धान्त से अलहदा नहीं जाना चाहिए । हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जमीन का एक चप्पा खाली न रहे, जो जमीन लोगों द्वारा दबाई हुई है,

(श्री मोहरसिंह)

उसको उनके हाथ से छीन कर, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको आप दे सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि जमीन को कोई शोषण नहीं कर सके। इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर इन बिलों को एक जगह कन्सोलिडेट करने के लिए सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं भेजा गया तो वह चीज बहुत बुरी चीज होगी। इस सम्बन्ध में मैं इस स्टेज पर ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत सी बातें कहनी थी। जैसे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब बीकानेर टिनेन्सी कानून की बात कहते हैं, वे इस बात को बार बार रखते हैं। जो अमेंडमेंट आया है, उसके लिए यह कह दिया है कि १५ अक्टूबर, १९५५ के पहले जब यह कानून लागू हुआ था, बहुत से किसानों की जमीन ले ली गई थी, अब वे खातेदारी राइट्स घोषित कराने के लिए कार्यवाही करेंगे, तो उन्हें खातेदार समझ लिया जायगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि बीकानेर में किसी को खातेदारी राइट्स नहीं दिए गए थे। मैं कहता हूँ कि अब भी ऐसी पावर्स दी हुई हैं। हम भी १९० बीघा के खातेदार हैं। बीकानेर टिनेन्सी कानून द्वारा दिये गये अधिकार हैं। लेकिन एक चीज का यह फर्क था कि उस जमीन को बेच नहीं सकते। हम बेचें क्यों? क्योंकि कोई भय नहीं है। जो कानून किसानों को भय देता है, वह किसानों के लिए बदकिस्मती का कारण है। अगर ऐसा एश्योरेन्स मिलता है, जो बीकानेर राज्य में दिया हुआ था, वहां खातेदारी राइट्स थे, वे मिले हुए थे, ये अधिकार राजगढ़ के अन्दर मिले हुए थे, चूरू के अन्दर मिले हुए थे, जागीरी एरिया में मिले हुए थे, आप वहां के बन्दोबस्त के कानून को उठा कर देखें, यह चीज साबित हो चुकी है कि खातेदारी हक मिले हुए थे। किसानों का जमीन पर हक हो चुका था और उनके हक मान लिये गये थे। फिर क्या वजह है कि राजस्थान केनाल में ये हक न मिलें? चूरू में, राजगढ़ में, जागीरी, खालसा एरिया में खातेदारी हक मिले हुए हैं और जो राजस्थान केनाल में १५ गांव आयेंगे, जहाँ पर राजस्थान केनाल जायगी, वहां के किसानों को इस हक से अलग रखा जाता है, उनको अलग रखा जायगा। इस बात के लिए आप अमेंडमेंट लाये हैं, यह इस बात का सबूत है कि कुछ इस तरह के किसान हैं, जिन्होंने हक खातेदारी के हासिल कर लिये थे। मैं इसलिए यह बतलाना चाहता हूं कि पूरी बातों पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह टिनेन्सी कानून उन लोगों के लिए है जो सरल हृदय है। इसलिए उनके के लिए ऐसा कानून बनायें जो सरल हो, ऐसा कानून न बनायें जिससे उनके सामने अड़चनें पैदा हों। इस प्रकार का कानून न बनावें जो किसानों को सुविधा न दे, बल्कि इस प्रकार के कानून बनायें जो किसानों को सुविधा दे, जो किसानों को सबसे ज्यादा सहूलियत दे। इस प्रकार के कानून आते हैं और उन पर आप विरोधी पक्ष और ट्रेजरी पक्ष का सवाल उठा कर विचार करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह सच्चाई की चीज है कि आज के जमाने में यह मान कर चलना चाहिए कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और मेहनत करने वाला प्राणी किसान हैं, हम उनके प्रति जिम्मेदारी रखते हैं, जो इस समय यहां बैठे हुए हैं, उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए आप सरलतम कानून बनायें और ऐसे सरलतम कानूनों को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। लेकिन आज के जमाने के अन्दर बहुत सी चीजें ऐसी आई हुई हैं, जिनको मैं सदन के

(श्री मोहरसिंह)

सामने रखने के लिए लालयित रहता हूँ। मैं रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस सिद्धान्त को मानते हैं, जिस सिद्धान्त को मैंने बतलाया है, और इसके साथ ही जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनका हल करते हुए चलते हैं तो यह समस्या हल हो सकती है। तो एक सिद्धान्त मैंने बताया, "जमीन किसकी, जो बोवे उसकी" इसके साथ ही जो जमीन को बोता है उसका आज तक शोषण होता रहा है। वह शोषण अब नही हो, वह खूब जमीन बोये और खूब पैदावार बढ़े। इसके अलावा जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उसको हम जमीन देना चाहते हैं।

४ म० प०

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सारी लैंड पॉलिसी पर न बोलें।

श्री मोहरसिंह : मैं खास विषय पर आ रहा हूं। साथ ही आज मंहगाई बढ़ गई है जिसके कारण जमीन की भूख बढ़ गई है। रुपये का ढ़ाई सेर अनाज हैं, इसलिये मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जमीन मेरे पास रहे। पर हमें यह याद रखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने चार चार सौ, पांच पांच सौ वर्षों से, दस दस, बीस-बीस मील से पानी ला ला कर, उन जमीनों को आबाद रखा है, उन लोगों का उन जमीनों पर हक रहे। कोई ठंडे दिमाग से सोचे तो इन समस्याओं का हल हो सकता है। पर इस तरह की जो बातें कहते हैं, तो जवाब मिलता है कि विरोध के लिये विरोध करते हैं। खातेदारी से हमारा मकसद यह है कि भूमि से नजदीक का सम्बन्ध किसान का बना दिया जाय ताके वह बेफिक्र होकर जमीन को काश्त के लायक बनाये, उसमें मेहनत करके, खाद डाल कर उसकी उपज को बढ़ाये। जहां एक मन बीघा पैदाइश होती है, वहां मेहनत करके उस जमीन को ४ मन बीघा पैदाइश हो, इस लायक बनाये और जहां ४ मन बीघा पैदा होता है उस जमीन को इस लायक बनाये कि वहां ८ मन फी बीघा में पैदाइश हो, इस तरह उसका हौसला बढ़े। कानूनों के जरिये, और और तरीकों से उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिये।

तो मेरे माननीय साथी ने अमेंडमेंट रखा है कि टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले जिस काश्तकार का उस जमीन पर कब्जा था उसको मुस्तकिल हकदार, मुस्तकिल खातेदार मान लेना चाहिये। उन्होंने यह जो अमेंडमेंट रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, ये जो दो अमेंडमेंट्स माननीय सदस्यों ने दफा ६ में पेश किये हैं, वे व्यवहारिक नहीं हैं, उनको अगर स्वीकार किया भी जाय तो कोई मतलब नहीं निकलता। मैं एक एक अमेन्डमेंट के लिये अर्ज करूंगा। जैसे पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने अमेन्डमेंट पेश किया है, उसको देख लीजिये, उनसे मैंने पूछा भी था, वे कह नहीं सके। उनका अमेन्डमेन्ट है कि, words 'Praying for a declaration that be required' की जगह 'Praying for granting' सब्स्टीच्यूट कर दिया जाय। इससे उनका क्या मतलब है? यह अगर रखा जाय तो भी इन्क्वायरी वही की वही करनी पड़ेगी, एविडेन्स पेश करनी पड़ेगी और सब का सब वही करना पड़ेगा। जबकि इसका कोई मतलब नहीं, तो मेरे खयाल से लीगल फ्रेजोलोजी रखना जरूरी है, बनिस्पत इस तरह के शब्दों के।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जो इन्क्वायरी करनी है वह करनी पड़ेगी, जो एविडेन्सेज़ हैं वे पेश करनी पड़ेंगी तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यह अमेन्डमेंट इस लायक नहीं है कि इसे स्वीकार किया जाय।

दूसरा अमेंडमेंट हमारे लायक सदस्य जो बाड़मेर से आये हैं, उन्होंने पेश किया है। वैसे तो वह अमेंडमेंट इस बिल के स्कोप के बाहर है। फिर भी चूंकि एडमिट कर लिया गया है, इसलिए मैं उसका उत्तर दे देना आवश्यक समझता हूं। उनका अमेंडमेंट है कि १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले जिनको जमीनें अलॉट कर दी गई हैं, उनको खातेदार मान लेना चाहिये। मैंने उनके भाषण को सुना। उस पर से जहां तक मैं समझा, उन्होंने यह कहा है कि पर्मानेन्ट तौर पर जिन कल्टिवेटर्स को अलॉटमेंट १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले हो चुका है, उनको पर्मानेन्ट खातेदार मान लिया जाय। टेम्प्रेरी कल्टिवेटर्स के लिए तो वे भी मानते हैं कि उनको खातेदार मानने का सवाल नहीं। जिसको पर्मानेन्ट बेसिस पर जमीन अलॉट हुई है, उसको खातेदार मान लेना चाहिये। तो बात वही आती है कि १५ अक्टूबर से पहले जमीन पर्मानेन्ट बेसिस पर हासिल हो चुकी है, तो उसको साबित करना चाहिये कि उसे वह जमीन पर्मानेन्ट बेसिस पर अलॉट हो चुकी है। जब रेकार्ड ऑफ राइट्स में इन्दराज होगा तो वह तो कन्क्लूजिव एविडेन्स है।

श्री गिरधारीलाल : तो आप मान लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पहले समझ लीजिये थोड़ा। जहां रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में इन्दराज नहीं हैं और काश्तकार कहता है कि उसको इस पर राइट्स हासिल हैं, तो इसमें उसके सिवा और चारा ही क्या रह जाता है कि वह इसको साबित करे।

श्री गिरधारीलाल : आप यह साफ कर दें कि...

श्री दामोदरलाल व्यास : No interruptions, Sir. That is wrong.

श्री गिरधारीलाल : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय मन्त्री महोदय यह साफ कर दें कि साबित करने का प्रोसीजर क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : साबित करने का प्रोसीजर कानून में दर्ज है। मैं इतना जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में पर्मानेन्ट अलॉटमेंट दर्ज है तो वह कन्क्लूज़िव एविडेन्स है। वहां दूसरे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं।

बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट पास करते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता, एविडेन्स तो उस सूरत में भी देनी पड़ेगी। He has got to establish his rights.

यह तो कॉमन प्रिन्सिपल है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इसलिये दोनों अमेन्डमेन्ट्स है, उनका मैं विरोध करता हूं और जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है, उसमें मैंने साफ कर रखा है कि पर्मानेन्ट बेसिस पर अलॉटमेंट जिसको हुआ है, वह डिक्लेरेशन कर सकता है। He should get his dues by means of a declaration.

इसलिये प्रोविज़न किया है। अतः मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार करना चाहिये और जो दो माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट्स रखे हैं, उन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दोनों अमेन्डमेन्टस का मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, इस विषय को लेकर बहुत बहस हो चुकी है। बार बार एक ही चीज को कहने में कोई तथ्य नहीं । पर अभी मन्त्री महोदय ने जिस चतुराई से बातें रखीं, उनका जवाब देना आवश्यक है । पहली बात तो उन्होंने यह कही कि यदि इनका अमेंडमेंट स्वीकार किया जाता है तो कोई मतलब नहीं निकलता। मेरा निवेदन है कि मतलब तो निकलता है, पर सरकार का मतलब नहीं निकलता। किसी डिस्प्यूट की बात उन्हें साबित करनी पड़ेगी, यह दूसरी बात है। पर मैं तो यह चाहता हूं कि जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उनका तो हक मान लिया जाय। तो इस तरह मेरा अमेंडमेंट स्वीकार करते हैं तो किसानों का मतलब तो निकल गया, पर सरकार का मतलब नहीं निकला। सरकार का मतलब भी हमारी निश्चित नीति के अनुसार हो तब तो सरकार के हित का सोच करें, पर वह निश्चित नीति से परे है, विरुद्ध है, इसलिये यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी।

पता नहीं, चलते ही मन्त्री महोदय ने कह दिया कि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार होता है तो भी उसको साबित तो करना पड़ेगा । मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने यह कैसे कहा। मेरा अमेंडमेंट स्वीकार होता है, तो बिना रेकॉर्ड ऑफ राइट्स देखे ही उसको राइट्स मिल गये। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज है तो वह तो कन्क्लूजिव प्रूफ है। आप इसको मानते हैं तो चाहे ५ ही आदमी क्यों न हों, उनको तो आप कम से कम एग्जेम्प्ट कर दीजिये। उनके पास कन्क्लूजिव एविडेन्स होते हुए आपके दरवाजे खटखटाना पड़े, यह क्यों? रहे वे, जिनके पास रेकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज नहीं, उनका १०० साल का कब्जा है, वे कहते हैं कि हमारा १०० साल का कब्जा है, लगातार जमीन का लगान दिया है; रिसीट्स से वह साबित करेंगे, पर जिनका रेकॉर्ड आफ राइट्स में दर्ज है उनको तो एग्जेम्प्ट करिये।

लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब निकालना नहीं चाहें तो नहीं निकला । सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो मतलब तो अवश्य निकलता है। वह बात दूसरी है कि वे मानें या न मानें । मजबूर करके उनको नहीं मनाया जा सकता। विधान सभा में मजबूर करने के लिए कोई रास्ता नहीं । अगर कोई दूसरी चीज हो तो मजबूर करके करवा सकते हैं।

अब रहा प्रश्न यह कि यदि हम उसको मान लेते हैं, तो भी उसको साबित करने की जरूरत रहती है। अब मैं इसी सिलसिले में दफा १५ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अनुसार जिस दिन से यह कानून लागू होता है, उस समय जिस व्यक्ति के पास जमीन हो वे खातेदार मान लिए जावेंगे। उसमें किसी प्रकार की एविडेन्स की जरूरत नहीं। जिस तरह मैं मानता हूँ कि जिस समय से काश्तकारी कानून लागू हुआ, जिसके कब्जे में जमीन थी, वह खातेदार दफा १५ के मुताबिक है। केनाल एरिया में भी अलॉटमेंट हुआ है। उसके लिए प्रूव करने

(श्री तनसिंह)

की जरूरत नहीं थी। सीधा सा तरीका और सीधी सी बात हो सकती है। मगर उसको भी माननीय मंत्री महोदय बड़ी चतुराई से टाल देते हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि सरकार खातेदारी राइट्स उनको देना नहीं चाहती। मुझे तो आश्चर्य हुआ जिस समय माननीय मंत्री महोदय सिलेक्ट कमेटी के बारे में यह कह रहे थे कि सरकार की मंशा यह नहीं है कि किसी को खातेदारी राइट्स एक्रू हों। इसका मतलब यह कि लोग आवेंगे, दरख्वास्तें देंगे, मगर उसके बाद भी सरकार की मंशा है, वह तो मालूम है ही, उसके लिए नीचे काम करने वाले भी क्या करेंगे। वे भी यही करेंगे कि यदि एक दिन भी किसी व्यक्ति की अर्जी लेट आई तो सरकार की मंशा तो उनको मालूम है ही, सरकार की मंशा यह है कि खातेदारी राइट्स किसी को एक्रू नहीं होने चाहिए, अर्जी को रिजेक्ट कर देंगे। न्याय तो यह कहता है कि राजस्थान केनाल आज आई है। चंबल की नहर भी आज आई है। मगर जिन लोगों ने वहां पर इससे पहले कई वर्षों से वहां की जमीन को अपने साधनों से हरा भरा बनाया और उन गावों को आबाद रखा और देश में समृद्धि की, उन लोगों को आज हम इस बात से नजरअन्दाज कर रहे हैं और महज विद ए स्ट्रोक ऑफ पैन से उनके सारे राइट्स खत्म कर रहे हैं। जिस समय वहां पर कोई आदमी नहीं रहता था और उनको वहां पर कई मीलों से दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, उस समय भी मुसीबतों में उन्होंने उन गांवों को आबाद रखा। आज तो मैं जानता हूँ कि जब राजस्थान केनाल का हल्ला लोगों ने सुना है, कई लोगों ने जिन्होंने कभी जिन्दगी में हल नहीं चलाये थे, वहां पर जमीन अलॉट करा ली है। उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। आज पानी आ रहा है, हम भी अलॉट करालें। मगर मैं यह कहूँगा कि आप न्याय की दृष्टि से देखें। जो लोग वहां पर वर्षों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके हकों को आप खत्म कर रहे हैं। आप अपना मनमाना राज्य चलाना चाहते हैं, चलाइये। पर यह ऑटोक्रेसी के सिवाय कुछ नहीं होगा। आप डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं। आप यहां पर इसी को डेमोक्रेसी मानते हैं कि आप यहां पर सवाल रखते हैं और हम उसका विरोध करते हैं। वास्तव में यह डेमोक्रेसी नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि न्यायोचित बातों को ध्यान में रखा जावे। माननीय मंत्री ने इजेक्टमेंट की अवधि ३ साल के बजाय ४ साल रखी और वह इसलिए बढ़ायी कि हम उन काश्तकारों का ध्यान रखते हैं। सभापति महोदय, हम इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सरकार को समान रूप से सभी के हितों की रक्षा करनी चाहिए और सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए। समझ में नहीं आता कि आप लोग उन लोगों के हितों की क्यों नहीं रक्षा करते, जो वहां पर वर्षों से रह रहे हैं। हम उनको हक्क दे रहे हैं। कानून के माफिक हमको उनको राइट्स देना चाहिए। हम यह कहते है एक आदमी को, कि वह कत्ल करें और फिर अदालत में जाये या किसी व्यक्ति को कॉलेरा के जर्म्स पिला कर यह कहें कि सामने होस्पिटल है, वहाँ पर जाकर इलाज कराओ। किसी तरह के अधिकार आप उनको दे रहे हैं कि वे जाकर अदालत में अपने हक हासिल करें। एक हाथ से आप उनके अधिकारों को मानते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनको अधिकार दे रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आती कि आप किस तरह से उनको अधिकार दे रहे हैं। आपके यह देने की बात है, वह सिर्फ एक

(श्री तनसिंह)

दिखावा मात्र ही है । इसके लिए हैपोक्रेसी, यदि यह अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं है, तो वह भी प्रयोग कर सकता हूँ । यह दिखावा मात्र है । वास्तव में यह क्या मामला है ? अगर माननीय मंत्री महोदय नही मानते हैं तो सदन में इस विषय पर विचार करना चाहिए । आज सारे राजस्थान के लिए कानून बना रहे हैं । शहरी इलाकों के लिए आप उनको राइट्स नहीं देते । मगर ऐसा करना, मैं समझता हूं, जनहित और राज्य की नीति के हित में उचित नहीं है । यह सोचने का अलग दृष्टिकोण है । इसका क्या परिणाम होगा ? मैं समझता हूँ कि इसका क्या असर होगा ? वही होगा, काश्तकार वे हो ही होंगे । हमारे मंत्री महोदय की विचारधारा इसमें स्पष्ट नहीं है । ऐसी अवस्था में जो कानून पास करते हैं, तो हमें उस पर शांतिपूर्वक और न्याय की दृष्टि से इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए, और माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है, उसको अस्वीकार करना चाहिए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५८ के क्लॉज़ ६ में, श्री मूलचन्द डागा ने रखा है, उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५८ के क्लॉज़ ६ पर, श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, उसे स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि...

श्री तनसिंह : 'Ayes' have it, Sir. I claim Divison.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने डिसीजन दे दिया ।

श्री तनसिंह : Immediately when the Chair announced, I rose to...

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५८ के क्लॉज़ ६ में, संशोधन का जो प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है, उसे स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : The position seems to be quite clear and it is not necessary to claim division.

श्री तनसिंह : The position is very sound, because they (Bongress Benches) are less in number. Again the matter is relating to very vital policy regarding the Tenancy. As such I hope many of the members will accompany us.

श्री सभापति : All right. 'Ayes' this way and 'Noes' that way.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

Page No.94

(श्री सभापति)

राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५८ के क्लॉज ६ में, जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा, उसके मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

"पक्ष में १९ और विपक्ष में ३३"

(संशोधन गिर गया ।)

मत विभाजन के अनुसार 'हां' पक्ष व 'ना' पक्ष के सदस्य :

'हां' पक्ष

१९

श्री अनूपसिंह
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री चन्द्रसिंह यादव
श्री दलपतसिंह
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालूराम
कुंवर श्री मंगलसिंह
राजा श्री मानसिंह
श्री मोहरसिंह
रावल श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नाथूराम करोल मीणा
श्री प्रभुलाल पुरोहित
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री श्रीराम बासोतिया
श्री तनसिंह
श्री उमेद
श्री वीरका

'ना' पक्ष

३३

श्री अब्दुल गफ्फार खां
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भोगीलाल पंड्या
श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
श्री चन्दनमल वैद
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री देवीलाल
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री गुलाबसिंह
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री लालसिंह शक्तावत
श्री मनोहर कोठारी
श्री मूलचन्द डागा
राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरना
श्री फूलाभाई
श्री पी० के० चौधरी
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
श्री रामचन्द्र
श्री सम्पतराज जैन

(श्री सभापति)

श्री शिवनाथसिंह

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीमानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मंत्री ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज ७

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, क्लॉज ७ में मेरा अमेंडमेंट है और वह यह है कि पहला प्रोविजो एड किया जाय :

'Provided that, if he does not cultivate the land himself, he shall lose the right of khatedari tenant for ever.'

जो आपका अमेंडमेंट है १६ (ए) "Provided that upon the estate holder becoming a khatedar tenant...';

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर मेरा प्रिलिमिनरी एतराज है और वह यह है, that this amendment is not within the scope of this Bill. Therefore, it should not be allowed to be moved.

टिनेन्सी में प्रोविजन है कि जागीरदार हैं, उनके रिजम्प्शन पर becomes a khatedari tenant.

जो खातेदार होगा और उसका जो टिनेन्ट होगा, तो नेचुअरली सब-टिनेन्ट होगा । ये प्रोविजो लाना चाहते हैं कि पर्सनल कल्टिवेशन होगा । That is against the spirit of the Tenancy Act and against the scope of this Bill. Therefore, this amendment should not be allowed to be moved.

श्री मूलचन्द डागा : अगर इस अमेन्डमेन्ट को लाने का यह पर्पज है, तो टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट की जो परिभाषा है, उसकी जरूरत पैदा नहीं होगी । जो टिनेन्सी एक्ट में डेफिनिशन दी है कि

'Tenant' shall mean the person by whom..."

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं, पर्सनल कल्टिवेशन के लिए यह प्रोविजन है and the tenant has been given the right to sub-let for a period of five years.

इसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते । यह बिल के स्कोप के बाहर है ।

श्री मूलचन्द डागा : सैक्शन १३ के अन्दर जहां खुदकाश्त का उल्लेख है, उसमें खातेदारी राइट्स मिल चुके । जो सब-टिनेन्ट हैं, जो काश्त करते हैं, वे सब-टिनेन्ट हो चुके, वैसी हालत में आपके इस अमेन्ड-

(श्री मूलचन्द डागा)

मेन्ट की जरूरत पेश नहीं आती ! आपने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है :

"Provided that upon the estate holder becoming a khatedar tenant of his khudkasht land under Section 13......'

सैक्शन १३ साफ कहता है कि जो खुद काश्त करने वाला है, वह खातेदार हो चुका। उसको खातेदारी के राइट मिल चुके। उसके नीचे जो कोई काश्त करता है, वह सब-टिनेन्ट हो चुका है। मैंने जो प्रोविजन रखा है, उसके अनुसार जिसने कल्टिवेशन नहीं किया, खातेदारी के अधिकारों से वंचित किया जाता है और खुद टिनेन्ट बन जाता है।

श्री सभापति : Any other member to enlighten with regard to this objection that has been taken by the Hon. ble Minister-in-charge ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो करेक्ट है।

श्री सभापति : Of course that is for me to decide. I will see to it. I am just looking to the rules and the amendment.

श्री श्रीभानसिंह : May I submit, Sir, that the Hon. Minister has raised an objection that this amendment is beyond the scope of the Bill; while I submit that it is not beyond the scope, because in the Tenancy Act there is no provision for a sub-tenant. The division of tenant is into Khatedar tenant and Gair Khatedar tenant. The Tenancy Act does not specifically provide for sub-tenancy; while here in this provision a specific provision has been made for sub-tenancy on khudkasht land, and the Hon'ble Member who has tabled the amendment says that there should be no sub-tenancy. That means that the Hon'ble Member does not want to create a sub-tenancy which is not there in the Tenancy Act. Hence it is within the scope of the Bill, as well as the Tenancy Act.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टिनेन्सी लॉ में कहीं भी सब-टिनेन्ट का जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल से ४१ सब क्लॉज, सैक्शन पांच है, (41) 'Sub-tenant' shall mean a person who holds land from the tenant thereof and by whom rent is, or but for a contract express or implied, would be payable."

ऐसी सूरत में सब-टिनेन्ट हर जगह मौजूद है, इजेक्टमेन्ट के वक्त पर खातेदारी राइट देने का सवाल वहां पर मौजूद है। Zagirdar Khatedar Tenant shall loose the right of khatedari tenant for ever; ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया जा सकता जो स्पिरिट ऑफ दी एक्ट के खिलाफ है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सवाल इसमें इतना ही था कि धारा १५३ में आपने खातेदारी के अधिकार दे दिए। आप खातेदारी के अधिकार दे देते हैं, पर अगर काश्त नहीं करता है तो उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं और सब-टिनेन्ट खातेदार बन जाता है।

श्री सभापति : वह तो ऑटोमेटिकली

(श्री सभापति)

हो जायगा । That way, this amendment is redundent.

श्री मूलचन्द डागा : तब आपका अमेंडमेंट किसी काम का नहीं। सैक्शन १३ के अन्दर जागीर रिजम्प्शन के बाद १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले जिनका अधिकार है वे वे अपने आप खातेदार बन जाते हैं । उनके खातेदार बनने के बाद जो टिनेन्ट है, वह सब-टिनेन्ट बन जाता है इस एक्ट के द्वारा। वैसी हालत में आपको अमेंडमेंट लाने का सवाल पैदा नहीं होता।

'Sub-Tenant' shall mean a person, who holds land from the tenant thereof and by whom rent is or, but for a contract express or implied, would be payable."

और जब आप कहते हैं कि सैक्शन १३ के अन्दर वह टिनेन्ट बन जाते है और सैक्शन १३ में पावर दे देते हैं :

"On the resumption of a jagir under the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952. the Jagirdar holding Khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof and he shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all liabilties imposed on a Khatedar tenant."

सैक्शन १३ के अन्तर्गत वे खातेदार बन चुके; जो काश्तकार आपके एक्ट के द्वारा सब-टिनेन्ट बन चुके, वैसी हालत में आपका यह अमेंडमेंट किसी काम का नहीं । अगर खातेदार काश्त नहीं करता है, वैसी हालत में वह खातेदार नहीं रहता, टिनेन्ट जो रहता है वह खातेदार बन जाता है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, अभी जिस प्रश्न पर बहस चल रही है; उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि जो क्लॉज ७ का १६ ए है : "Every person to whom at the commencement of this Act or at any time thereafter, khudkasht has been or is let out lawfully by a jagirdar, shall be the tenant of such Khudkashat."

और इसके साथ में दफा १३ में एक एस्टेट होल्डर को रिजम्प्शन के बाद खातेदारी राइट्स एक्रू हो जाते हैं । इस अमेंडमेंट की मंशा यह है कि जो टिनेन्ट है, वह सब-टिनेन्ट हो जायगा । उस सब-टिनेन्ट की क्या हैसियत रहेगी, इसका इस क्लॉज से संबंध नहीं है । पर्सनल कल्टिवेशन अलग है और जो अमेंडमेंट देना चाहते हैं, उसके अनुसार अगर पर्सनल कल्टिवेशन नहीं है तो उसके हमेशा के लिए खातेदारी हक चले जायेंगे । जो क्लॉज में रद्दोबदल कर रहे हैं, वह इस पर्व्यु' में नहीं आता । इनके अमेंडमेंट से पर्सनल कल्टीवेशन पर असर आ सकता है । और सब-टिनेन्ट संबंधी जो क्लॉज है उसमें अमेंडमेंट आ सकता है । मन्शा स्पष्ट है कि उस समय जो टिनेन्ट काश्त कर रहा है वह सब-टिनेन्ट हो जायगा । अगर पर्सनल कल्टिवेशन नहीं करता है तो उसको जमीन नहीं मिलती है । इसलिए इस क्लॉज में अमेंडमेंट फिट नहीं होता ।

श्री सभापति : What about Hon. Shri Moolchand Daga ? Do you press your amendment ? Before I give my observations and ruling...

(To Shri Anoop Singh who rise to speak) You did not move your amendment, when you were called upon to move it.

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसको विड्रॉ करने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस क्लॉज में जो अमेंडमेंट श्री मूलचन्द डागा ने रखा है, उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन विड्रा करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक का अंग बना।

४.३९ म० प०

श्री उपाध्यक्ष के मत-विभाजन में भाग लेने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, चूंकि समय भी समाप्त होने वाला है, मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। अभी जिस समय क्लॉज़ ६ के बारे में डिविज़न हुआ उसमें उपाध्यक्ष महोदय ने भी अपना मत रेकॉर्ड करवाया। सभापति महोदय, जिस समय अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय सदन में उपस्थित नहीं होते उस समय पैनल ऑफ दी चेयरमैन में से कोई एक सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होते हैं, लेकिन ज्यों ही अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय सदन में आवें उस समय पैनल ऑफ दी चेयरमैन में से कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर नहीं रहने चाहियें और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को आसीन होना चाहिए।

लेकिन अभी जो मतदान हुआ, उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, जो उस समय हाउस में नहीं थे, लॉबी में गये और उन्होंने इसमें अपना मतदान किया। लॉबी वैसे इस सदन का पार्ट नहीं है, लेकिन जिस समय वोट होता है, मत रेकॉर्ड किये जाते हैं, उस समय लॉबी इस हाउस का इस प्रकार का पार्ट है कि जिसे इस चेम्बर से बाहर नहीं गिन सकते। इस चेम्बर की कार्यवाही पर जब वहां वोट हो रहे हों तो वह बिल्कुल इस चेम्बर से लगा हुआ पार्ट है। ऐसी स्थिति है, जो चीज़ यहां होती है वही बात लॉबी में भी मानी जावे तो अन्तर नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब उपाध्यक्ष लॉबी में थे तो ऐसा माना जाना चाहिए कि वे यहां सदन में थे और परिणाम स्वरूप उनका वोट नहीं होना चाहिये था। उनको सभापति से उस वक्त स्थान ग्रहण करके, अध्यक्ष पद पर आसीन होकर सदन की सारी कार्यवाही का संचालन स्वयं को करना चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा न करके वहां जाकर मतदान दिया और अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर जाकर अपना पद ग्रहण नहीं किया।

ऐसी स्थिति में उनका जो मत हो, या तो उस मत को रेकॉर्ड न किया जावे और इस तरह की व्यवस्था की जावे कि जिस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के किसी भी पार्ट में प्रवेश करें, तोपहला काम उनका उस समय कार्य-संचालन करने वाले सभापति के पैनल वाले व्यक्ति से अपने पद को ग्रहण करने का हो और बाद में सदन की कार्यवाही को संचालन करने का हो, वोट रेकॉर्ड कराने के बजाय मत दिया ही न जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है, वास्तव में वह विचारणीय है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जिस वक्त वोट रेकॉर्ड का नतीजा डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त इस इश्यू को लिया जाना चाहिये था, Now this is too late. उनका ऑब्जेक्शन है उसे रेकॉर्ड कर लिया जावे । पर बिल को रोकने की आवश्यकता नहीं है । आप अपना मत दे दें । इसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जावे । The Bill must go on as it is.

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आप बैठिये । So far as the question raised by Hon. Minister is concerned, I think it is within the competence of the House to raise any point of order even after division is passed. So far as the point of order raised by Shri Bhairon Singh is concerned, I defer my decision for tomorrow.

We carry on the debate.

श्री भैरोंसिंह : On another point of information. Sir, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो आपना व्यू पोइन्ट रखा, उसमें कहते कहते यह भी कह गये कि यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इस गरज से उठाया गया है कि बिल में रुकावट पैदा की जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ऐसा नहीं कहा था । मैंने यह कहा था कि इसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्ट न किया जावे । इसकी व्यवस्था आप दे दीजियेगा, पर इसको चालू रखा जावे ।

१२-४२ म० प०

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८

(पुन: खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री सभापति : Clause 8, Shri Moolchand Daga to move his amendment.

श्री मूलचन्द डागा : मेरा संशोधन इस प्रकार है : "Between the words 'any person' and 'in accordance with' the following be inserted : 'Other than the members of a Scheduled caste or scheduled tribe' सैक्शन १०० और १०१ के अन्दर राजस्थान टिनेन्सी और रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत जमीन अलॉट की जाती है । सैक्शन १०० के अन्तर्गत जमीन कॉमर्शियल और इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये देने का प्रोविज़न है । सैक्शन १०१ के अन्दर जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं या जो दूसरी जातियों के लोग हैं, उनको देने के लिए रूल्स बनाये गये हैं ।

लेकिन सैक्शन ३४ में जो प्रीमियम का सवाल है........

"Subject to any other provisions of this Act, no land-holder shall accept a premium for the grant of a lease or make a tenant liable to render any service to the land-holder whether for wages or otherwise and any such condition shall be void, notwithstanding any law or custom to the contrary." आपने इसमें भूमिहीनों को तथा और और जातियों के लोगों को जमीन अलॉट करने पर इससे मुक्त रक्खा है । आपने सैक्शन १०० और १०१ के अन्तर्गत कुछ रूल्स बनाये हैं । आपने आज जो उनमें अमेंडमेंट पेश किया और स्पेसिफिक्ली १०० और १०१

(श्री मूलचन्द डागा)

को मेन्शन किया कि उनसे बार नहीं है, तो मैंने यह एक्सेप्शन रक्खा है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनसे या जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनसे किसी भी प्रकार का प्रीमियम या किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं ली जावे।

यह मेरा संशोधन है :—

"Other than members of the scheduled castes and scheduled tribes" क्योंकि हम लोगों ने एक उसूल बनाया है कि जो लोग पिछड़ी जाति के हैं, उनको ऊपर उठाना है और उनकी आर्थिक हालत सुधारनी है। तो ऐसी सूरत में मैंने यह प्रोविज़न रखा है कि उनसे कुछ नहीं लिया जावे। यह मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : Hon'ble Shri Damodar Lal Vyas.

(श्री गिरधारीलाल के खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, I have been called upon by the Chair to speak.

श्री सभापति : I mean the Hon'ble Members should be alert. The moment the mover sits down, they should stand in support of it.

श्री भैरोंसिंह : But he did not catch the eye.

श्री सभापति : When the Honb'le Member did not catch my eye, the Hon. Revenue Minister will carry on.

श्री दामोदरलाल व्यास : Just after he sat down, I was called by the Hon'ble Chairman to speak.

इस अमेंडमेंट का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लिये उन्होंने कहा कि उनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाय। तो ऑर्डिनरी लैंड के लिये कोई बन्धन उन पर नहीं है। पर यह कैनाल एरिया है। इसमें वह काफी सहूलियतें प्राप्त करेगा। तो ऐसी सूरत में उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जावे, यह प्रिन्सिपल मेरी समझ में नहीं आ सकता, जब इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये सैक्शन १०० है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वे इन्डस्ट्री खोल सकते हैं, उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्डस्ट्री के लिये पैसा चाहिये, वह खोल सकते हैं, तो प्रीमियम का पैसा भी वे दे सकते हैं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसको स्वीकार करना योग्य नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि........

सचिव, विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : विड्रा करना है उनको।

श्री सभापति : It is for him to stand again.

श्री मूलचन्द डागा : सैक्सन ३४ जो है, उनके अन्तर्गत जो प्रीमियम नहीं लेने का, बेगार नहीं लेने का प्रोविज़न रखा है और आप इस अमेन्डमेन्ट द्वारा यह बात खोलते हैं कि पिछड़ी जातियों द्वारा प्रीमियम या और प्रकार मे नजराना या और प्रकार से पैसा ले सकते हैं। तो १०० और १०१ के अन्दर जो आपने रूल्स बना रखे हैं अलॉटमेन्ट के, और आप कहते हैं कि हम उनको फ्री जमीन देते हैं, तो यह मंत्री महोदय ने बताने की कोशिश नहीं की कि किस कारण से वे चाहते हैं कि शिड्यूल्ड

(श्री मूलचन्द डागा)

कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं रखा जाये। क्योंकि इन्डस्ट्रिज़ बनाने के लिये छोटे कारखाने खोलना चाहते हैं और फिर थोड़ी सी जमीन के लिए चाहते हैं और १०० और १०१ के अन्दर चाहते हैं कि उन लोगों को जमीन मुफ्त में दे दी जाये, तो यह सवाल पैदा नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ कि जो अमेन्डमेन्ट मैंने रखा है, उसे माना जाये और फिर भी मंत्रीजी की अगर इच्छा नहीं है, तो फिर मैं उसे वापिस ले लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है, उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये !

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन वापस लेता हूँ।

(विराम)

श्री सभापति

क्लाजेज़ ८ व ६

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ और ६ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ व ६ विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

क्लॉज़ १०, श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, क्लॉज़ १० जो है, वह सैक्शन ५५ से सम्बन्धित है। सैक्शन ५५ में सरेन्डर का प्रोविज़न दे रखा है और जो ओरिजनल सैक्शन है, वह यह है :

"A tenant other than a tenant bound by lease or other agreement to continue to occupy his holding in the following year may on or before the 1st may surrender his holding by giving up possession thereof in writing attested by the Sarpanch of the Gram Panchayat of the circle or by the headman of the village, where there is no Gram Panchayat, or by the Chairman of a Municipal Board...तो जो अमेन्डमेन्ट अब मूव किया गया है उसमें यह जो Headman of the village, where there is no Gram Panchayat or by the Chairman of a Municipal Baord...इन वर्ड्स को ओमिट करने की मंशा है। तो जो अमेन्डमेंट मूव किया गया है, उससे मैं यह समझ पाया हूं कि जो सरेण्डर का प्रोविजन है, उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाये। क्योंकि आजकल जमीन की बहुत कीमत हो गई है और हो सकता है खातेदार टिनेन्ट सरेण्डर का बहाना लेकर सब-टिनेन्टस् को इजेक्ट कर सकता है। तो पहले जो प्रोविजन था, वह बहुत ईजी था और वह था कि हैड़मैन से अटेस्टेड करवा कर हक लिया जा सकता है। इस प्रोविजन को जो स्ट्रिक्ट किया गया है, उसमें मेरे अमेन्डमेन्ट करने की मंशा यह है कि इसको और भी स्ट्रिक्ट किया जाये। जो मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है, वह इस तरह से होगा। जो वर्डस् हैं.... by the headman of the village, where there is no Gram Panchayat...इनके स्थान पर ये वर्ड्स् हो जायें 'by a registered document इससे यह साफ होगा कि जो सरेण्डर करने के डाक्युमेंटस् ईजिली तैयार किये जाते हैं, तैयार नहीं हो सकेंगे और उससे बहुत फायदा होगा और सरेण्डर के डॉक्युमेंटस् इतनी ईजिली फर्जी

(श्री शिवनाथसिंह)

नहीं बनाये जा सकते हैं, इसलिए इसको मंजूर कर लिया जाये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर)

माननीय सभापति महोदय मैंने क्लॉज १० में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं । एक तो यह हैं:

(1) After the words 'by the' in the fifth line. the words 'Tehsilder having juri sdiction, be substituted for the words 'Sarpanch............... having jurisdiction'

(2) The words 'and shall be deemed always to have been substituted' be added at the end.

दूसरा इस प्रकार है : The following new sub-section (3) shall be added to section 55 -

(3) 'Any tenant who has surrendered his holding 'otherwise than in the manner laid down in sub section (1) may within three years from the date of the commencement of this Act and on payment of a court fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for the restoration of his holding so surrendered.'

माननीय सभापति महोदय, अगर इस सारे बिल के अन्दर सबसे,अधिक यदि कोई इम्पोटेंट चीज है तो वह बस यही है और जैसा कि मैं ने प्रथम रीडिंग के समय निवेदन किया था कि सरेण्डर ज्यादातर फिक्टिशियस होते हैं और वह एक तरह से इजेक्टमेन्ट ही होता है और सरेण्डर की शरण लेकर लैण्ड होल्डर्स सब टिनेन्ट्स को बेदखल कर देते हैं । इसलिए प्लानिंग कमीशन ने काफी जोर दिया है कि सरेन्डर पर जितनी रेस्ट्रिक्शन हो उतना ही अच्छा है और मुझे खुशी है कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया कि सरेन्डर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इजेक्टमेन्ट का आभास न हो । इसमें जो पहले का प्रोविजन था उसमें अटस्टेशन विलेज हैडमैन भी कर सकता था और सरपंच भी कर सकता था और म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी कर सकता था । लेकिन इसमें विलेज हैडमैन को हटाने का प्रावधान रखा है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की आज पंचायतों का निर्माण हो रहा है और जिस प्रकार की पंचायतें आज हमारे यहां राजस्थान में चल रही हैं, जिस तरह के उनके पंच और सरपंच हमारे सामने आ रहे हैं, उन में गरीब तबके के लोग कम हैं और जो वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले हैं और जिनमें लैण्ड होल्डर्स ज्यादा हैं,वे अधिक हैं । ऐसी सूरत में गरीबों को राहत नही मिल पायेगी और सरेण्डर बिल्कुल फिक्टिशियस हो जाता है । इसलिए प्लानिग कमीशन का कहना कि अटेस्टेशन के लिए कोई न कोई रेवेन्यु ऑथोरिटी का आदमी होना जरूरी है, इसमें तो तहसीलदार के द्वारा ही अटेस्टेड हो जाये तो अच्छा है ।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट भी बहुत इम्पोर्टेन्ट है । अगर देखा जाये पिछला इतिहास, तो प्रतीत होगा कि कई लोगों ने गरीब काश्तकारों को बेदखल कर दिया,इसलिए यह अमेंडमेन्ट बहुत जरूरी है । टिनेन्सी एक्ट के अन्दर भी इसका प्रोविजन नहीं है,इसलिए एक सबक्लॉज़ और ऐड करने के लिए रखा है । अगर बिना तहसीलदार के अटेस्टेशन के ही सरेण्डर कर देते हैं, तो उनको अधिकार दिया है कि वे तीन वर्ष के अन्दर २५ नये पैसे की कोर्ट फी की दर्ख्वास्त कर सकते हैं और जो

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कब्जा जमीन का दे दिया गया है वह वापिस ले सकता है। मुझे आशा है कि श्रीमाधोपुर आने वाले माननीय सदस्य भी मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, क्लॉज़ १० में मैंने अमेन्डमेन्ट सीक किया है :

For the words 'accompanied with a writing attested by a Sarpanch of the Gram Panchayat or where there is no Gram Panchayat by the Sar. panch of the Tehsil Panchayat having jurisdiction,' Substitute the words' 'accompanied with a writing attested by two literate witnesses and verified by the tehsildar having jurisdiction.'' तो सभापति महोदय, यहां पंचायतों की काफी तारीफ हो चुकी है कि पंचायतें किस प्रकार का काम करती हैं। सरपंच और उपसरपंच और हैडमैन ये सारे के सारे सरेण्डर के मामलों में जिस प्रकार से काम करते हैं और जिस प्रकार से इन मामलों में उन्होंने मदद दी है, सब जानते हैं। कई गांवों में और कई जगह पंचायतों में यह होता है कि वहां के सरपंच और दूसरे लोग उन छोटी जातियों के लोगों को जमीन के छुड़ाने के मामले में दस्तखत कराते हैं। क्योंकि गांवों में आसानी से कचहरी में आकर ये लोग बयान दे देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि गांवों में जगह जगह पार्टीबाजी बढ़ी है। हम मानते हैं कि पंचायतों का जो सरपंच होता है, उसकी स्थिति भी पार्टी पर निर्भर रहती है, क्योंकि जहाँ चुनावों की दौड़ चलती है, उस चुनाव की दौड़ के अन्दर जो सरपंच या पंच होते हैं उनको भी अपनी पार्टी बनानी पड़ती है और उनके पार्टीबन्दी के शिकार होने के कारण हम अटेस्टेशन के मामले में उन पर रिलायेन्स नहीं कर सकते और रिलायेन्स करना भी नहीं चाहिये। इसी कारण मैंने यह लिखा है कि 'accompanied with a writing attested by two literate witnesses......'

श्री पी० के० चौधरी : The time is up, Sir.

श्री सभापति : I am looking to it. सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे दिनांक २१ नवम्बर, १६५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, २० नवम्बर, १९५८)

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३१३८

ऑप्टिकल स्क्वायर्स का क्रय

सांचोर पशु मेले पर गैर-वाजिब खर्च की जाँच ।

अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट विस्फोट ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का ऑडिट ।

ग्राम विकास केन्द्र केकड़ी की जीप द्वारा दुर्घटना ।

मतदाता सूचियों की छपाई ।

पिस्तोल व रिवाल्वरों के लाइसेन्स ।

चर्मकार सहकारी समिति ।

जिला बोर्ड की ओर से ग्राम-पंचायतों को आर्थिक सहायता ।

अनाज की किसानों से खरीद व निर्यात ।

फोरेस्टरों को टी० ए० व डी० ए० ।

राजस्थान फूडग्रेन लाइसेन्सिंग ऑर्डर का लागू होना ।

सीतोड़ व पिपलाई के नालों पर पुल का निर्माण ।

ग्राम मंडावरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय ।

राजस्थान रेडियो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन ।

स्तम्भ

सिकराय तहसील में दवा का कोटा ।

जलवाड़ा रेन्ज में घास की कटाई ।

भीनमाल आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्य ।

समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन ।

जालोर जिले की चालू तहसील पंचायत ।

झालावाड़ जिले में सड़क निर्माण ।

उम्मेद मिल के मजदूर श्री दाऊलाल की शिकायत ।

आहू नदी पर पुल निर्माण ।

विक्रय हेतु पशु ।

'नवजीवन' पत्र को विज्ञापन का पेमेन्ट ।

नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के हरिजनों की तनख्वाह ।

अन्ता के मोटर स्टैन्ड के पास की जमीन होटल वाले द्वारा दबा लेना ।

जनाना अस्पताल, जयपुर में इन्क्वायरी ऑफिस ।

जिला बोर्ड जयपुर के अध्यापक ।

आदिवासी सहकारी समितियों को कूपों का ठेका ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

राजकीय टी० बी० अस्पताल में खुराक का स्तर।

सदन से अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :

(१) श्री हीराभाई

दि० १७-११-५८ से ३०-११-५८

(२) श्री रामेश्वरदयाल

दि० २०-११-५८ से २७-११-५८

(३) श्री शंकरलाल

दि० १७-११-५८ से २३-११-५८

(४) श्री रामप्रसाद लड्ढा

दि० १७-११-५८ से २२-११-५८

स्थगन प्रस्ताव

नाथद्वारा के महन्तश्री के पास से पुलिस द्वारा लिये गये जेवरात सम्बन्धी : ३२०१

नाथद्वारा के महन्त श्री के पास से पुलिस द्वारा पकड़े गये जेवरात आदि से सम्बन्धित डॉ० चन्द्रकला के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी।

विधायी कार्य

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८ ३२०३

(खण्डश: विचार विमर्श)

उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर-समिति के सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन श्री अनूपसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्ड २, ३, ४, ५, ७, ८ व ९ बिना संशोधन के स्वीकृत हुए तथा खण्ड ६ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

शुक्रवार, दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ की कार्य सूची

३२०१ (१) राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान भू-धारण (पंचम संशोधन) विधेयक, १९५८ (प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६३७ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम मुद्रण केन्द्र	नाम विधान सभा	मुद्रणालय का नाम जिसे छापने को दी	विवरण
१	२	३	४	५
१.	चूरू	चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ डूंगरगढ़, सरदारशहर	श्री कृष्ण प्रिंटिंग प्रेस, चूरू	
२.	झालावाड़	डग, झालरापाटन, अकलेरा	नवयुग प्रेस, भवानी मंडी	
३.	उदयपुर	कुम्भलगढ़	सरस्वती प्रेस, उदयपुर	
		गोगुंडा	उदयपुर प्रिंटिंग प्रेस	
		सलूम्बर, फलासिया	महावीर प्रेस, उदयपुर	
		सराड़ा	कल्याण प्रिंटिंग प्रेस, कांकरोली	
		उदयपुर, राजसमन्द	मारवाड़ लॉ वीकली प्रेस, कांकरोली	
		नाथद्वारा	महेश प्रिंटिंग प्रेस, नाथद्वारा	
४.	भरतपुर	कामा, डीग, वेर, भरतपुर, बयाना, धोलपुर, राजाखेड़ा	मित्र मंडल प्रेस, भरतपुर	
५.	अलवर	वल्लभ नगर	शर्मा ब्रदर्स एलेक्ट्रिक प्रेस अलवर	
		भीम	अरावली प्रेस, अलवर	
		मावली	भारत प्रेस, अलवर	
		नीमकाथाना	सर्वोदय प्रेस, अलवर	
		अलवर	महावर प्रेस, अलवर	
		तिजारा	स्वतंत्र प्रेस, अलवर	
		फतेहपुर	अलवर प्रेस, अलवर	
		दांता रामगढ़	राजपूताना प्रेस, अलवर	
		श्रीमाधोपुर	लक्ष्मी प्रेस, अलवर	
		रामगढ़, लछमनगढ़	जगदीश प्रिंटर्स, अलवर	
		बानसूर	राजस्थान प्रेस, अलवर	
		सीकर	सुदर्शन प्रेस, अलवर	
		बहरोड़	जगदीश प्रेस, अलवर	
		लछमनगढ़, सीकर	सुशील प्रेस, अलवर	

१	२	३	४	५
६.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर,		
		गंगापुर	आदर्श प्रेस, हिन्डोन	
		करोली	हिन्डोन प्रेस, हिन्डोन	
		महुवा	शर्मा प्रेस, गंगापुर	
७.	अजमेर	अजमेर सिटी ईस्ट	आदर्श प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर	
		अजमेर सिटी वेस्ट	लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर	
		नसीराबाद	नेशनल प्रेस, अजमेर	
		किशनगढ़	कमल प्रिंटर्स, किशनगढ़	
		केकड़ी	आदित्य मुद्रणालय, अजमेर	
		ब्यावर, मसूदा	मनोहर प्रिंटिंग प्रेस, ब्यावर	ब्यावर
८.	जोधपुर	ओसियां, गुढ़ा, मलानी	विष्णु प्रेस, जोधपुर	
		फलोदी पार्ट १	नेशनल प्रिंटर्स, जोधपुर	
		जालोर, सांचोर		
		लुणी, मेड़ता, डेगाना	नवयुग प्रेस, जोधपुर	
		सिरोही पार्ट १,	वीना प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर	
		लाडनू		
		फलोदी भाग २, आहोर		
		रानीवाड़ा	चौपड़ा प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर	
		सिरोही भाग २,		
		चौहटन, नावां, डीडवाना	प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर	
		जोधपुर सिटी १	महावीर प्रेस, जोधपुर	
		जोधपुर सिटी २	गोविन्द प्रेस, जोधपुर	
		आबू	कमल प्रेस, जोधपुर	
		बिलाडा	सज्जन प्रेस, जोधपुर	
		बालोतरा	जैन प्रेस, बिलाड़ा	
		नागौर, जैथल	नेशनल प्रिंटिंग और पब्लिसिंग प्रेस, जोधपुर	
		जैसलमेर	प्रेरणा प्रकाशन प्रेस,जोधपुर	
		बाड़मेर	चोपड़ा प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर	
६.	पाली	रायपुर, सोजत, खारची	वीर प्रिंटिंग प्रेस, पाली	
		पाली		
		बाली	लोकहित प्रिंटिंग प्रेस, रानी	

१	२	३	४
१०.	कोटा	छबड़ा, पीपलदा, कोटा	नवयुग प्रेस, कोटा
		बारां	आदर्श प्रेस, कोटा
११.	गंगानगर	रायसिंहनगर	जनता प्रेस, गंगानगर
		करणपुर	तिलक प्रेस, गंगानगर
		गंगानगर	कृष्ण प्रेस, गंगानगर
		सूरतगढ़, हनुमानगढ़	शंकर प्रेस, गंगानगर
		नोहर, नोखा पार्ट	गणेश प्रेस, गंगानगर
१२.	बीकानेर	बीकानेर सिटी, लूणकरनसर नोखा पार्ट	गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बीकानेर
१३.	जयपुर	आमेर	मनोरंजन प्रेस, जयपुर
		टोंक	हरिमोहन इलेक्ट्रिक प्रेस, जयपुर
		फुलेरा	मधु प्रिंटर्स, जयपुर
		बैराठ	सर्वोदय प्रेस, जयपुर
		कोटपुतली	अजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर
		लालसोट	डायमंड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		बांदीकुई	राजस्थान इलेक्ट्रिक प्रेस, जयपुर
		दौसा	विजय आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		जम्बारामगढ़	जयपुर इलेक्ट्रिक प्रेस, जयपुर
		दूदू	किशन प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर, शाहपुरा	अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		हवामहल	महामाया प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		किशनपोल	हंस प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		खेतड़ी सागवाड़ा,	महालक्ष्मी प्रेस, जयपुर
		चित्तौड़गढ़	आधुनिक प्रेस, जयपुर
		बूंदी, हिंडोली	दादू सेवक प्रेस, जयपुर
		मालपुरा	फ्रेन्ड प्रिंटर्स, जयपुर
		बनेरा	हनुमान प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर

२	२	३	४
		आसपुर, डूंगरपुर	लोक सत्ता प्रेस, जयपुर
		नवलगढ़	लक्ष्मीराम प्रेस, जयपुर
		पिलानी	नवभारत प्रेस, जयपुर
		गुढ़ा	राष्ट्रीय प्रेस, जयपुर
		मांडल	श्रमिक प्रेस, जयपुर
		उनियारा	भगवती इलेक्ट्रिक प्रेस, जयपुर
		कपासन	अधिकार प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		झुंझुनू	भगवान प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		घाटोल, कुशलगढ़, बागीडोरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़	जिनवाणी प्रेस, जयपुर
		बेंगू	ज्योति प्रिंटर्स, जयपुर
		आसीन्द	खण्डेलवाल प्रिंटर्स, जयपुर
		मांडलगढ़	महावीर प्रेस, जयपुर
		निम्बाहेड़ा	नवल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
		जौहरी बाजार	आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४५ का उत्तर देखिये)

List of persons who have been refused licenses under the Rajasthan Food Grains-dealers Licensing Order, 1956.

Sl. No.	Distt.	Name of persons who have been refused	Address.
1.	Ajmer.	M/s. Jeth Mal Shri Kishan.	Dhan Mandi, Ajmer
2.	Alwar.	M/s. Shri Niwas & Co., Shri Ram Kumar Tara Chand	Ledai Ganj, Alwar
3.	Bharatpur.	M/s. Bani Lal Jaggan Pd. M/s. Ram Narain Mitthan Lal. M/s. Murlidhar Mahendra Kumar. „ Bhik Chand Mitthan Lal. „ Nathi Lal Pyare Lal. „ Hukam Chand Babu Lal. „ Parou Ram Narain Das. „ Choti Ram Chotey Lal. „ Ram Narain Motoliram. „ Parna Lal Bhagwan Das. „ Mool Chand Kundan Lal. „ Moti Lal Prabhu Lal. „ Shyam Sunder Madan Mohan. „ Mangal Ram Shivcharan Lal „ Bhagwan Singh Pyare Lal. „ Badri Pd. Ram Swaroop. „ Bisamber Dayal Dau Dayal. „ Ganesh Lal Prabhu Lal. „ Bhagwati Prashad Nathi Lal.	Bharatpur Tehsil.
4.	Sri Ganga-nagar.	M/s. Madan Chand Manak Chand. „ Gopal Chand Koshi Ram. „ Ramkishan das Bajrong Lal.	Sangaria.

1	2	3	4	5
		,,	Ruli Chand Raja Ram.	
		,,	Pooran Chand Pursram.	
		,,	Lachmi Chand Brij Mohan.	
		,,	Mahabir Mills.	Sangaria
		,,	Ram Kishan Das Roop Chand.	
		,,	Sahuti Ram Suraj Prakash.	
		,,	Pokar Mal Rajendra Pd.	
		,,	Jaggan Nath Brij Lal.	
		,,	Prasad Oil and Dal Mills.	Sadulshar.
		,,	Sunder Mal Johri Mal.	Dholipal.
		,,	Banthis Brothers & Co.	
		,,	Gopal Chand Krishna Bhagwan.	
		,,	Pryagchand Radha Kishan.	
		,,	Dhun Raj Santosh Chand.	
		,,	Mushadi Lal Ram Chand.	
		,,	Chand Mal Puran Mal.	
		,,	Chakraj Bhagirath.	
		,,	Kundan Lal Hohar Chand.	
		,,	Mohta Trading Co.	Hanumangarh.
		,,	Rajasthan Industrial Mills.	
		,,	Jot Ram Balu Ram.	
		,,	Kundan Lal Jaggan Nath.	
		,,	Gram Sewak Society.	
		,,	Ramdhan Das Madan Gopal.	
		,,	Mangal Chand Atma Ram.	
		,,	Shiv Lal Bhali Ram.	
		,,	Sita Ram Vinod Kumar.	
		,,	Lokpatri Shivdayal,	
		,,	Madan Chand Manak Chand.	
		,,	Pooran Chand Satya Narain.	
		,,	Dhan Raj Deo Kishan.	

1	2	3	4	
		,,	Naurang Lal Mahavir Pd.	Hanumangarh
5.	Kotah.	M/s.	Gondi Lal Ganesh Lal.	Dhan Mandi, Kota.
		,,	Jamna Lal Revti Raman.	Tehsil Chhabra.
		,,	Jamna Lal Gordhan Das.	Tehsil Itawa.
		Shri	Rasik Behari Lal.	

TOTAL :— 61 dealers.

List showing the number of Food Grain Dealers granted and refused in various Districts of Rajasthan.

Sl. No.	Name of District.	Foodgrain Licences GRANTED.	REFUSED.	Up to
1.	Ajmer.	68.	1.	27/10/58.
2.	Alwar.	274.	2.	8/11/58.
3.	Bharatpur.	77.	19.	8/11/58.
4.	Bikaner.	44.	—	14/11/58.
5.	Bundi.	7.	—	10/11/58.
6.	Banswara.	104.	—	28/10/58.
7.	Barmer.	1.	—	12/11/58.
8.	Bhilwara.	43	—	13/11/58.
9.	Churu.	3.	—	8/11/58.
10.	Chittorgarh.	40.	—	28/10/58.
11.	Doongarpur.	—	-	13/11/59.
12.	Sri Ganganagar.	282.	35.	5/11/58.
13.	Jaipur.	160.	—	1/11/58.
14.	Jodhpur.	—	—	15/11/58.
15.	Jalore.	6.	—	3/11/58.
16.	Jaisalmer.	3.	—	8/11/58.
17.	Jhalawar.	168.	—	29/10/58.
18.	Jhunjhunu	37.	—	6/11/58.
19.	Kotah.	256.	4.	8/11/58.
20.	Nagour.	31.	—	7/11/58.
21.	Pali.	No; licences have not been issued and refused.		
22.	Sikar.	21.	--	5/11/58.
23.	Sawai Madhopur.	Report not yet received.		
24.	Sirohi.	17.	—	4/11/58.
25.	Tonk.	76.	—	5/11/58.
26.	Udaipur.	13.	—	30/10/58.
	Total.	1,731.	61.	

STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF PERSONS FROM WHOM STOCKS OF WHEAT REQUISITIONED IN THE DISTRICTS OF BHARATPUR AND JAIPUR.

Sl. No.	Name of Person from whom stocks of wheat requisitioned.	Address	Quantity requisitioned.
1.	Bharatpur District :—		
	M/s. Ganga Dhar Kishori Lal.	Kaman.	225.
	,, Raghu Nath Prashad Chunni Lal.	,,	134.
	,, Gordhan Das Jamuna Prashad.	Deeg.	700.
	,, Ram Chand Gopal Das.	,,	500.
			1,559 mds.
2.	Jaipur District :—		
	M/s. Kanhaiya Lal Jai Nara....	Chand Pole Bazar,	362.
	,, Kesar Lal Chanda Lal.	Jaipur.	650.
	,, Raju Lal Fateh Lal.	,,	3,112-20 srs.
	,, Hanuman Bux Radey Shyam.	,,	200.
	,, Phool Chand Gulab Chand.	,,	772-20 srs.
	,, Omkar Mal Banshi Dhar.	,,	100.
	,, Banarsi Lal Babu Lal.	,,	285.
	,, Bansi Dhar Madan Lal.	,,	2:0.
	,, Ram Gopal Mali Lal.	,,	240.
	,, Het Chand Narain Das.	,,	:15.
	,, Durga Sahai Ghasi Lal.	,,	182-20 srs.
	,, Ram Kumar Suraj Bux.	,,	102-20 srs.
	,, Omkar Mal Radhey Shyam.	,,	90.
	,, Bhanwar Lal Birdhi Chand.	,,	230.
	,, Ganesh Lal Ghan Shyam Das.	,,	37-20 srs.
	,, Kalu Ram Govind Narain.	,,	30.
	,, Bhanwar Lal Hanuman Sahai.	,,	65.
	,, Ghasi Lal Moti Lal.	,,	55.
	,, Ram Gopal Ram Swaroop.	,,	112-20 srs.

1	2	3	4	5
	,,	Bhura Mal Laxmi Narain.	,,	75.
	,,	Hot Chand Pohu Mal.	,,	270.
	,,	Sagar Mal Kailash Chand.	,,	102-20 srs.
	,,	Badri Narain Madho Lal.	,,	92-29 srs.
				7,902 mds.
	,,	Bala Bux Ganga Sahai.	Ram Ganj Bazar,	303.
	,,	Banshi Dhar Ram Bilas.	Jaipur.	477-20 srs,
	,,	Jamna Lal Ram Chander.	,,	462-20 srs.
	,,	Gaindi Lal Ram Swaroop.	,,	280.
	,,	Naina Mal Sobha Mal.	,,	307-20 srs.
	,,	Chotey Lal Labra.	,,	12-20 srs.
	,,	Mool Chand Ram Swaroop.	,,	97-20 srs.
	,,	Ram Lal Radhey Mohan.	,,	325.
	,,	Banshi Dhar Ram Bilas.	,,	45.
	,,	Ganesh Narain Gagdish Narain.	,,	765.
	,,	Rameshwar Damodar Prashad.	,,	60.
	,,	Damodar Lal Gainda Lal.	,,	92-20 srs.
	,,	Bhagwan Sahai Radha Govind.	,,	32-20 srs.
	,,	Heera Lal Kalyan Sahai.	,,	97-20 srs.
				3,358 mds.
	,,	Ram Narain Suraj Mal.	Johri Bazar,	310.
	,,	Kalyan Mal Pooran Chand.	Jaipur.	45.
	,,	Shyam Lal Satya Narain.	,,	375.
	,,	Phool Chand Ram Gopal.	,,	72.
	,,	Hari Narain Kunj Lal.	,,	40.
	,,	Kundan Das Puran Das.	,,	27.
	,,	Lal Chand Laxmi Lal.	,,	517.
	,,	Govind Narain Chiranji Lal.	,,	72.
	,,	Narain Sahai Damodar Prashad.	,,	250.
	,,	Gapoo Lal Damodar Lal.	,,	177
	,,	Shiv Nath Kesri Mal.	,,	107.
	,,	Ram Kishore & Co.	,,	92.

1	2	3	4	5
	,,	Mitha Lal Hazari Lal.	Johari Bazar, Jaipur	42.
	,,	Ghisi Lal Hamesh Chandra.	,,	73.
	,,	Ridhi Chand Jaggan Nath.	,,	84.
	,,	Chiranji Lal.	,,	18.
	,,	Parma Lal Shyam.	,,	100.
				2401. mds.
			TOTAL :-	13,661 mds.
			Grand Total :-	15,220 mds.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६२ का उत्तर देखिये)

सूची नं० १

सूची अध्यापक गण जिनको १५मई, १६५८ से सेवा मुक्त किया गया।

क्र० स०	नाम
१	श्री छीतरमल
२	,, वासुदेव शर्मा
३	,, वंशीधर शर्मा
४	,, मुबारक अली
५	,, मातादीन
६	,, दामोदरप्रसाद शर्मा
७	,, पूर्णमल सेन
८	,, हनुमानसहाय शर्मा
६	,, राधेश्याम मुद्गल
१०	,, शिवदयाल शर्मा
११	,, कल्याणसहाय शर्मा
१२	,, लक्ष्मीनारायण
१३	,, बद्रीप्रसाद शर्मा
१४	,, सूर्यभानु शर्मा
१५	,, चिरंजीलाल शर्मा
१६	,, परसराम यादव
१७	,, मामचन्द्र अग्रवाल
१८	,, मुरारीलाल सोनी
१६	,, खुबरदयाल गुप्ता
२०	,, सोहनलाल हरिजन
२१	,, हरिपालसिंह मीणा
२२	,, रामजीलाल सैनी
२३	,, रणपत्तराम शर्मा
२४	,, नन्चू सिंह

२५ श्री उमराव प्रसाद सैनी
२६ ,, रामजीलाल गुप्ता
२७ ,, लक्ष्मीनारायण शर्मा
२८ ,, जगदीशनारायण शर्मा
२९ ,, मगनसिंह
३० सुश्री ललितादेवी
३१ ,, श्रवणकुमारी
३२ ,, महादेवी
३३ ,, मथुरालाल जांगीड
३४ ,, मुरारीलाल पाराशर
३५ ,, किशोरीलाल बारबर
३६ ,, रामेश्वरप्रसाद गुप्ता
३७ सुश्री कमलादेवी
३८ श्री बाबूचन्द जैन
३९ ,, रामस्वरूप शर्मा
४० ,, रामसहाय शर्मा
४१र ,, ामेश्वरदयाल
४२ ,, प्रभुदयाल शर्मा
४३ ,, रामकिशोर शर्मा
४४ ,, जगदीशप्रसाद अवस्थी
४५ ,, नाथूसिंह राजपूत
४६ ,, जगदीशप्रसाद
४७ ,, रामगोपाल शर्मा
४८ ,, विजयकुमार चतुर्वेदी
४९ ,, सूरजमल शर्मा
५० सुश्री सावित्रीदेवी जैन

सची नं० २

अध्यापकगण जिन्हें पुन : रखा गया।

क्र० सं० नाम

१ श्री रामगोपाल शर्मा
२१–८–५८

२ ,, हनुमानसहाय शर्मा
२१–८–५८

३ सुश्री ललितादेवी शर्मा
२–८–५८

४ श्री पूरण मल सेन
१७–७–५८

५ ,, दामोदरप्रसाद शर्मा
२–६–५८

६ ,, छीतरमल शर्मा
२०–८–५८

७ ,, गणपतराम शर्मा
२५–८–५८

८ ,, कल्याणसहाय शर्मा
१२–७–५८

६ ,, बद्रीप्रसाद शर्मा
१२–८–५८

१० ,, सूर्यभान शर्मा
१२–८–५८

११ ,, मातादीन गूजर
२१–८–५८

१२ ,, रघुवरदयाल गुप्ता
२३–८–५८

१३ ,, मामचन्द अग्रवाल
१०–७–५८

१४ ,, लक्ष्मीनारायण शर्मा
२३–८–५८

१५ श्री मुरारीलाल सोनी
२१-८-५८

१६ ,, हरिपालसिंह मीणा
२५-८-५८

१७ ,, सोहनलाल हरिजन
२१-८-५८

१८ ,, रामजीलाल सेनी
३०-८-५८

१६ ,, उमरावप्रसाद सेनी
३०-८-५८

२० ,, मगनसिंह
४-७-५८

२१ ,, जगदीशनारायण शर्मा
२३-८-५८

२२ ,, मुरारीलाल पाराशर
१४-७-५८

२३ सुश्री कमलादेवी शर्मा
५-७-५८

२४ ,, श्रवणकुमारी
२३-८-५८

२५ल ,, लक्ष्मीनारायण शर्मा
२२-८-५८

२६ ,, वासुदेव शर्मा
२३-८-५८

२७ ,, रामस्वरूप शर्मा
२८-८-५८

२८ ,, बाबूचन्द जैन
२१-८-५८

२६ ,, जगदीशप्रसाद अवस्थी
२१-८-५८

३० ,, नाथूसिंह राजपूत
१५-७-५६

३१ ,, जगदीशप्रसाद मिश्रा
२१-८-५८

३२ रामेश्वरदयाल शर्मा
२१–८–५८

३३ रामकिशोर
१२–७–५८

३४ विजयकुमार चतुर्वेदी
६–६–५८

३५ सूरजमल शर्मा
२१–८–५८

३६ सावित्रीदेवी जैन
३–७–५८

(कुछ अध्यापक गण जिनकी पुनः नियुक्ति नहीं की गई)

३७ वंशीधर शर्मा
१०–२–५८

३८ मुबारकअली
२७–१२–५७

३९ राधेश्याम मुद्गल
६–२–५८

४० चिरंजीलाल गुप्ता
८–१०–५८

४१ परसराम यादव
१७–१०–५७

४२ नन्चूसिंह
५–४–५८

४३ शिवदयाल शर्मा
७–४–५८

४४ प्रभुदयाल शर्मा
२८–३–५८

४५ रामजीलाल गुप्ता
२२–१–५८

४६ महादेवी
२५–१–५८

४७ मथुरालाल जांगीड़
३०–१–५८

४८ किशोरीलाल बारब्रर
१–२–५८

४६ रामेश्वरप्रसाद गुप्ता

सूची नं० ३

मार्च १६५८ से अब तक नियुक्त किए गये कर्मचारियों की वांछित सूची

क्र०सं०	नाम	ता० नियुक्ति	निवासस्थान
१	२	३	४
१.	श्री हमीदुद्दीन	१-४-५८	जयपुर
२.	,, दलीपसिंह	१-४-५८	खेतड़ी (जयपुर)
३.	,, भैरूलाल अग्रवाल	१-४-५८	बैराठ
४.	,, रूप नारायण राजोरिया	१७-४-५८	माधोराजपुरा (फागी)
५.	,, रामकिशोर पारीक	१-४-५८	अलवर
६.	,, रामेश्वर दयाल माथुर	४-६-५८	जयपुर
७.	,, गजानन्द सामावत	२२-५-५८	,,
८.	,, लादुलाल शर्मा	२६-७-५८	निवाई
९.	,, नन्दलाल शर्मा	१५-१०-५८	फागी
१०.	,, नारायण शर्मा	१-६-५८	जयपुर
११.	,, छीतरसिंह	२-५-५८	बैराठ
१२.	,, नरेशचन्द्र शर्मा	१८-६-५८	जयपुर
१३.	,, मुरारीलाल जैन	१६-५-५८	जयपुर
	स्वास्थ्य		
१४.	,, रामकरण त्रिवेदी	१३-५-५८	नायन तह० बैराठ
१५.	,, नन्दलाल शर्मा	१०-१०-५८	डिग्गी
१६.	,, भवानी शंकर	४-३-५८	लोरवाडा
१७.	,, कल्याण शर्मा	२१-६-५८	रूपाहेडी
	शिक्षा		
१८.	,, शिवदयाल शर्मा	७-४-५८	ज० रामगढ़
१९.	,, नन्चूसिंह	५-४-५८	क० पुरा खुर्द
२०.	,, प्रभुदयाल शर्मा	२८-३-५८	बांदीकुई
२१.	,, कपूरचन्द जैन	२८-८-५८	जयपुर
२२.	,, हनुमानसहाय शर्मा	२१-८-५८	निवारू

Page No.124

१	२	३	४
२३.	,, सीताराम शर्मा	२२-८-५८	फागी
२४.	,, ललितादेवी	२-८-५८	वाटिका
२५.	,, भगवतसिंह	१२-६-५८	बैराट
२६.	,, पूरणमल सैन	१७-७-५८	बैराठ
२७.	,, दामोदरप्रसाद शर्मा	२-६-५८	किशनपुरा
२८.	,, छीतरमल शर्मा	२०-८-५८	मालपुरा
२६.	,, गणपतराम शर्मा	२५-८-५८	चरतपुरा (अलवर)
३०.	,, कल्याणसहाय शर्मा	१२-७-५८	मानपुरा माचेड़ी
३१.	,, बद्रीप्रसाद शर्मा	२०-८-५८	भौंडाखेडा
३२.	,, सूर्यभान शर्मा	१२-८-५८	कोटपूतली
३३.	,, मातादीन गूजर	२१-८-५८	अमाई
३४.	,, रघुवरदयाल गुप्ता	२३-८-५८	कोटपुतली
३५.	,, मामचन्द अग्रवाल	१०-७-५८	,,
३६.	,, लक्ष्मीनारायण शर्मा	२३-८-५८	,,
३७.	,, मुरारीलाल सोनी	२१-८-५८	,,
३८.	,, हरिपालसिंह मीना	२५-८-५८	,,
३६.	,, सोहनलाल हरिजन	२१-८-५८	,,
४०.	,, रामजीलाल रैसैनी	३०-८-५८	,,
४१.	,, उमरावप्रसाद स्पौनी	३०-८-५८	,,
४२.	,, गोरधनलाल शर्मा	२८-८-५८	,,
४३.	,, मगनसिंह	४-७-५८	भंमोरिया
४४.	,, जगदीश नारायण	२३-८-५८	कलवाडा
४५.	,, रामगोपाल शर्मा	२१-८-५८	दौसा
४६.	,, नरसीलाल शर्मा	२४-७-५८	महेशरांकला दौसा
४७.	,, घनश्याम गौतम	२६-७-५८	महरिया
४८.	,, रामेश्वरप्रसाद	२०-८-५८	लालसोट
४६.	,, मुरारीलाल पाराशर	१४-७-५८	सराय, कोटपुतली
५०.	,, कमला देवी शर्मा	५-७-५८	सरवाडा विजयनगर

१	२	३	४
५१.	,, श्रवणकुमारी	२३–८–५८	गोविन्दगढ़ मलिकपुर
५२.	,, सीताराम वर्मा	२८–८–५८	डिग्गी हाउस, जयपुर
५३.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	२८–८–५८	मेरठ
५४.	,, लक्ष्मीनारायण शर्मा	२२–८–५८	सुकालपुरा
५५.	,, वासदेव शर्मा	२३–८–५८	माधोराजपुरा
५६.	,, रामस्वरूप शर्मा	२८–८–५८	डिग्गी,
५७.	,, राधामोहन शर्मा	१६–७–५८	जयपुर
५८.	,, बाबूचन्द जैन	२१–८–५८	चंदलाई
५६.	,, हनुमानसहाय	१२–७–५८	फागी
६०.	,, मोइनुद्दीन	१४–७–५८	दौसा
६१.	,, जगदीशप्रसाद अवस्थी	२१–८–५८	बांदीकुई
६२.	,, नाथूसिंह	१५–७–५८	भांटेडा बांदीकुई
६३.	,, जगदीशप्रसाद मिश्र	२१–८–५८	आभानेरी
६४.	,, रामेश्वरप्रसाद	२८–८–५८	जैतपुरा
६५.	,, जगदीशप्रसाद	२१–७–५८	बांदीकुई
६६.	,, रामेश्वरदयाल	२१–८–५८	केशापुरा
६७.	,, रामकिशोर	१२–७–५८	अरीजपुरा (बांदीकुई)
६८.	,,		
६६.	,, किशोरसिंह	२०–६–५८	बडियाल
७०.	,, सूरजमल शर्मा	२१–६–५८	गोंगदावाड़ी
७१.	,, सावित्रीदेवी जैन	३–७–५८	रिवाड़ी

परिशिष्ट ४

(प्रश्नकाल में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चौकड़ी तोपखाना देश, जयपुर में चोरी

६६४. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर सु०) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि तारीख २७-३-५८ को चौकड़ी तोपखाना देश, जयपुर में नार्मल स्कूल के पास मकानों में से दिन में खिड़की के लग्गे निकाल कर कुछ सामान चोर ले गये ?

(२) यदि हां, तो उस चोरी गए सामान के संबंध में कब व क्या जांच-पड़ताल की गई और जांच का क्या नतीजा निकाला ?

उत्तर

(१) जी हां, टोंक के श्री मथुरालाल हरिजन द्वारा अधिकृत मकान में चोरी हुई।

(२) प्रकरण धारा ४५४, ३८० ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत उसी दिन अंकित किया गया और अनुसंधान किया गया। प्रयत्नों के फलस्वरूप भी जब कोई पता नहीं लग सका तो दिनांक २१-४-५८ अदम पता में खतमी दे दी गई।

प्रश्न

जयपुर के मुख्य बाजारों में भारी गाड़ियों का यातायात

६६५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) :क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर के किन किन बाजारों की सड़कों पर भारी गाड़ियों का यातायात कब से बन्द किया गया ?

(२) क्या इसके बन्द होने से भारी गाड़ियां शहर के छोटे रास्ते में घूमने लग गईं ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि इन छोटे छोटे और सकड़े रास्तों में काफी असुविधा बढ़ गई है ?

(४) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए सरकार कब व क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जौहरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, रामगंज बाजार एवं सिरे ड्योढ़ी बाजार में निश्चित घण्टों में भारी गाडियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(२) जी हां, कुछ हद तक ।

(३) भारी गाड़ियों के गलियों में प्रवेश के कारण निस्संदेह जनता को कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है, किन्तु इन्तजाम ने दुर्घटनाओं की संख्या कम कर दी है ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता । क्योंकि गलियों में भारी गाड़ियों के प्रवेश से होने वाली कठिनाई शहर की चहार दीवारी में होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर देने की हद को देखते हुए उपेक्षणीय है ।

प्रश्न

अस्पतालों में बीमारों की संख्या

६६६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा, लालसोट, गंगापुर, वामनवास, सवाई माधोपुर के प्रत्येक अस्पताल में कितने कितने बीमार हर रोज इलाज करवाते हैं ?

(२) दौसा, गंगापुर, सवाई माधोपुर में कौन सी श्रेणी के अस्पताल हैं और लालसोट कौन सी श्रेणी में है ?

(३) लालसोट अस्पताल की मरीज संख्या बढ़ी हुई होते हुए भी उसको ए श्रेणी में क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तर

(१) इसका व्यौरा निम्नलिखित है :

	अन्त: रोगी	बाह्य रोगी	बैड्स
दौसा डि०	१.१५	१५७.८१	६
लालसोट डि०	.७२	१६२.५	४
गंगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	४	६०	६
वामनवास डि०	...	६१	नहीं
सवाई माधोपुर डि०	४	२०७	८

(२) दौसा व लालसोट द्वितीय श्रेणी की डिस्पेन्सरियां हैं, सवाई माधोपुर में प्रथम श्रेणी की डिस्पेन्सरी तथा गंगापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ।

(३) जिन डिस्पेन्सरियों में ७ तक रोग शैय्याएं हैं वे द्वितीय श्रेणी की डिस्पेन्सरियों में सम्मिलित की गई हैं। लालसोट डिस्पेन्सरी के लिए केवल ४ रोग शैय्याएं स्वीकृत हैं, अत: प्रथम श्रेणी में उन्नत करने का प्रश्न नहीं होता।

प्रश्न

भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार

६६७. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील अधिकारी तथा जिला स्तर के अधिकारी को अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के कोई अधिकार दिए गए हैं ?

(२) यदि हां, तो सन् १९५७-५८ में कितने तहसील अधिकारियों और कितने जिला स्तर के अधिकारियों ने अपने विभागों में भ्रष्टाचार के मामले पकड़े ?

(३) क्या ऐसे अधिकार पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं। भ्रष्टाचार के मामलात में कानूनी जांच के अधिकार इनमें निहित नहीं हैं।

(२) यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) केवल भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस को ही भ्रष्टाचार, रिश्वत, अपराध व दुराचरण आदि की शिकायतों पर कानूनन कार्यवाही करने का अधिकार है।

प्रश्न

कूपों में घास की कटाई पर व्यय

६६८. श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् ५४ से ५७ तक किशनगंज रेन्ज के कूप (Coup) नया गांव, जगदीशपुरा, हीरापुर नं० १ से १३ तक में वन विभाग हरी घास के बीड़ों की कटाई आदि में कितना खर्चा हुआ एवं बीड़ों के कटे हुए घास को बेचने पर सरकार को उसकी कितनी कीमत प्राप्त हुई ?

उत्तर

घास कटवाने पर कोई खर्चा नहीं हुआ बटाई पर कटवाया गया था। कटा हुआ घास नहीं बेचा गया। कीमत प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

आयुर्वेदिक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

६६९. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस समय आयुर्वेदिक विभाग में कौन कौन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने Home District से बाहर किस किस जिले में हैं तथा कब से ?

(२) इनका स्थानान्तरण Home District से बाहर किन कारणों से किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों ने अपने Home District या उसके पास के District में Transfer करने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिए हैं जो अस्वीकार कर दिये गये ? यदि हां, तो किन-किन के और क्यों ?

उत्तर

(१) क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एवं अपील रूल्स की धारा ४ के अनुसार अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार हैं। अत: संबंधित विषय में सभी कार्यालय अध्यक्षों से वांछित जानकारी चाही गई थी परन्तु अभी तक पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हुए। इसके आने पर प्रस्तुत की जायगी।

(२) कोई स्थानान्तरण संचालक आयुर्वेदिक विभाग से नहीं किए गए हैं।

(३) श्री छाजूलाल जो कि सिवाड़ी : डि० पाली : में तईनात हैं का प्रार्थना-पत्र होम-डिस्ट्रिक्ट को तबादले के लिए प्राप्त हुआ जिस पर संबंधित निरीक्षक को आदेश दिए जा चुके हैं कि स्थान रिक्त होने की दशा में इनका स्थानान्तरण कर दिया जावे।

प्रश्न

बांध कालाखो से सिंचाई

६७०. **श्री गज्या पटेल** (दौसा) : क्या आबपाशी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बांध कालाखो, तहसील दौसा से सम्वत् २०११ से अब तक वार्षिक कितनी भूमि सिंचित की गई एवं उससे कितनी आय सरकार को हुई ?

(ख) उस बांध पर सम्वत् २०११ से अब तक कितना वार्षिक व्यय हुआ ?

उत्तर

संवत्	वर्ष	भूमि जो सींची गई	आय
२०११	५४–५५	३२०	८८८
१०१२	५५–५६	५७४	४,२६३
२०१३	५६–५७	२०४	१,५१४
२०१४	५७–५८	१,०००	५,१६३

(ख) सालाना मरम्मत पर कोई खर्चा नहीं हुआ जबकि बांध बनाने में निम्न प्रकार खर्चा हुआ।

संवत्	वर्ष	वार्षिक व्यय रु० में
२०११	५४–५५	८६,४१४ : ००
२०१२	५५–५६	५८,०६८ : ००
२०१३	५६–५७	
२०१४	५७–५८	१८,९५६ : ००
	योग	१,६३,४३६ : ००

प्रश्न

वाटर वर्क्स विभाग के निलम्बित कर्मचारी

६७१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दिनांक १–१०–५८ को Water Works विभाग में कितने कर्मचारी ६ महीने से अधिक समय से निलम्बित किए हुए हैं ?

(२) क्या ऐसे कर्मचारियों को निलम्बित करने के लिए Prima Facie case बन गए थे ?

(३) ऐसे कर्मचारियों को किस किस तारीख से निलम्बित किया गया था और किस किस तारीख को इनको चार्जशीट दी गई ? किस किसको चार्जशीट के साथ Statement of lalegations दिया गया ?

(४) इनकी जांच किन किन अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है और इस जांच मे जो देरी हुई उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) दो।

(२) जी हां।

(३) निम्न कर्मचारियों को निम्न तिथि पर निलम्बित किया गया था

नाम		दिनांक
१. श्री कृष्णमोहन स्वरूप	निलम्बित	२३–३–५७
कनिष्ट लेखक	चार्जशीट	२०–८–५७
२. श्री फूलचन्द ओवरसियर	निलम्बित	१३–६–५७
	चार्जसीट	४–१०–५७

'स्टेटमेंट ऑफ एलीगेशन्स' नहीं दिया गया, क्योंकि उसका सारा विवरण चार्जशीट में ही दे दिया गया था। इसलिए इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं की गई। तत् पश्चात् उनके प्रार्थना करने पर स्टेटमेंट ऑफ एलीगेशन भी उनको दे दिया गया।

(४) इनकी जांच निम्न अधिकारियों द्वारा की जा रही है :

नाम	जांच अधिकारी
१. श्री कृष्णमोहन स्वरूप कनिष्ठ लेखक	अधिशासी अभियन्ता, जल विभाग, जोधपुर।
२. श्री फूलचंद ओवरसियर	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग, अलवर।

१. विलम्ब के कारण श्रीकृष्णमोहनस्वरूप को निलम्बित करने के पश्चात् चार्जशीट दी गई। उस विषय की जांच करवाई। रिपोर्ट आने पर उसका निरीक्षण करने उसे "श्यो काज" का नोटिस दिया। नोटिस प्राप्ति पर उसने लिखा कि उसे डिफन्स को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसलिए जांच अधिकारी को पुन: लिखा और उसने पुन: जांच की। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई। उसे श्यो काज नोटिस दिया गया। जवाब आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

२. श्री फूलचन्द ओवरसियर को दि. १३-६-५७ को निलम्बित किया गया। जांच अधिकारी के पास वे उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने जांच अधिकारी द्वारा नियुक्त करने के लिए इस विभाग को लिखा। जो अधिकारी परिवर्तन किया उसने स्टेटमेंट ऑफ एलीगेशन तथा कुछ सरकारी कागजों की प्रतिलिपियां थीं जो उसको दे दी गई। चार्जशीट का जवाब प्राप्त हो गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न

तहसील शेरगढ़ में पीने के पानी की कमी

६७२. श्री **सूरजमल** (फलौदी) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शेरगढ़ तहसील के ग्राम खीरजां फतेसिंह व खीरजां अवां व खीरजां भोजों व खीरजां खास व खीरजां तीवणां के आस पास को ढाणियों के लोगों को पीने के पानी की कमी है ?

(२) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त ग्रामों में कुआं नाड़ी खुदवाने के लिए सहायता दी गई ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(३) सरकार की ओर से उपरोक्त ग्रामों व ढाणियों के लोगों के जलकष्ट को दूर करने के लिए क्या योजना कार्यान्वित की जा रही है व वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) तहसील शेरगढ़ के ग्राम खीरजां के आस पास की ढाणियों में जल बोर्ड द्वारा सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ के द्वितीय वर्ष में निम्नानुसार सहायता दी गई :

(क) खीरिजां फतेसिंह १,०००) रु०

(ख) खिरजां मोटो १,०००) रु०

(ग) खिरजां खास २,०००) रु०

(घ) खिरजां तीवंण ६००) रु०

(३) उपरोक्त कार्य पूरे हो चुके हैं तथा उनके हिसाब भी आ चुके हैं।

भ्रष्टचारी सरकारी कर्मचारियों को सजा

६७३. **श्री धन्नालाल** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

गत वर्ष भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड द्वारा कितने भ्रष्टाचारी राज्य कर्मचारी पकड़े गये एवं उनमें से कितने व्यक्तियों को अदालतों द्वारा सजा दी गई? इनमें से कितने निर्दोष पाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सन् १९५७ में ४३ नॉन गजेटेड अधिकारी, ३ गजेटेड अधिकारी एवं १४ अन्य व्यक्ति (पब्लिक मैन गिरफ्तार किये गये। इसकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

उपरोक्त व्यक्तियों में से २४ व्यक्ति नॉन गजेटेड अधिकारियों का २१ मामलों में चालान किया गया। ग्यारह मामलों में १५ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि सम्बन्धित विभागों ने उन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी। अतः उपरोक्त चालान शुदा २४ व्यक्तियों में से २ व्यक्तियों को सजा मिली' कोई भी व्यक्ति बरी नहीं किया गया।

APPENDIX 'A'

Sl. No. 1.		Name of the accused. 2.	Under Section. 3.	P.S. 4.	G O/NGOs. P/Men. 5.
1.	1. Shri	Jethu Singh, Const.	5 (2) PCA.	Barmer.	NGO.
	2. ,,	Hari Singh, Const.			
2.	,,	Banshidhar, Patwari,	161 IPC. 5 (2) PCA.	Amber.	NGO.
3.	,,	Kirpadhar, H. C.	161 IPC.	Manak Chowk	NGO.
4.	,,	Rameshwar Lal, Patwari.	-do- & 5 (2) PCA.	Phagi.	NGO.
5.	,,	Tarachand, Inspector	161 IPC.	Statue-Circle.	NGO.
6.	,,	Gopal Singh.	165 IPC.	Badar BKR	P/man.
7.	,,	Brijmohan Inspr.	161 IPC.	Kotwali JPR.	NGO.
8.	,,	Sikandar Khan.	-do-	Kotwali. Kotah.	NGO.
9.	,,	Mohd. Ali, Const.	-do-	Ramganj, Jaipur.	NGO.
10.	,,	Gopal Siugh, S. I.	5 (2) PCA.	Jaisalmer.	NGO.
11.	,,	Nasir Ahmad, Compounder	161 IPC.	Sultanpur	NGO.
12.	,,	Jayad Shah, Clerk.	-do-	Atroo	NGO.
13.	,,	Kashi Ram.	162 IPC.	Sadar, JPR	P/man.
14.	,,	Ganga Ram.	161 IPC. & 5 (2) PCA.	Kapasan	NGO.
15.	,,	Sardar Khan.	165 IPC.	Kotwali, UDR.	N/man.
16.	,,	Mahesh Chandra, Clerk.	161 IPC	Kotwali, JPR.	NGO.
17.	,,	Sultan Driver.	162 IPC.	Statue-Circle.	P/man.

1	2	3	4	5
18.	,, Sawarmal Pareek.	420/468/ 472 IPC.	C. P. S., A. C. D.	NGO.
19.	,, 1. Hardayal Singh. 2. Hukam Singh	420/468/ 109 IPC.	-do-	NGO.
20.	,, Balak Ram.	161 IPC.	-do-	NGO.
21.	,, Rameshwar Lal.	420 IPC.	-do-	P/man.
22.	,, Hiralal Clerk,	420/468 IPC.	-do-	NGO.
23.	,, 1. Pyaremohan Jain, N.T. 2. Girdhari Singh, Patwari,	5(2)/120B IPC.	-do-	NGO.
24.	,, 1. Bhanwarlal Mothra. 2. Panch Pakorilal. 3. Hansraj.	165 IPC.	-do-	P/man.
25.	,, Saidullah Khan.	409 IPC.	-do-	NGO.
26.	,, Bhanwarlal, Ex. S.D.O.	-do-	-do-	G.O.
27.	,, Nekhram Brahman.	165A IPC.	-do-	P/man.
28.	,, Mohanlal, Development Officer.	5(2)(1)PCA.	-do-	G.O.
29.	,, Onkardass Ranga, Ex-Chairman.	420/468 IPC.	C.P.S., ACD.	P/man.
30.	,, Chandar Shekhar, Patwari.	5 (2) (3) PCA.	-do-	NGO.
31.	,, Tara Chand, Overseer.	381/414 IPC.	-do-	NGO.
32.	,, Bhanwarlal, Treasury-Acctt.	420 IPC.	-do-	NGO.
33.	,, Mangi Lal, Patwari.	409 IPC.	-do-	NGO.
34.	,, K. B. Sinha, Asstt. Engineer.	-do-	-do-	G.O.
35.	,, Mahendra Kumar Jain.	409/381 IPC.	-do-	NGO.
36.	,, Ramswaroop Sanghi.	409 IPC.	-do-	P/man.
37.	,, Ram Chandra, U.D.C.	161 IPC.	-do-	NGO.

1	2	3		4	5
38.	,,	Imtaz Ali, B. J.	161 IPC.	CPS/ACD	NGO.
39.	,,	Sardar Hussain, Clerk.	-do-	-do-	-do-
40.	,,	1. Mishri Lal, Patwari.	5(2)PCA.		-do-
		2. Kesar Singh, Chowdhari. P. Man.	218/200 IPC.	-do-	N/man.
41.	,,	Nand Kishore, Patwari.	161 IPC.	-do-	NGO.
42.	,,	1. Rafiq Ahmad, A.S.N.			
	,,	2. Atam Swaroop, T. C.	161 IPC.	-do-	-do-
	,,	3. Jang Bahadur, Rly.	5 (2) PCA.		
43.	,,	Ramsingh, H. C.	161 IPC.	-do-	-do-
44.	,,	Laloo.	165 IPC.	-do-	P/man.
45.	,,	Natho Chamar.	-do-	-do-	-do-
46.	,,	1. Sadiq Ali. H. C. 2. Mohan Bharti, Sawar.	161/342 IPC.	-do-	NGO.
47.	,,	Bakshoo Singh, Const.	161 IPC.	-do-	-do-
48.	,,	1. Amar Lal 2. Madan Lal, Ex-Hav. 3. Banshidhar.	409 IPC.	-do-	-do-
49.	,,	Balchand Patwari.	420/409 IPC.	-do-	-do

पंचायतों की आबादी की भूमि का विकास

६७४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) बीकानेर जिले की किन किन पंचायतों की आबादी के भूमि विकास सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र कब से सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम कालासर, रामसर, बमलू, धीरेरां स्टेशन कुजटी, लूणकरणसर के लोगों को जमीन की कमी के कारण रिहायसी प्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं ?

(३) सरकार ने इन गांवों की समस्या के समाधान हेतु अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

(२) केवल ग्राम रामसर में भूमि की कमी के कारण लोगों को रिहायशी प्लॉट नहीं मिल सकने की सूचना पंचायत विभाग को है । जिसके लिए राजस्व विभाग से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही बताई जाती है । शेष बताये गए गांवों के विषय में पंचायत विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

(३) तहसीलदारों को समय समय पर आदेश राजस्व विभाग द्वारा दिए गए हैं कि यदि ग्राम पंचायतें आबादी में शामिल कराने वाली भूमि के वार्षिक लगान का २० गुणा देने को तैयार हो तो कागजात रेवेन्यु रेकॉर्ड के साथ राजस्व विभाग में भिजवावें ।

प्रश्न

पहाड़ी से सीकरी सड़क का निर्माण

६७५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पहाडी से सीकरी (जिला भरतपुर) होकर नगर तक जाने वाली सड़क का बनना कब आरम्भ हुआ था ?

(२) अब तक उसकी क्या प्रगति हुई है ?

(३) उसके पूरे होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

उत्तर

(१) प्रथम १० मील का १९५५ में बाकी १३ मील का १९५७ में ।

(२) लगभग ४ मील पूर्ण हो चुकी है और बाकी की मीलों में मिट्टी तथा सामग्री एकत्रित करने का कार्य हो चुका है।

(३) लगभग २ वर्ष।

(२७ अक्टूबर १६५८

स्थगित प्रश्न)

आबू में सरकारी इमारतें

६७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में आबू मिलने पर सरकार के अधीन कितनी और कौन सी इमारतें आई हैं ?

(२) क्या कुछ इमारतें केन्द्रीय सरकार के कब्जे में हैं ? अगर हां, तो कौन कौन-सी

(३) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन इमारतों को अपने अधिकार में लेने की कोई कार्यवाही की ?

(४) क्या सरकार आबू में इमारतों की कमी महसूस करती है ?

(५) क्या यह सही है कि सरकार ने आबू के विलीनीकरण के बाद प्राइवेट इमारतें खरीदी हैं ? अगर हां, तो वह किस किस की और कितने कितने मूल्य में ?

(६) क्या सरकार ने किराये पर इमारतें ले रखी हैं ? अगर हां, तो किस किस की और कितने कितने किराये पर ?

उत्तर

(१) ६६ इमारतें आई हैं जिनकी सूची संलग्न हैं।

(२) जी हां। परन्तु जो इमारतें केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, उनका पूरा विवरण ज्ञात नहीं है।

(३) अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

LIST OF THE BUILDING IN ABU ROAD TALUKA.

1. Forest Bungalow at Mount Abu including out houses Guard and Jamadars quarters and latrines.
2. Four Peon's quarters behind old Tehsil at Mount Abu.
3. Old Custom building at Mount Abu including out houses and two peon's quarters.
4. New Tehsil Building at Mount Abu including Bath room, latrines, witness shed and Godown Excise-Godown and office & well.
5. Lower subordinate quarter Block of six in New Tehsil Building.
6. Servant's quarters Block of eight in New Tehsil.
7. Upper subordinate quarter Block of Two in New Tehsil Building.
8. Corre Cottage at Mount Abu with stables and out houses.
9. Panchayat Houses at Mount Abu with chowkidar quarter.
10. C. I. D. quarter at Mount Abu.
11. Police Station and Hawalat including five single man Barracks and Cook-House and well.
12. Married constable's quarters Block of six.
13. Head constable quarters.
14. Sub-Inspectors quarters with Cook-House and out houses.
15. Police out post at Arna (Abu).
16. Sentry Post at Gulpera (Abu).
17. Police Building at Chhipaberi (Abu).
18. Octroi out post Anadia Gate (Abu).
19. Adam Memorial Hospital at Mount Abu including ward for 13 patients, Mortuary store room family ward, Cook-House etc.
20. Assistant Surgeons' quarters with servants quarters and store-room.
21. Lady Doctores quarters at Mount Abu.
22. Nurses quarters.
23. Servants quarters.
24. Sweepers quarters.

25. Veterinary Hospital including ward of seven stables,store compound quarters, Cattleward stable for donkeys, Godown for goats, Operation shed, Grass shed and Servants quarters etc.
26. Veterinary Officers residence at Mount Abu.
27. Civil Vakalat House at Mount Abu. with out house and Kitchen.
28. Old Tehsil at Mount Abu with out-houses.
29. P. W. D. Rest House and Store at Mount Abu.
30. Midhust Bungalow at Mount Abu with two out houses.
31. Delwara House at Mount Abu with out houses.
32. Octroi Out Post near Abu High School.
33. Origa Bungalow at Mount Abu with servents quarters.
34. Cattle pound in the Police Station compound at Mount Abu.
35. Delwara Naka No. 1.
36. Delwara Naka No. 2.
37. Depot at Alra.
38. Delwara Police Sub-Inspector quarters at Mount Abu.
39. Delwara Police line at Mount Abu.
40. Delwara Police Sub-Inspector Office at Mount Abu.
41. Distillary Bldg. at Abu Road with Office & Servants quarter.
42. Forest Office Building at Abu Road.
43. Mill Kothi Grain Godown No. 1 & 2 at Abu Road.
44. Custom Office Building at Abu Road.
45. Kesarganj Dharam-Shala at Abu Road.
46. Custom Naka near Rly Station at Abu Road.
47. Building at Morthala quarry.
48. Civil Court at Abu Road.
49. Police Station at Abu Road.
50. P. S. I. quarter at Abu Road.
51. Town Police line at Abu Road.

52. Assistant P. S. I. quarter at Abu Road.
53. Kesheraganj Police line at Abu Road.
54. Tehsildar's quarters at Abu Road.
55. One Set building used as Magistrate's Court, Sub-Treasury office, C. O's office & Residence at Mount Abu Road.
56. Sub-Jail & Stable at Abu Road.
57. Middle School at Abu Road.
58. Sarneshwarji's Dispensary at Abu Road.
59. Family ward in Sarneshwarji's Dispensary at Abu Road.
60. Doctor's Residence at Abu Road.
61. Compounder's quarters at Abu Road.
62. Nurses residence at Abu Road.
63. Rest House at Abu Road.
64. Mill Kothi Bungalow at Abu Road.
65. P. W. D. Store at Abu Road.
66. Manpur Bunglow at Abu Road.
67. Custom quarters at Abu Road.
68. Punjab National Bank Building at Abu Road.
69. Custom Thana at Kavarli.
70. Police Building at Teleti (Abu).
71. Raj Bhavan (transfer from Government of India).

S/D-

Executive Engineer
District Division (south)
P. W. D., B & R, Jodhpur,

३१ अक्टूबर, १९५८

स्थगित प्रश्न

मेडिकल कॉलेज में छात्रों को प्रवेश

२८८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : मन्त्री चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग कृपया जबाव दें :

(१) इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में कितने छात्रों ने प्रवेश चाहा था व उनमें से कितनों को मिला ?

(२) प्रवेश का आधार क्या था ? क्या उन नियमों का पूरा पूरा पालन किया ?

उत्तर :

(१) ५१० छात्रों ने प्रवेश चाहा था, उनमें १०० को प्रवेश मिला ।

(२) प्रवेश पाने के नियमों की एक प्रति संलग्न है, जिनका सिवाय ३ छात्रों के पूरा २ पालन किया गया ।

CONDITIONS OF ADMISSION,

1. Candidates of the following categories are eligible for admission to the Medical College provided they satisfy the conditions laid down in para 4:—

*(a) Bonafide residents of Rajasthan.

(b) Children of permanent employees of Rajasthan Government.

(c) Children of permanent employees of the Central Government and Reserve Bank of India provided their parents are posted in Rajasthan at the time of admission.

(d) Candidates from areas outside Rajasthan may be admitted provided vacancies exist.

2. Admission are at present Limited to 100 candidates, 20% of the total number of Seats are earmarked for women candidates, provided they secure not lese than 45% marks in all the subjects

---

*Explanation:—A bonafide resident of Rajasthan is that citizen of India who :—

(a) Has himself resided in Rajasthan for at least 3 years otherwise than as a student of a University or other Educational Institution and whose father is or if dead was, at the time of his death, domiciled in Rajasthan; or

(b) Has been resident in Rajasthan for at least 10 years otherwise than as a student at a University or other Educational Institution and is domiciled in Rajasthan.

(c) Was born in Rajasthan and whose father is, or if dead, was, at the time of his death, employed in any department of the Central Government and is or was liable to inter-provincial transfers provided that he himself has resided in Rajasthan for 3 continuous years immediate preceding the date of his applying for admission to the College.

If the number of suitable women candidates falls short of the number allotted, vacancies will be filled in by boys. The following seats are reserved:—

(a) Two seats for candidates belonging to Delhi and other centrally administered areas for which the candidates should apply to the Director General of Health Services, New Delhi.

(b) Two seats for Jammu and Kashmir States for which the Candidates should apply to the Ministry of Health Jammu and Kashmir States. A candidate who has not secured 45% of the aggregate total marks will not be eligible for admission.

(c) One seat for candidates of Indian origin from overseas for which the candidates should apply to the Secretary, Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi. A candidate who has not secured 45% of the aggregate total marks will not be eligible for admission.

(d) Six seates of Scheduled Castes/Scheduled Trides and other backward classes beloning to the State of Rajasthan. Candidates securing at least 45% marks in the Intermediate Science Examination with Medical groups of subjects (Physics, Chemistry and Biology) are eligible for admission and will be selected in order of merit applicable to other candidates. They should produce a certificate signed by an officer not below the rank of Distt. Magistrate in proof of their statement alongwith the application form.

N. B.—These six seats are in addition to the seats which may be secured by the candidates of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes through selection.

(e) Two seats for sons and daughters of doctors working in Rajasthan besides the seats which may be secured by them through regular selection.

3. Admission of candidates will be made in the following order of reference—

(a) Candidates will be admitted in order of merit judged on the percentage of marks obtained either at the Intermediate Examination or at the B. Sc. Examination whichever is more advantageous to the candidates. Students passing their examination from the University of Rajasthan or the Board of High School and Intermediate Examination, Ajmer or the Board of Secondary Education, Rajasthan, Jaipur shall be deemed to have secured 5% more marks than those passing from

other Universities for purpose of determining percentage of marks for admission to the college.

(b) (i) Candidates securing less than 48 percent of the aggregate marks will not be eligible for admission to the college.
(ii) Candidates passing in a supplementary Examination shall not be eligible if they secure less than 48% marks in aggregate.

(c) Candidates provisionally selected in accordance with clause (a) and (b) by the Principal will appear before a Selection Board appointed by the Principal from amongst the senior members of the teaching staff of the College. Those found unsuitable by the Selection Board will be rejected.

(d) The Government reserves the right to permit or reject admission of any candidate without showing any cause.

4. (a) Candidates must have completed the age of seventeen years at the time of admission or before 31st October of the year of admission and should not be more than 21 years of age. In case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Rajasthan the maximum age limits is 24 years at the time of admission. (The Principal may at his discretion admit a student who is over 21 years of age in exceptional circumstances).

(b) No candidate will be admitted unless he has passed the Intemediate Science Examination with Medical groups of subjects (Physics, Chemistry including Organic Chemistry and Biology having a practical test in each of these subjects) of an Indian University or a Board recognised by the University of Rajasthan.

5. All candidates for admission must submit an application to the Principal of the College in the prescribed form obtainable from the College office on payment of Re. 1/-. on or before 25th June at the latest (Money should be remitted by Money Order or as Postal Order in favour of the Principal).

6. Admission will be completed by the end of First week of July, every year.

7. No application for admission will be considered unless it is accompained by the following certificates in the prescribed form:-

1. Mark sheet of the University from which he/she has passed the

examination. (This should be sent in original and attached to cert ficate of Educational Qualification (Form No. 2).

2. Certificate of character from the Principal of the College showing the date of birth as stated in Matriculation Certifficate (Form No. 3).

3. Bonafide Resident Certificate duly signed by an officer not below the rank of Distt. Magistrate. In case of married Women Candidates the certificate should state the place of residence of her husband (Form No. 4).

4. Descriptive note in the prescribed form (Form No. 5) signed by a person of known repute and status resident in the candidatee District and countersigned by ths Distt. Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate of the area in which the candidate is residing.

5. Certificate showing the particulars of the parent guardian who will be responsible for the fees and all other expenses of th candidates during the College career in the prescribed Form No. 6.

6. A certificate showing that he/she is effectivelly protected against Entiric group of disease any small-pox and that he/she has not been recently contract of any infectious disease by a qualified Medical Practitioner.

8. All candidates provisionally selected will be examined by a Medical-Board appointed by the Principal regarding their general and Physical fitness for medical studies.

9. Candidates provisionally selected will be summoned to appear before the Medical Board on or about 30th June.

10. Admission of candidates from Universities other than Rajasthan will be provisianal till the eligibility certificate is issued by the University of Rajasthan.

11. All candidates selected for admission to the Medical College except the candidates admitted under clause (a), (b) and (c) of condition No. 2. above, shall have to execute a bond in the prescribed form with such security as may from time to time be prescribed by the Government for rendering service in the Rajasthan Government for three years (exclusive of the

period of house staff appointment) after the candidate has passed the M. B. B. S. Examination. If candidate fails to execute the bond as aforsaid within the time prescribed by the Principal he shall not be admitted to the College.

N. B. (a) Incomplete applications will not be entertained.

(b) No application will be entertained unless submitted in prescribed form obtainable from this office on payment of Rs. 1/-.

(c) Application received after the due date will not considered.

परिशिष्ट ५

(कृपया अल्पकाल सूचना प्रश्न १ (६ एस० एन० क्यू०) का उत्तर देखिये)

Copy of letter No. Gen/51/754 dated the 18th Sept. 58 from the Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur to All Administrative Officers.

Sub :-Standardisation of Scale of Diet.
Ref :-This Office Circular No. G. 31/335/58. dated 5-5-58.

The quantity of Sugar and spices in the following diet be amended to read as under :-

Article.	Break fast.	Diet No. 1.	Diet No. 2.	Diet No. 3.	Diet No.7.	Diet No. 7B.
	Milk Curd.					
Sugar	½ Chh.	½ Chh.	--	—	1. Chh.	1. Chh
Spices.	--	--	5 masha	5 masha	5 masha	--

The following may be allowed at extras to the deserving T. B. Patients only :-

1 Egg per day.

2 Chh. meat once a day instead of Dal & Vegetable.

2 oz. butter for vegetarians only.

No fruits except Bananas.

Usually fruits of the type of oranges or mausambies which supply in Principal Vit. C. only be adequately substituted by Vit, 'C' tablets or an Ambla or Ambla powder 1 teaspoonful.

Medical & Health Directorate, Rajasthan.

No. G-31/335/58 dated. Jaipur the 5th May. 1958.

All The Administrative Officer
(with spare copies)

Sub :--Staudardisation of scales of diet.

A statement showing the unified scales of diet for inpatients in the Hospitals and Dispensaries in Rajasthan is sent herewith for implementation with immediate effect.

The expenditure may be watched carefully and should not be allowed to exceed the allotment for diet. This could be done by enforcing strict check in giving diets only to persons who really deserve it and who can not afford to take their own diets. Some patients like to have milk and fruits from the hospital to supplement their home diets. Such practices should not be allowed.

Sd/-
Director of Medical & Health
Services, Rajasthan, Jaipur.

Statement showing the unified scales of diet to inpatients.

Articles	Breakfast in addition to other diets		Diet No. 1 (Bread & Dal with green vegetable.)	Diet No. 2	Diet No. 3 (Rice, Dal curd & vegetable.)
	Milk	Curd.			
Atta	—	—	5 chh	2 chh	
Rice	—	—	—	1 chh	2 chh.
Dal	—	—	1 chh	$\frac{3}{4}$ chh	1 chh.
Salt	—	--	$\frac{1}{2}$ Tola	$\frac{1}{2}$ Tola	$\frac{1}{2}$ Tola.
Spices	—	—	$2\frac{1}{2}$ Masha	$2\frac{1}{2}$ Masha	$2\frac{1}{2}$ Masha.
Ghee	—	--	$1\frac{1}{2}$ Tola	1 Tola	1 Tola.
Milk	4 chh	—	—	—	
Sugar	$\frac{1}{2}$ chh	$\frac{1}{2}$ chh	—	$\frac{1}{2}$ chh	—
Curd	—	2 chh	—	2 chh	2 chh.
Green-Vegetable	--	--	1 chh	1 chh	1 chh.

Articles	Diet No. 4 (Milk & Bread)	Diet No. 5A (Khichri with milk)	Diet No. 5B (Khichri with curd)	Diet No. 5 C (Dalia and milk)
Atta	5 chh	—	—	—
Rice	—	1½ chh	1½ chh	—
Dal	—	1 chh	1 chh	—
Salt	--	½ Tola	½ Tola	—
Ghee	—	1 Tola	1 Tola	1 Tola
Milk	½ Sr.	½ Sr.	--	½ Sr.
Sugar	1 chh	1 chh	1 chh	1 chh.
Dalia	--	--	--	2 chh.
Curd	--	--	4 chh	--

Articles	Diet No. 6 A (Rice & milk)	Diet No. 6 B (Rice & curd)	Diet No. 7 A (Milk Diet)	Diet No. 7 B (Curd Diet)
Rice	2 chh	2 chh	—	—
Milk	½ Sr.	—	1 Sr.	—
Sugar	1 Chh	1 chh	2 Chh	2 chh
Curd	—	4 chh	—	½ Sr.

Articles	Diet No. 8 A (Thuli with milk)	Diet . No. 8 B (Sago with milk).
Ghee	1 Tola	—
Milk	½ Sr.	½ Sr.
Sugar	1 Chh.	1 Chh.
Thuli	2 Chh	—
Sago	—	1 Chh.

NOTE :— A. The above diet is single diet for one time only.

B. ½ seer of milk with 1½ chh sugar to be served as breakfast to each patient except those on curd diet at 7.30 A. M. daily.

C. 2 chh of curd with ½ chh sugar to be served as Lassi breakfast instead of milk breakfast to each patient at 7.30 A. M. daily to those who are on curd diet i. e. 5 B, 6 B and 7 B.

६ नवम्बर, १९५८

स्थगित प्रश्न

पशु मेला, सांचोर में पानी का ठेका

४२४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) संवत् २०१० में सांचोर पशु मेला का पानी का ठेका किसको कितने रुपयों में दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ठेकेदार की रकम सरकार में बकाया है ? यदि हां तो उसे भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सम्वत् २०१० में सांचोर पशु मेला का पानी का ठेका श्री हरकचन्द मेघराज साकिन सांचोर को १६००) रुपये में दिया गया था।

(२) जी हां। ठेकेदार पशु-मेला में पानी का पूरा इन्तजाम नहीं कर सका।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २० नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३१३८	१	बुधवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५८	गुरुवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५८
३१४०	अन्तिम से ६	obligatorv	obligatory
३१६२	२	पास तरह इस	पास इस तरह
३१७५	१३	श्री तर्नसिंह	६५१. श्री तर्नसिंह
३१८१	२०	(डागा)	(डग)
३१९८	१८	(छाबड़ा)	(छबड़ा)
३२०२	अन्तिम से ४	(फोर्थ अमेम्डमेन्ट)	(फोर्थ अमेन्डमेन्ट)
३२०३	अन्तिम से २	टेंप्रेरी	टेम्प्रेरी
३२०५	२२	te ant	tenant
३२१९	८	ऑक्यूशन	आक्युपेशन
३२२६	२२	प्रोपोर्शन	प्रपोर्शन
३२३६	५	अर्जियों से	अर्जियों में से
३२३७	अन्तिम से ११	काम्प्लीकेडेट	कॉम्प्लीकेटेड
३२४०	१६	एम्पोर्टेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
३२५०	१८	इत्तिला	इत्तला
३२५१	अन्तिम से ५	अधिकारी	अधिकार
३२५६	७	इसको भेज	इसको भेज
,,	१६	भेजा जाय ।	भेजा जाय ।
३२७३	१८	land is in	land in
३२८९	७	क्लेक्टर	कलेक्टर
,,	१०	,,	,,

१	२	३	४
३२९५	१८	पहल	पहले
३२९९	२५	मालम हो ।	मालूम हो ।
३३१५	२८	that be reguired	that he required
३३१८	२	अमेडमेम्टस	अमेन्डमेन्ट्स
३३२६	२१	श्री मलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
३३३१	१८	उसक	उसका
३३३७	२०	विद्वा	विद्वानों
३३५६	पंक्ति ५ आ० २	of person from whom	Name of person from whom
३३६०	अन्तिम से १०	४१ र. ,, मेश्वरदयाल	४१. ,, रामेश्वरदयाल
३३६२	,, ,, ७	२५ ल ,, दमीनारायण शर्मा	२५. ,, लक्ष्मीनारायण शर्मा
३३७३	अन्तिम से ६	क गे	करेंगे
३३८६	२३–२४	Intemediates	Intermediate
३३८७	११	candidatee	candidates
३३९०	८	Implementation	implementation